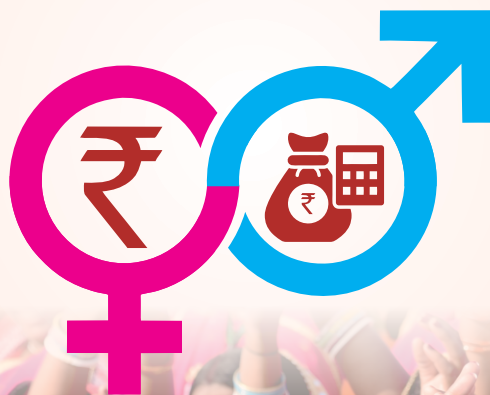


जेन्डर बजट Gender Budget

2025-26





Government of Bihar
Finance Department

Gender Budget

2025-26

Government of Bihar
Finance Department

Contents

(विषय सूची)

1	Preface	1
	प्राक्कथन	51
2	Introduction to Gender Budgeting	2
	जेंडर बजट का परिचय	52
3	Gender Budgeting in Bihar	5
	बिहार में जेंडर बजट निर्माण	55
4	Efforts for Women Development	11
	महिला विकास के प्रयास	61
5	Important Schemes for Women and Girls in Bihar	17
	बिहार में महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ	67

LIST OF TABLES

(तालिका सूची)

Table 1	Classification of Gender Budget	6
	जेंडर बजट का वर्गीकरण	56
Table 2	Comparative Indicators of Male and Female	8
	पुरुषों और महिलाओं के लिए तुलनात्मक सूचक	58
Table 3	Comparative Indicator of status of women in Bihar	9
	बिहार में महिलाओं की स्थिति के लिए तुलनात्मक सूचक	59
Table 4	Gender Budget : Expenditure for Women	9
	जेंडर बजट : महिलाओं के लिए व्यय	59
Table 5	Department-wise Statement	44
	विभागवार विवरणी	92
Table 6	Departmentwise Gender Budget F.Y 2025-26	45
	वर्ष 2025–26 के जेंडर बजट के अंतर्गत विभागवार प्रावधानित राशि	93
Table 7	Establishment and Committed Expenditure	46
	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	94
Table 8	Scheme (State Scheme/Central Scheme)	47
	स्कीम (राज्य स्कीम / केन्द्रीय स्कीम)	95
Table 9	Class-A- 100% for Women	48
	श्रेणी-ए – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत	96
Table 10	Class-B- 30% for Women	49
	श्रेणी-बी – महिलाओं के लिए 30% एवं उससे अधिक परन्तु 100% से कम	97

Preface

Government of Bihar is committed towards promotion of gender equality in the social and economic policies for empowerment of women. Gender Budgeting is a tool for achieving this goal. This approach to budgeting leverages fiscal policy and administration to advance gender equality and support the development of girls and women. It involves gender-sensitive formulation, resource allocation, and continuous monitoring to address the vulnerabilities that women face throughout their life cycle. In order to mainstream gender in legislations, policies and programmes, State adopted Gender Budgeting as a budgetary strategy in 2008-09 and since then it has become a regular budgetary process.

The State government is committed to address the needs of the 48 percent of the total population which accounts for 498.21 lakh girls and women as per census 2011. This is nearly half of the total population of Bihar. Despite progress, gender discrimination remains a significant barrier to equality, with many women still confined to domestic roles, limiting their social and economic independence. Gender-responsive budgeting (GRB) plays a vital role in addressing these deep-rooted issues, as challenges of women span across multiple sectors. Additionally, Goal 5 of the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) focuses on gender equality and the empowerment of women and girls, a priority embraced by both Central and State Governments. In alignment with this, the Bihar government is developing a gender budget to further integrate women into the mainstream.

Gender budgeting in Bihar has evolved over the past 16 years. During this time, the government has implemented various financial regulations, policies, and programmes aimed at promoting gender equality. Today, Bihar stands as one of the leading states in adopting and advancing gender budgeting. The primary goal of the Gender Budget is to create a positive impact on the lives of women and girls through targeted financial support.

The Gender Budget Statement of 2025-26 will help the respective government departments in identifying, prioritizing, and addressing gender concerns by formulating and implementing future gender policies, provisions and programmes, especially with the increased sensitivity. It will also prove useful for civil societies, researchers, and other stakeholders in analysing women-related schemes and programmes in the State. The development of the GBS is not an end in itself but a starting point for a more gender-sensitive governance and administration.

Introduction to Gender Budgeting

Gender budgeting (GB) involves the systematic analysis of budgets, programmes/schemes, and policies to assess their impact on women. The goal of gender budgeting initiatives is to integrate gender-specific considerations and objectives into fiscal policies and the management of government finances. This approach aims to promote gender equality and support in development of women. By examining and modifying budgets to address the unique needs and challenges faced by different genders, these initiatives strive to foster fairness and empower women and girls, especially in various areas of society.

Gender Responsive Budgeting is not a separate budget for women. It aids the government in effectively streamlining public expenditure in a gender-responsive way. The Gender Budget Statement (GBS) plays a crucial role in identifying the resources to be raised and the expenditures required to address gender disparities. Gender budgeting can be implemented through targeted schemes and programmes for women and girls, as well as through designated allocations for women's empowerment within broader, universal schemes and programmes.

Gender budgeting Objectives:

- Formulating gender-sensitive policies, legislation, and schemes
- Allocating and collecting resources in a gender-sensitive way
- Implementing corrective actions to address gender disparities
- Converting gender commitment into budgetary commitment
- Producing regular reports that summarize the gender impacts of the budget

Context of Gender Budgeting

The path of international action for gender equality can be traced back to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women adopted in 1979 by the United Nations General Assembly. The CEDAW is often referred to as the International Bill of Rights for Women which came into force in 1981. It is a landmark international treaty that aims to achieve gender equality and eliminate discrimination against women in all spheres of life. Additionally, the United Nations organized four World Conferences on Women in Mexico City in 1975, Copenhagen in 1980, Nairobi in 1985 and Beijing in 1995. Successive to this was the Beijing Declaration and Platform for Action adopted by the UN in 1995 to promulgate a set of principles concerning the equality of men and women. It represents a significant global commitment to evolving gender equality and women's empowerment, setting out a comprehensive agenda with strategic objectives and actions. Gender-responsive budgeting has indeed gained significant traction in the 21st century as a strategic tool for advancing gender equality within public finance management. More than 80 countries have indeed adopted gender budgeting as part of their public finance management strategies. Australia was a pioneer country in the world to introduce Women's Budget in 1984. Later, Canada started in 1993 and South Africa and the Philippines followed in 1995. Countries in the Organization for Economic

Cooperation and Development (OECD) have a relatively longstanding gender budgeting practice, such as Norway (2005), Finland (2006), Mexico (2006), Korea (2006), Iceland (2009), Spain (2009) and Austria (2009). Subsequently, many countries have taken this initiative at the national and sub-national levels of the government.

The gender concern was also included in the Five-year plans of India. The approach of Five-Year plans shifted from 'Welfare' to 'Development', and from 'Development' to 'Empowerment'.

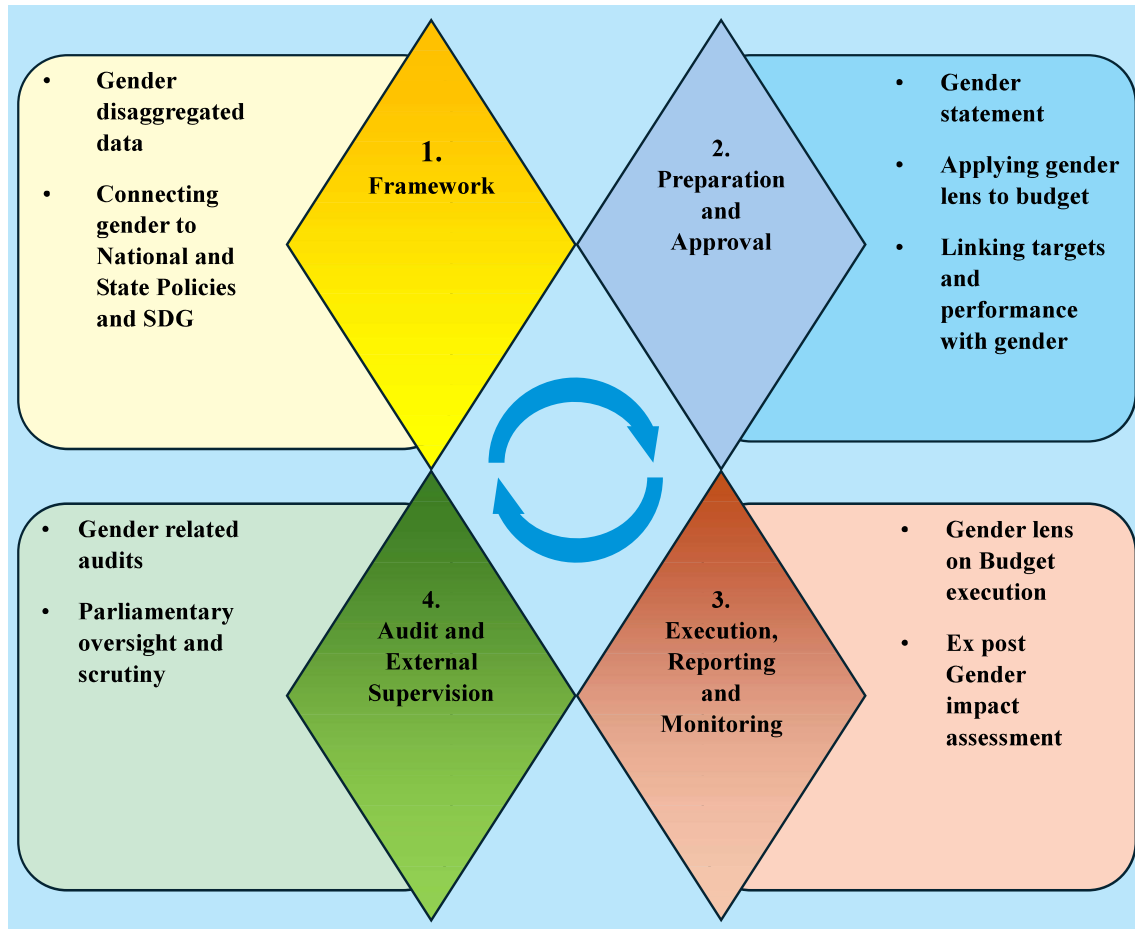
First Five Year Plan (1951-56)	Development of women was linked with the welfare of the disadvantaged groups like destitute, disabled, aged, etc.
Second to Fifth Five Year Plans (1956-79)	Welfare approach adopted. Besides giving priority to women's education, improvement in maternal and child health services, supplementary food for children, pregnant and nursing mothers.
Sixth Five Year Plan (1980-85)	Shift in approach from 'welfare' to 'development' of women. Multi-disciplinary approach with emphasis on health, education and employment.
Seventh Five Year Plan (1985-90)	Emphasis was laid on generating employment, both skilled and unskilled, through proper education and vocational training with a view to raising the economic and social status of women and bringing them into the mainstream of national development.
Eighth Five Year Plan (1992-97)	Emphasis on the development of women.
Ninth Five Year Plan (1997-2002)	Attempted 'Empowerment of Women'. The Plan also aimed at 'convergence of existing services' available in both women specific and women-related sectors.
Tenth Five Year Plan (2002-07)	Continues with the strategy of 'Empowering Women' as an agent of social change and development through Social and Economic Empowerment and Gender Justice.
Eleventh Five Year Plan (2007-12)	Emphasis on gender equity, gender budgeting and creation of environment free from all forms of violence against women.
Twelfth Five Year Plan (2012-2017)	Emphasis on women participation in governance and inclusion of vulnerable women of all categories.

Gender Budget planning includes the following tasks:

- (a) Allocation of adequate resources and formulation and implementation of women sensitive programmes. This helps in reducing the gap between policy commitments and allocations made towards women;

- (b) Mainstreaming women's concerns in public expenditure and policy;
- (c) To conduct a gender audit of public expenditure and implementation of programmes and policies.

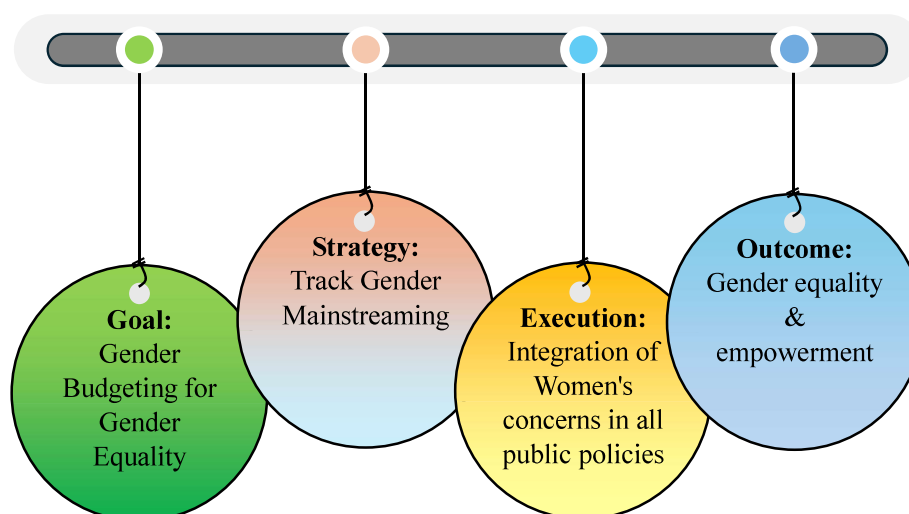
Figure 1 : Holistic View of Gender Budgeting



Gender Budgeting in Bihar

Bihar has been a pioneer in implementing Gender budgeting, representing a strong commitment for the welfare and development of women and girls. Gender budgeting is a means to connect women with the mainstream. This ensures that the benefits of development reach out to every woman in the state, whether in rural or urban areas. It is a continuous process of including gender perspectives in the formulation and review of policies and programmes. Women constitute half of the total population, hence there is a need to draw attention to the status of women in areas such as health and nutrition, education, livelihood and property ownership. To fulfil these needs of women through financial support, the Bihar government started the gender budgeting process. The Gender Budget document for 2025-26 presents the details of expenditure on women and the amount of expenditure to be incurred in 2025-26.

Figure 2 : Gender Equality through Gender Budgeting



The gender budget offers valuable insights into the state's financial allocations through a gender lens. It involves assessing the schemes and programmes of different departments with a focus on gender. To promote gender mainstreaming, it examines the actual spending of the previous year, the revised estimates for the current year, and the proposed estimates for the next year from a gender perspective. Some key facts of this document are:

1. To identify government schemes and programmes of various departments that address the development of women.
2. To analyze the percentage of expenditure on women under various schemes, so that women are brought into the mainstream through targeted financial and implementation strategies.
3. To check the state's allocation on women in proportion to the total state budget and gross state domestic product.

4. Linking Gender Budgeting to Outcome Budgeting.
5. To formulate various strategies based on the budgetary preferences of women.

Figure 3 : Progress of Gender Budgeting in Bihar

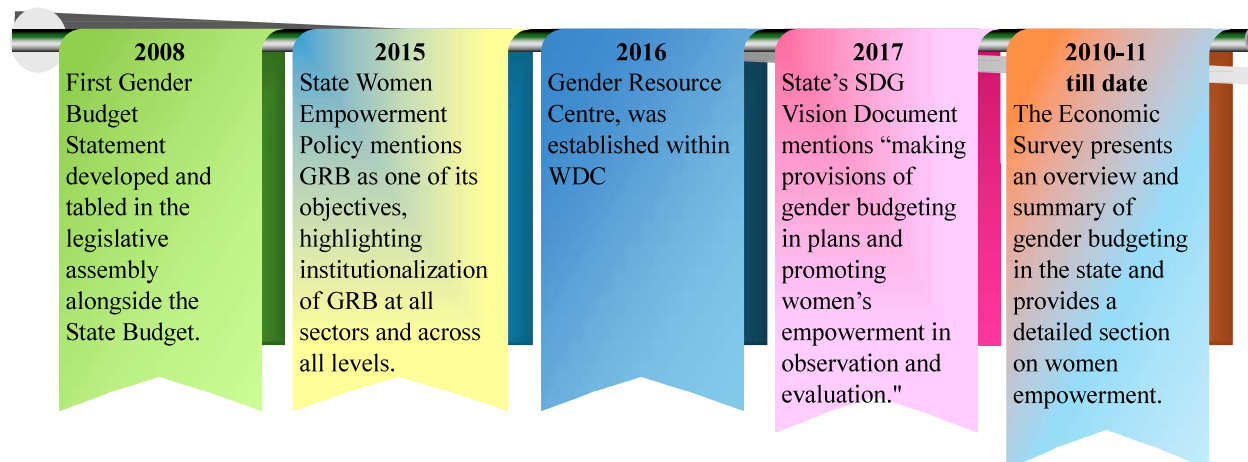


Table 1 : Classification of Gender Budget

Category A	100% expenditure on women and girls	Schemes and programmes whose entire allocation is for the welfare of women and girls.
Category B	30% and above but less than 100% expenditure on women	Schemes and programmes in which some component is for women and girls and is between 30% to 99%.

Gender budget analysis is done in three parts:

- ❖ **Actual Expenditure (AE):** Actual expenditure incurred by each department on women related schemes during the year 2023-24
- ❖ **Revised Expenditure (RE):** Revised Expenditure for the year 2024-25 after the mid-year review of possible expenditure.
- ❖ **Budget Estimate (BE):** Forecast for the year 2025-26 based on the trend of probable expenditure and receipts of the previous budget presentation.

Specific schemes targeted for women: Schemes in which 100 percent of the provision is for women.

Gender-related schemes: These are schemes in which at least 30 percent of the allocation is for women. It contains schemes implemented by various departments, which directly or indirectly benefit women or girls. Gender budgeting is the measurement and evaluation of benefits to women or girls on the basis of objectives of planning, output-cum-outcomes, which helps in the process of further facilitating gender equality as a guide.

Figure 4 : Nature of Schemes in Gender Budget



Figure 5: Trend of Increase in Number of Departments

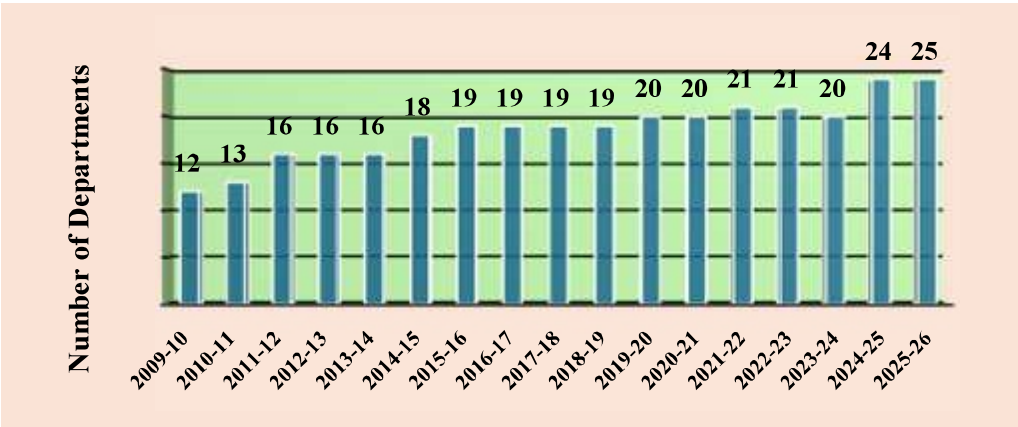


Figure 6 : Comparative Indicators for India and Bihar

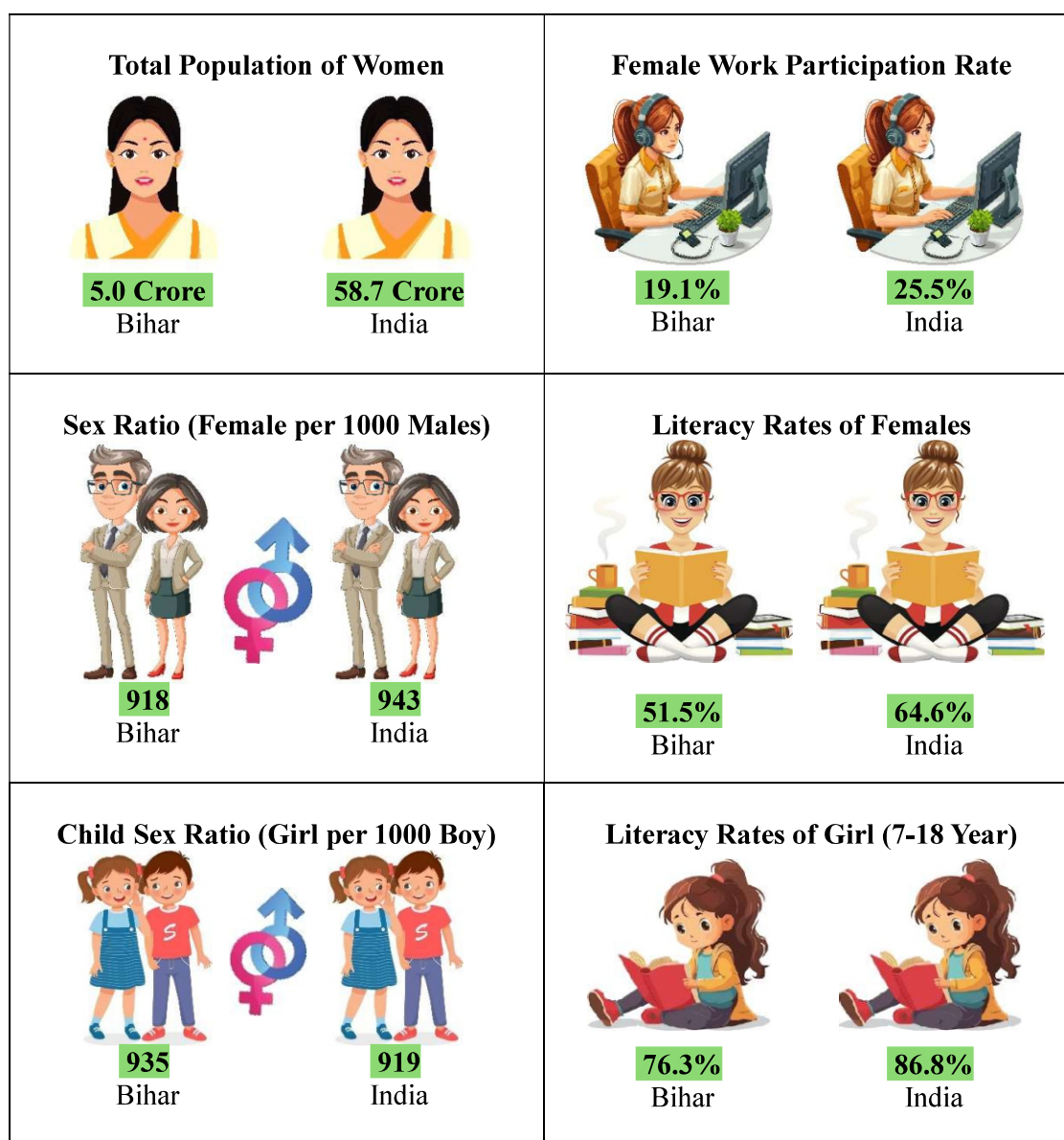


Table 2 : Comparative Indicators of Male and Female

Sl. No.	Indicators	Bihar		India		Source
		Male	Female	Male	Female	
1	Total Population (crore) (2011)	5.4	5.0	62.3	58.7	Census 2011
2	Sex Ratio (All Ages) (2011)	1000	918	1000	943	
3	Child Sex Ratio (0-6 years) (2011)	1000	935	1000	919	
4	Work Participation Rate (2011)	46.5	19.1	53.3	25.5	
5	Literacy Rate (2011)	71.2	51.5	80.9	64.6	
6	Literacy Rate (7-18 years) (2011)	81.66	76.25	89.68	86.76	

The above table displays the status of women in Bihar and India. In terms of child sex ratio, Bihar has a higher child sex ratio (935) than India (919). But in some other indicators like sex ratio (all age groups) (918), work participation rate (19.1), etc. the women still lag behind. To address all these, many initiatives have been taken at the state level.

Table 3 : Comparative Indicator of status of women in Bihar

Sl. No.	Indicators	2019-20	2015-16	Increase/ Decrease	Source
Educational Indicators					
1	Literacy (%)	55.0	49.6	5.4	NFHS
2	Women with 10 or more years of schooling (%)	28.8	22.8	6.0	NFHS
Health Indicators					
3	Institutional Delivery (%)	76.2	63.8	12.4	NFHS
4	Body Mass Index below normal (15-49 yrs.) (%)	25.6	30.4	-4.8	NFHS
5	Females from 15-49 years who are anaemic (%)	63.5	60.3	3.2	NFHS
Empowerment Indicators					
6	Currently married women who generally participate in household decisions (%)	86.5	75.2	11.3	NFHS
7	Women having a bank account or savings that they use themselves (%)	76.7	26.4	50.3	NFHS
8	Women having mobile phones which they use themselves (%)	51.4	40.9	10.5	NFHS

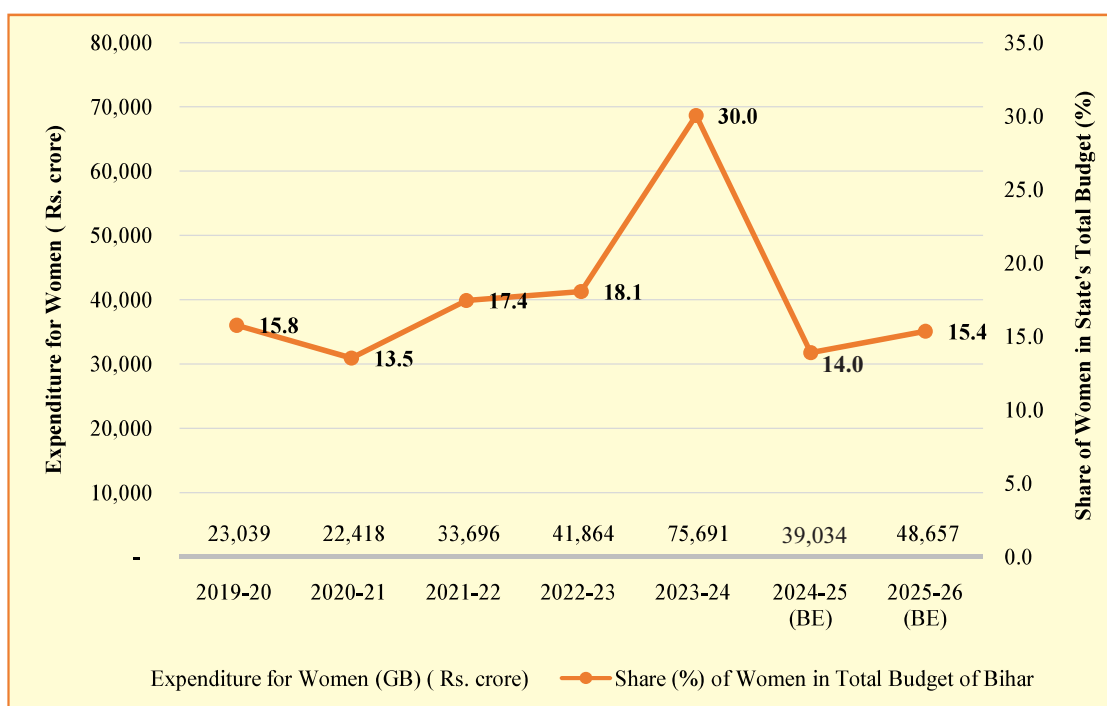
The above indicators show that between two periods, 2015-16 and 2019-20, the status of women in Bihar has steadily improved. Most importantly, the empowerment indicator of women having their own savings account has increased by 50.3 percentage points between 2015-16 and 2019-20. Therefore, the results of gender budgeting, which was started with the aim of all-round development of women in Bihar, are now visible.

Table 4 : Gender Budget : Expenditure for Women

(Rs. crore)

Details	2019-20 (AE)	2020-21 (AE)	2021-22 (AE)	2022-23 (AE)	2023-24 (AE)	2024-25 (BE)	2025-26 (BE)
State Budget Outlay	146097	165696	193123	231904	252082	278726	316895
Expenditure for Women (GB)	23039	22418	33696	41864	75691	39034	48657
Share (%) of Women in State Budget of Bihar	15.77	13.53	17.45	18.05	30.03	14.00	15.35
Identified Departments' Total Budget	84310	90269	112571	130030	139358	81050	113692
Share (%) of Women in Reporting Departments	27.33	24.83	29.93	32.20	54.31	48.16	42.80
Gross State Domestic Product (GSDP)	617153	618628	675448	751396	854429	976514	1097264
Share (%) of Women in GSDP	3.73	3.62	4.99	5.57	8.86	4.00	4.43

Figure 7 : Share of Women in the Total Budget of Bihar



Efforts for Women Development

Women play a vital role in society, and the overall progress of any society is closely tied to the advancement of women. Societies that ensure continuous growth for women tend to experience prosperity. Women's empowerment is key to a society's development, and this can only be achieved when women are given equal opportunities in economic, social, and political spheres, allowing them to shape social change. As part of the Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030, 'Goal-5' focuses on addressing challenges such as poverty, inequality, and violence against women, offering solutions to ensure global success. The state government has been actively working towards gender mainstreaming and advocating for gender budgeting initiatives at both the district and state levels. Several important programmes and schemes have been launched by the government in recent years to empower women.

From Development of Women to Women-led Development

The budget announcements of 2025-26 proposes several women-centric programmes which will improve the status of women in the state and lead to their empowerment. These are:

- In each panchayat, a Kanya Vivah Mandap will be constructed in phases to provide affordable marriage hall facilities, operated by self-help women groups.
- Mahila Haat will be established in Patna, and designated vending zones for women will be set up in major cities.
- A mobile gym (Gym on Wheels) will be launched in Patna, with women trainers exclusively.
- Pink toilets will be installed in all cities, starting with 20 within a month.
- Pink buses, operated entirely by women drivers and conductors, will be launched in major cities.
- A 33% reservation for women in driver, conductor, and depot maintenance positions at the Bihar State Road Transport Corporation will be implemented.
- Women drivers will receive cash subsidies to purchase e-rickshaws and two-wheelers for commercial use.
- Women-only Vehicle Operation Training Centres will be established in major cities.
- A religious tourism scheme will be introduced during festivals like Chhath Puja, encouraging women to offer home stays with government support.
- Women will be given priority for employment as tourism guides.
- Separate rules and action plans will be created for the establishment and operation of working women's hostels in major cities to ensure a safe and healthy environment.

- The State Government will provide residential accommodation for women constables near police stations by renting properties to ensure their convenience and accommodation.
- The State Government will double the scholarship rates for general category students and girl students from classes 1 to 10, with an estimated additional annual expenditure of Rs 875.77 crore.

Some important efforts and achievements made for the development of women are :

1. Women Participation in Government Sector

- The state government is providing 35 percent horizontal reservation for women in all direct recruitments in all state government services/grades under Aarakshit Rojgar Mahilaon Ka Adhikar
- A provision of 50 percent reservation has been made for women in Panchayati Raj Institutions and Municipal Bodies, which has increased their contribution and participation in the political sector.
- Presently, out of nearly 1.10 lakh police force, more than 30,000 are women. Bihar has the highest participation of women in the police force in the country.

2. Reservation and Incentive for Girls/Women in Education

- As part of the initiative of the Government to promote higher technical education among female students, one-third (33 percent) of the total seats in degree-level and higher courses are reserved for women/girls in all institutions affiliated with Bihar Engineering University.
- Under incentive to women for higher education, Rs. 25,000 per student was distributed among 5.56 lakh unmarried girl students who have passed Intermediate or equivalent in 2023-24. Similarly, for graduate/equivalent courses, Rs. 50,000 per student was distributed in 2023-24 among 1.40 lakh unmarried/married girl students who have passed the graduate or equivalent courses.
- At present, under Awasar Badhe, Aage Padhe, the construction of buildings for six B.Sc. Nursing Colleges, 16 General Nursing and Midwifery (GNM) Institutes, 21 Para Medical Institutes, 4 Pharmacy Colleges, 19 Polytechnic Institutes, 23 Women Industrial Training Institutes, 30 Engineering Colleges, 50 Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) Institutes and 58 Industrial Training Institutes have been completed.
- The Mukhyamantri Balika Poshak Yojana , in 2023-24, with an expenditure of Rs. 282.22 crore, a total of 43.71 lakh girl students of elementary level were benefitted.
- Under Bihar Shatabdi Mukhyamantri Balika Poshak Yojana, in 2023-24, Rs. 123.01 crore was distributed among 8.20 lakh girls of secondary and higher secondary levels.

3. Women Entrepreneurship

- To develop entrepreneurship skills in women, with the collaboration of the Indian Institute of Management (IIM) Kolkata, the entrepreneurship development of 150 Jeevika Didis has been achieved so far.
- Jeevika develops professionals, such as Jeevika Mitra, Community Resource Person, Village Resource Person, Bank Mitra, Animal Sakhis, and Employment Resource Persons, etc., who are trained and monitored by community organizations. Presently, Jeevika provides technical support through residential and non-residential training to 29 training centers run by women self-help groups, linked to 705 federations.
- In the agriculture sector, continuous efforts are being made in coordination with the Agriculture Department to promote the economic empowerment, self-reliance, and self-employment of women. So far, 35.89 lakh women farmers have adopted new agricultural technologies. With the registration of 70 women-operated Farmer Producer Companies, women farmers are being encouraged, their products are being aggregated, and they are being linked to the market.
- The bag manufacturing cluster located in the Bela Industrial Area, Musahari, Muzaffarpur, exemplifies a successful public-private partnership model in Bihar. Operating on a plug-and-play model provided by the Department of Industries, 42 JEEVIKA entrepreneurs have established 24 machines in their respective sheds, creating direct and indirect employment for over 1,100 trained workers. The establishment of 42 sheds within the Bag Cluster in Bela, Muzaffarpur, was completed in combination with the Industries Department.
- JEEVIKA has successfully mobilized over 4,100 artisans into Producer Groups linked to 17 different art forms across 20 districts in Bihar.
- To enhance the financial sustainability of rural women artisans through marketing, design development, and capacity-building initiatives, JEEVIKA established the 'Shilpgram Mahila Producer Company Limited' in 2018. Currently, more than 500 women artisans from the districts of Darbhanga, Madhubani, and Muzaffarpur are stakeholders in Shilpgram. The art products are being marketed online through platforms such as shop.brlps.in, Amazon, and Flipkart.
- JEEVIKA actively promotes the direct sale of art and craft products by ensuring the participation of artisans in various Saras fairs and other events organized across India. In the financial year 2023-24, Shilpgram achieved business worth Rs. 7.78 crore.
- Through its Health, Nutrition and Sanitation Enterprise Fund, JEEVIKA provides financial support to individual members and groups, enabling them to establish sustainable enterprises. The fund aims to increase the annual income of individual

entrepreneurs by at least Rs. 1 lakh. By September 2024, this program has empowered 1,797 women across 22 districts to launch their own businesses.

4. Livelihood Promotion

- - The Bihar government's ambitious initiative, "Jeevika," aims to promote the development and empowerment of women while combating rural poverty in Bihar. So far, Jeevika has formed a total of 10.63 lakh self-help groups, linking more than 131 lakh families to these groups. Additionally, 71,229 village organizations and 1,673 cluster-level federations have been established. For financial inclusion, 10.36 lakh self-help group savings bank accounts have been opened with various banks. Through linking these groups, a total of Rs. 477.94 crore has been provided as loans.
 - Around 5,986 Bank Sakhi (Banker Didi) members working in various Panchayats are raising awareness about financial products (such as term deposits, withdrawals, insurance, pensions, etc.). Through the Bank Sakhi, a total of Rs. 14,961 crore has been deposited and withdrawn.
 - Over 78.40 lakh members associated with self-help groups in the state have been covered under insurance.
 - Under the Integrated Cattle Development Scheme, a scheme has been implemented in all categories to establish dairy units of high-quality milch cattle/bulls-heifers for self-employment and income enhancement of farmers and unemployed youth of the state.
 - The "Didi Ki Rasoi" initiative by JEEViKA (BRLPS) aims to expand a community-based canteen model in Bihar. The intervention has now scaled up significantly, with 214 Didi Ki Rasoi units established till September, 2024 in district hospitals, subdivisional hospitals, medical colleges, SC/ST schools, banks, offices of registrars, and the Bihar Institute of Mental Health and Allied Sciences.
 - With the objective of distributing saplings to community members within a 3-kilometer radius in every corner of Bihar, the "Didi Ki Nursery" initiative is being implemented. In Convergence with the Department of Forest, Environment, and Climate Change, Government of Bihar, JEEVIKA has mobilized "Didis" to develop nurseries under the Didi ki Nursery programme, promoting clean and green surroundings. Cumulatively, 310 nurseries have been established in collaboration with the Department of Forest, Environment, and Climate Change.
 - JEEVIKA, in collaboration with MGNREGA, has initiated the establishment of at least two nurseries in each block, led by JEEVIKA didis in various districts of Bihar. In total, 640 nurseries have been established in collaboration with MGNREGA. Cumulatively, over 4.25 crore saplings have been planted under Harit JEEVIKA Harit Bihar,

5. Encouragement for Competitive Examinations

- Incentive amounts of Rs. 50,000 and 1,00,000 is given to the women candidates clearing the preliminary test of Civil Services Examination conducted by Bihar Public Service Commission and Union Public Service Commission respectively, for preparation of the Mains examination. Total 1615 women candidates of BPSC and 102 of UPSC have availed the benefit and a total of Rs. 9.95 crore has been paid so far to the beneficiaries under this scheme.

6. Training and Support

- Women and Child Development Corporation has started a combination of traditional and modern-era courses like sewing machine operators which were prevalent choices for women and the new courses that are essential for health and other services like General Duty Assistant, Emergency Medical Technician, Electrician, Mason, Bar Bander, etc. WCDC, Social Welfare Department has selected 37 job roles and is planning to add more courses like Agriculture Drone Technician and Bakery courses to find employment opportunities and increase employability. Between 2017-18 and 2023-24, under the Mukhyamantri Nari Shakti Yojna (MNSY), a total of 17505 females have been trained.
- The JEEVIKA Health Help Desk, partnering with the Health Department, enhances healthcare access in 38 districts, primarily in Sadar hospitals and medical colleges. By September 2024, it has served 1,414,524 patients, including 1,197,709 OPD and 216,815 IPD patients, with 45,102 calls handled by 92 Swasthya Mitra Didis. Operating in two shifts across 45 centres, the Help Desk provides essential support, bridging healthcare gaps in rural Bihar.
- Sometimes due to the presence of male police personnel, the female victim is not able to properly describe her problems, due to which her issue may not be resolved. With this background, the concept of a Mahila Thana was developed and presently 40 Mahila Thanas are operational in the state. As per the latest data, beginning from January 01, 2022 till October 2024, about 48 percent of the cases were disposed off against the total number of crime cases registered by women during aforesaid period.
- Presently, Women's Special Cell are being operated in 23 police stations of Patna to provide counselling and support to women and adolescent girls in filing First Information Reports (FIRs) and provide a supportive environment in police stations for women who have been victims of any form of violence.
- Approval has been granted for the construction of Maternity and Child Hospitals. There are total 22 maternity and child hospitals in the state. Out of these, the construction work of identified hospitals in 18 districts, including Bhagalpur, Muzaffarpur, Darbhanga, Samastipur, Gaya, and Patna, has been completed.

7. Women Safety Initiatives

- The concept of Mahila Thanas was developed to address the challenges faced by female victims in reporting crimes, especially when male police personnel are present. These specialized police stations, dedicated to women's issues, aim to make it easier for female victims to voice their concerns. Currently, there are 40 operational Mahila Thanas in the state. From January 1, 2022, to October 2024, around 48 percent of the cases registered against crimes involving women were resolved.
- The "Surakshit Safar Suvidha" initiative, launched by the Police (Home) Department in Bihar in September 2024, aims to enhance the safety of women traveling alone or with family. It allows for journey registration and real-time tracking through the Emergency Response Support System (ERSS). Bihar is the third state to implement this scheme, after Telangana and Haryana. As of December 2024, the initiative has successfully addressed all 70 requests received. Women can access this service by dialling 112, offering an extra layer of security and prompt assistance in emergencies.
- The state government is continuously taking steps towards women empowerment. Bihar is the first state in India to provide 35 percent reservation for women in the police force. As a result, today, around 27,000 women officers and constables are part of the Bihar Police.
- Patna Traffic Police has recently taken significant steps towards women empowerment. Over 450 female police personnel are working to manage the traffic system in Patna's urban areas. In addition, 8 all-women Quick Response Teams, called 'Dolphins,' have been formed, consisting of female officers, constables, and even drivers. For the first time, a women's contingent from Patna Traffic Police participated in the state-level parade on January 26, 2025, setting a significant inspiring example.
- Ensuring the efficiency of female police personnel is also crucial. Previously, most traffic checkpoints lacked basic facilities for women. To address this issue, a mission mode target has been set to make 54 traffic checkpoints in Patna fully functional. These checkpoints will provide facilities like comfortable resting areas, toilets, drinking water, and first-aid kits for women. In the future, these checkpoints will also function as nearby complaint/help centres for women.
- Starting on the occasion of International Women's Day, Model Traffic Posts will be operational at four locations: Zoo Gate No. 2, Saguna Mod, New Secretariat Mod, and Hartali Mod.

Important Schemes for Women and Girls in Bihar

The gender budget document reflects the provisions made under various schemes run for women and girls. The objective of these schemes is the welfare of women in general and women empowerment in particular. For this, various government departments are implementing women-centric schemes and programmes. Such Schemes directly or indirectly benefit various categories of women in both rural and urban areas. Women Development Corporation and various other relevant departments of the Government of Bihar run numerous welfare schemes like skill development, training, etc. for the empowerment of Anganwadi workers, women from minority community and other economically deprived community. The details of the schemes run by different departments are as follows:

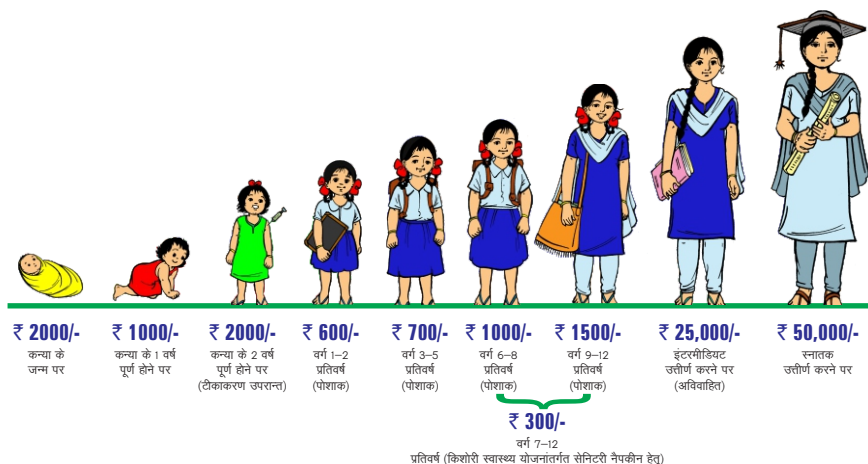
Social Welfare Department

1. Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

The objective of this scheme is to provide financial assistance to poor families at the time of marriage, to encourage registration of marriage and encourage education of girl child to prevent child marriage. Under this scheme, a sum of Rs. 5000 is given to the daughters, belonging to BPL families or other marginalised families whose annual income is up to Rs. 60,000 through DBT at the time of marriage.

2. Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana

The scheme has been implemented by the state government with an objective to stop female feticide, encourage birth registration, complete vaccination of girls, increase sex ratio, reduce girl child mortality rate, promote girl education, stop child marriage and curb total fertility. Under this scheme, girls are provided incentives at various stages of life from birth to graduation, like – on birth of a girl child, an amount of Rs. 2000 is given to the mother/father/guardian through DBT. Then, when the child completes one year of age and her Aadhaar registration is done, Rs. 1000 is given to her parent's/guardian's account. But, the benefit of this scheme is limited to two girl children of the family.



3. Mukhyamantri Nari Shakti Yojana

Mukhyamantri Nari Shakti Yojana' is a comprehensive plan designed with the aim to support women to achieve social, cultural and economic empowerment. To provide Social and Economic Rehabilitation of Women various schemes have been made such as Protection Home, Short-Stay Home, innovative schemes and Training Centres, State Women Information and Resource Centre etc. are proposed to be established in this scheme. This has been extended in all districts.

3.1 Civil Sewa Protsahan Yojana under Mukhyamantri Nari Shakti Yojana

The purpose of the scheme is to empower and encourage girls to participate in civil services. Under this scheme, the female candidates who qualify in the preliminary test (PT) of the Civil Services Competitive Examinations are provided with 'Civil Services Incentive Fund' to prepare for the Main examination. All the eligible female candidates are given a lump sum incentive amount of Rs. 50,000/- (Fifty Thousand) and Rs.1,00,000/- (One Lakh) for passing the Preliminary Test (PT) conducted by Bihar Public Service Commission, Patna and Union Public Service Commission, New Delhi respectively to further prepare for the main examination and interview.

3.2 One Stop Center-cum-Women's Helpline

In all the 38 districts of the state, counselling services are provided to women who are victims of domestic violence to help them in saving their homes from breaking, assist in filing FIRs in police stations as per requirement and provide legal aid, etc. Women helpline 181 has been established under the supervision of the District Magistrates in all 38 districts and is operational 24x7.

3.3 Short-stay home

To solve the problems of women and adolescent girls who are harassed in the family and society because of domestic violence, sexual harassment, human trafficking, dowry or other reasons, they are provided socio-psychological counselling, medical aid, legal assistance, skill development and capacity building. Short-stay homes are being run with the objective of providing short-term shelter facility till rehabilitation is complete.

3.4 Vishesh Mahila Koshang (Special Women Cell)

Special Women Cells have been established in 23 police stations of Patna district to create a favourable environment for women in the police stations, along with counselling and assisting women and adolescent girls in filing FIRs. The Corporation has appointed a counsellor in each special women's cell. These Cells are being operated in various police stations in 6 districts of the state in collaboration with the Women and Child Development Corporation and Tata Institute of Social Sciences (TISS).

3.5 Samajik Punarwas Kosh (Social Rehabilitation Fund)

A fund has been arranged for the rehabilitation of needy women and adolescent girls under Mukhyamantri Nari Shakti Yojana, which is known as 'Social Rehabilitation Fund'. This fund is set up to provide financial assistance for medical, educational, social and economic rehabilitation of women and their dependent children below 5 years of age who are victims of domestic violence and harassment, social and criminal violence, human trafficking, witchcraft etc. For this, 38 districts of the state have been classified into two groups – source and destination. There is a provision to pay a maximum of Rs. 15,000 as a grant to any victimized woman or adolescent girl by the District Officer.

4. Seva Prakshetra Prashikshan (Service Sector Training)

To raise the status of women from BPL section and to equip them with necessary skills to help them become economically independent, the service sector training was started in 2017. The main objective of this is to provide training to women and adolescent girls in various service sectors such as Apparel, Information Technology Enabled Services, Beauty and Wellness, Tourism and Hospitality, and Electronics. Efforts are being made to make them employable in healthcare, retail, etc. and make them self-reliant. The scheme is being operated through institutions empanelled with the Bihar Skill Development Mission.

5. Palna Ghar

The working parents can leave their children of up to 5 years of age or less during their work in Palna Ghar which provides a conducive environment for the all-round development of a child. Provision for a crèche has been made under the Maternity Benefit Amendment Act 2017 for proper care of small children of working women aged between 6 months and 5 years near the workplace.

At present, crèche is being operated at four places:

- Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna.
- Prison Department, Chief Secretariat, Patna.
- New Secretariat, Vikas Bhawan, Patna.
- Sardar Patel Bhawan, Patna.

6. Beti Bachao Beti Padhao

This is a centrally sponsored scheme which was started from Vaishali district to prevent female foeticide and balance the sex ratio. Presently, it is an important medium of public awareness to encourage the birth of daughters. Under this, congratulatory messages are sent on the birth of girls. As a special initiative in Bihar, a campaign 'Ghar Ka Naam Beti Ke Naam' was launched which has been recognized as the best innovation at the national level.

Under this scheme, a task force is formed from district to block level under the supervision of the District Officer.

7. Mahavari Swachhata Prabandhan (Menstrual Hygiene Management Programme)

With the aim of providing correct information about the importance and methods of safe menstrual hygiene practices, the Menstrual Hygiene Management Programme is being implemented state-wide for adolescent girls and women. For proper implementation and better monitoring of this, a state-level task force has been constituted under the chairmanship of Development Commissioner, Bihar. Under the State Level Menstrual Hygiene Management Programme, four-day residential training has been given to the Chief Master Trainers of all concerned departments. In the first phase, funds have been sent to all District Magistrates for installation of sanitary pad vending machines and incinerators at middle and high schools for girls located in the urban areas of all districts of Bihar.

8. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

The main objective of the scheme is to improve the health and nutritional status of pregnant/lactating women and to reduce complications during pregnancy. Under PMMVY, a cash incentive is provided as a partial compensation for the wage loss so that the woman can take adequate rest before and after delivery of the first child. Under this component, free meals during pregnancy and six months after childbirth are provided through local Anganwadi workers envisaged to meet the nutritional standards. In case of the first child, the amount of Rs. 5000 is given in two instalments and for the second child, the benefit of Rs. 6000 is provided, subject to the condition that the second child is a girl child, in one instalment after the birth. However, for availing benefits for the second child, registration during pregnancy is mandatory.

9. Supplementary Nutrition (Poorak Poshahar)

The programme is being implemented in 38 districts of the state through 1,15,009 Anganwadi centers (including mini) in 544 child development projects of the state. There is a provision to provide supplementary nutrition to all normal/malnourished/ severely malnourished children aged between 6 months and 6 years and all pregnant and lactating women. As per revised norms, there is a provision of Rs. 8.00 per day per child in the age group of 6 months to 6 yrs., Rs 9.50 per day per pregnant/lactating mother, and Rs 12.00 per day per severely malnourished children in the age group of 6 months to 6 yrs for 300 days in a year. The nutritional supplements are distributed and monitored by the Anganwadi Development Committee. As per Government of India norms, the cost sharing ratio between the Centre and the State is 50:50. Also, children enrolled for pre-school education in the age group of 03-06 years are provided with Sudha milk powder and poultry egg/roasted groundnut in addition to breakfast being provided at Anganwadi centers.

10. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

Under this scheme, widows in the age group of 40-79 years from BPL families are given Rs. 400 per month as pension, of which Rs. 300 is given by the Central Government and Rs. 100 by the State. The pensioners of this scheme after the age of 80 years are transferred to the Indira Gandhi Old Age Pension Scheme.

11. Laxmibai Social Security Pension Scheme

Under this scheme, widows aged 18 years or above whose annual income is Rs. 60,000 or who belong to BPL families but are not covered under Indira Gandhi National Widow Pension Scheme are given a pension of Rs. 400 per month. The total cost under this scheme is borne by the state government.

12. Old Age Home (Sahara)

Under the Bihar Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2012, old age homes 'Sahara' are being run in 06 districts of the state – Patna, Purnia, Gaya, Rohtas, Bhagalpur and West Champaran, which are being run through non-governmental voluntary organizations. The total housing capacity of these six old age homes is 450 with 401 elderly persons. A 100-bed old age home has been constructed in Gulzarbagh, Patna, Gaya and Purnia by the assistance of Building Construction Department.

13. Dress Scheme for Children of Anganwadi Centres

Registered children in the age group of 3-6 years undergoing pre-school education at all Anganwadi centers run in total 544 approved child development projects in the state will be given Rs. 100 per month. The rate of annual cost of Rs. 400/- per child is fixed for the uniform. This is totally funded by the state plan.

14. Asra Grih for Mentally Challenged/Sick Women and Girls

To provide residential care to mentally retarded/sick women or girls who are homeless or abandoned, from the year 2023-24, the Directorate of Empowerment of Persons with Disabilities is operating 03 Special Residential Homes (Shelter Homes) in Patna district for the housing of mentally retarded/sick women and girls, out of which 01 home is being operated at the government level and 02 homes are being operated through non-governmental voluntary organizations.

15. Scheme for Adolescent Girls (SAG)

SAG has been revised and subsumed under Mission Saksham Anganwadi and Poshan from April, 2022. The targeted beneficiaries under this scheme are girls aged 14-18 years in the Aspirational Districts. The SAG is implemented through 178 projects in 13 aspirational districts of Bihar. These districts are Araria, Aurangabad, Banka, Begusarai, Gaya, Jamui, Katihar, Khagaria, Muzaffarpur, Nawada, Purnea, Sheikhpura, and Sitamarhi. The scheme

consists of two components, viz., nutrition and non-nutrition. Under the nutrition component, supplementary nutrition containing 600 calories, 18-20 gm of protein and micronutrients is provided in the form of Take-Home Ration (THR) for a maximum of 300 days in a year. The non-nutrition component is based on convergence with different ministries wherein the Iron Folic Acid tablets supplementation, health check-up and referral services, nutrition and health education, skill training etc. is provided.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department

1. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Scholarship Scheme

Students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are provided various facilities from school level to college level through various scholarship schemes. The rates of scholarships are as follows:

Monthly for class 1-4 – Rs. 50

Monthly for class 5-6 – Rs. 100

Monthly for class 7-10 – Rs. 150

Hostel accommodation per month for class 1-10 – Rs. 250

Under the Post-Entrance Scholarship Scheme, monthly scholarship with full fees is provided as per the provision of the Central Government. In the financial year 2023-24, a total of 9,34,293 girl students have been benefited under this scheme.

2. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Medhavritti Yojana

Under this scheme which started in 2008-09, those students of Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities who appear for class-X examination from Bihar School Examination Board and pass the exam in the first division are given Rs. 10,000 and those who pass the board exam in the second division are given Rs. 8000 as an incentive amount. Similarly, since 2015-16, students belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe who pass their examination in class-XII, in first division are given Rs. 15000 and those who pass in second division are given Rs. 10000 respectively. In the financial year 2023-24, a total of 68,134 girl students have benefited from Rs 67.69 crore and in 2024-25, a total of 1,01,117 girl students have benefited from Rs 106.27 crore.

3. Awasiya Vidyalaya (Residential Schools)

The department runs 66 residential schools for Scheduled Caste students and 25 residential schools for Scheduled Tribe students, with a capacity of 25,600 Scheduled Caste and 7720 Scheduled Tribe students. The state government provides funds for the daily needs of the students, basic needs like study material, food, clothing, medicine, etc. It has been decided to upgrade all the residential schools to 10+2 level, out of which currently 26 residential

schools are being operated at +2 level and from 2024-25, 19 more residential schools will be operated at +2 level. Thus, a total of 37 residential schools are being run for SC and ST girls at present and four residential schools are co-ed. So far, 12,121 girl students are enrolled in residential schools in 2024-25.

4. Chhatrawas (Hostel)

The department runs 99 hostels for Scheduled Caste and 19 hostels for Scheduled Tribe students. So far, 49 new hostels have been approved for construction. Under residential facilities, students in the hostel are provided with cot, mattress, RO water, towel, bedsheet, blanket, pillow, mosquito net, study table, eating and cooking utensils, etc. At present, there are 7 hostels for SC girl students and 2 hostel for ST girl students. In the financial year 2024-25, administrative approval has been given for the construction of Savitribai Phule Girls Hostel (100 seats) in every district of the state under the "Chief Minister's Scheduled Caste and Scheduled Tribe Girls Hostel Scheme".

5. Prak Pariksha Prashikshan Kendra (Pre-Examination Training Centre)

At present, 10 pre-examination training centers for SC/ST are being run in various districts like Patna, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Saran, Bhojpur (Ara), Saharsa, Purnea, and Munger. There is a provision to give training to about 2400 candidates for various examinations at these centres. In addition, a Student Guidance Centre is being run at the Chandragupta Institute of Management, Patna, funded by the state government. In which there is a provision to train 60 students every year for the preparation of CAT etc. Under this program, the trainees will get the facility of enrollment in various premier management institutes of the country. In these centres, training is imparted to boys as well as girls.

6. Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Civil Seva Protsahan Yojana

Under this scheme, a lump sum amount of Rs 50,000/- (Fifty thousand rupees) is given to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates who pass the preliminary competitive examination conducted by BPSC for further preparation. Similarly, there is a provision of giving a lump sum benefit of Rs. 1,00,000/- (Rs. one lakh) to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates who pass the Civil Services (Preliminary) Competitive Examination conducted by the UPSC. Both men and women are covered under this scheme. So far, 1311 women have been benefited, on which a total amount of Rs. 658.50 lakh has been spent.

7. Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Chhatrawas Anudan Yojana

The scheme was started in the year 2018-19. Under this scheme, approval has been given for Scheduled Caste/Scheduled Tribe students studying to get the benefit of hostel grant at the rate of Rs. 1000 per month per student. At present, 170 girl students belonging to Scheduled Castes and 48 students belonging to Scheduled Tribes are being benefited from this scheme.

8. Khadyann Apurti Yojana

The scheme was started in the year 2018-19. Under this scheme, per month, 15 kilograms of food grains (9 kg rice and 6 kg wheat) are given to the students living in the hostels run by the department. Presently 170 Scheduled Caste and 48 Scheduled Tribe girl students are being benefited from this scheme.

9. Assistance under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

This scheme is being operated to provide assistance to those victims of atrocities who belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. Under this scheme, a relief amount is also provided to women.

10. Pradhan Mantri Scheduled Caste Abhyudaya Yojana

Under this scheme, a maximum grant of Rs. 50,000 is provided for the economic upliftment of Scheduled Caste men and women.

11. Mahadalit Vikas (Development of Mahadalits)

Bihar Mahadalit Vikas Mission is an autonomous unit constituted in 2007-08 under the Societies Registration Act, 1860 for the development of the Mahadalit community. The plan for their economic upliftment, infrastructure development scheme was approved through Bihar Mahadalit Vikas Mission. In the total sanctioned posts of 9820 Vikas Mitras in various districts of the state, participation of 50% women has been ensured. Under the Dashrath Manjhi Skill Development Scheme, there is a provision to impart training in various trades to young men and women of Mahadalit families through selected institutions for skill development. Under the school-cum-hostel scheme, 150 Mahadalit girls are being given the benefit of the scheme against the target of 150 in Patna and 100 Mahadalit girls are benefitted against the target of 100 in Gaya. In collaboration with Bihar Mahadalit Vikas Mission and Mahila Vikas Nigam, Patna, three groups of adolescent girls and one group of adolescent boys were formed with the support of Vikas Mitras in all districts of Bihar. The identified Vikas Mitras are also trained in collaboration with the Mahila Vikas Nigam for formation of Adolescent Groups in their Panchayat/Ward.

Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department

1. Mukhyamantri BC and EBC Pre-Matric Chhatravritti Yojana

In 2022-23, the State government has approved the Mukhyamantri BC and EBC Pre-Matric Chhatravritti Yojana to provide scholarships to students studying in class I to X under the state scheme. For the year 2023-24, total 56,18,656 students were benefited under the scheme. For the year 2024-25, a total amount of Rs. 875.00 crore has been approved.

2. Mukhyamantri BC and EBC Praveshekottar Chhatravritti Yojana

For the academic year 2022-23, the "Mukhyamantri BC and EBC Praveshekottar Chhatravritti Yojana -2023" has been approved under the state plan, replacing the earlier centrally sponsored scheme for providing scholarships to students of the Backward Class and Extremely Backward Class enrolled in post-graduate courses in all government and recognized non-government institutions within the state. In the financial year 2023-24, a total of 1,88,111 students have benefited so far. For the financial year 2024-25, an approval of Rs.226.78 crore has been granted.

3. Mukhyamantri EBC Medhavritti Yojana

Under this scheme, students of the Extremely Backward Class who are permanent residents of Bihar and have passed the Secondary (10th) Examination conducted by the Bihar School Examination Board (BSEB), Patna, with First Division, are provided a one-time scholarship of Rs.10,000 (per student. In the financial year 2024-25, a total of 1,07,442 students have benefited from the scheme so far.

4. Mukhyamantri BC Medhavritti Yojana

Under this scheme, students from the Backward Class who are permanent residents of Bihar and have passed the Secondary (10th) Examination with First Division conducted by the Bihar School Examination Board, Patna, and whose annual family income is Rs.1,50,000 or less, are provided a one-time scholarship of Rs.10,000 per student. This amount is provided to the female students of the Backward Class by the Department of Education. In the financial year 2024-25, a total of 75,958 students have benefited from this scheme.

5. Establishment of Directorate and Regional Offices

To facilitate the implementation of various schemes run under the Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department in the state, a Directorate has been established at the headquarters level and offices at the regional level. In the year 2024, out of the total 139 sanctioned posts for Sub-Divisional Backward and Extremely Backward Class Welfare Officers, 130 officers have been appointed.

6. Other Backward Class (OBC) Kanya Awasiya +2 Uchch Vidyalaya

Currently, a total of 39 Other Backward Class Girls Residential Higher Secondary Schools are operating, with 5,720 female students enrolled. Against the total of 1,365 created positions in various categories, 561 teachers have been appointed so far. Administrative approval has been granted for the construction of 39 Other Backward Class Girls Residential Higher Secondary Schools across all 38 districts. So far, the construction of 16 school buildings has been completed, and 23 are still under construction.

7. Other Backward Class Hostel Scheme

Currently, a total of 35 hostels for students of the Other Backward Class (OBC) have been constructed in the state. The construction of 11 more hostels is in progress. At present, 23 Other Backward Class hostels are being operated in 20 districts of the state for OBC students.

8. Jananayak Karpoori Thakur Chhatrawas Yojana

Under the Jananayak Karpoori Thakur Hostel Scheme, approval has been granted for the construction of one hostel in each district, with hostels currently operating in a total of 36 districts. The hostel in Siwan has been completed, while the construction process in Khagaria is in its final stage. In the aforementioned hostels, students are provided with free accommodation, along with a monthly stipend of Rs.1000 per student under the Chief Minister's Hostel Grant Scheme. Additionally, under the Hostel Food Distribution Scheme, each student receives 15 kilograms of food grains per month.

9. Mukhyamantri Extremely Backward Class Civil Seva Protsahan Yojana

The Mukhyamantri Extremely Backward Class Civil Seva Protsahan Yojana has been expanded to include various competitive exams conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi, the Central Staff Selection Commission, various State Public Service Commissions, various Banking Service Recruitment Boards (IBPS), and various Railway Recruitment Boards. Under this scheme, candidates from the Extremely Backward Class in the state who pass these exams will be provided with an incentive amount ranging from Rs.30,000 to Rs.1,00,000 as per the prescribed rate.

In 2024-25, a total of 5,958 candidates who have passed the Bihar Public Service Commission (BPSC) exam have been granted Rs.50,000 each, and 212 candidates who have passed the Civil Services (IAS) exam conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) have been granted Rs.1,00,000 each.

10. Prak Pariksha Prashikshan Yojana (Pre-Examination Training Scheme)

Under the Pre-Examination Training Scheme, the eligibility criteria have been revised, increasing the annual income limit from Rs.1.00 lakh to Rs.3.00 lakh. Currently, training centers are being operated in 37 districts across the state. An approval has been granted for the establishment of smart classrooms at all centers at the rate of Rs.2.5 lakh per centre.

11. Mukhyamantri Vyavsayik Pathyakram Margdarshan evam Utpreran Yojana

Under the scheme, students from the Backward Class and Extremely Backward Class are provided free coaching for preparation of professional courses such as management, law, and other related competitive exams, as well as for participation in appointments to higher academic positions. Since the financial year 2021-22, a total of 10 centres have been approved for this purpose.

Minority Welfare Department

1. Alpasankhyak Muslim Parityakta/Talakshuda Mahila Sahayata Yojana

To strengthen the economic condition of Muslim abandoned/divorced women, the state government started this scheme from 2006-07, intending to make them self-reliant by providing financial assistance. Under this scheme, each divorced and abandoned woman is provided one-time financial assistance of Rs.25,000. From 2017-18, the financial assistance provided has been increased from Rs. 10,000 to Rs. 25000.

2. State Post-Matric Scholarship Scheme

Under the Central Post-Matric Scholarship Scheme, Bihar's quota is fixed, but the total number of eligible applications exceeds the prescribed quota. As a result, a large number of eligible minority students miss out on the scholarship benefits. To address this issue and ensure that these students are provided the benefits, the state government launched the State Post-Matric Scholarship Scheme starting from the financial year 2017-18.

3. Mukhyamantri Vidyarthi Protsahan Yojana

Students from the minority community who have passed the Matriculation exam with First Division from the Bihar School Examination Board, or the Fauquania exam with First Division from the Bihar Madarsa Board, as well as minority (Muslim) female students who have passed the Intermediate exam with First Division from the Bihar School Examination Board, and minority female students who have passed the Maulvi exam with First Division from the Bihar Madarsa Board, are provided with an incentive amount. Additionally, a provision has been made to grant an incentive amount to students who have passed the Matriculation exam with First Division, keeping Bengali as one of the subjects, from the Bihar School Examination Board.

4. Mukhyamantri Shramshakti Yojana

The Mukhyamantri Shram Shakti Yojana has been operational since the financial year 2008-09 with the objective of providing self-employment and employment opportunities to minority youth. The aim of this scheme is to offer specialized training to young men and women from the minority community, thereby providing them with opportunities for employment.

5. State Coaching Scheme

To increase the representation of minority community students in jobs of Bihar Public Service Commission and other technical and professional competitions, a Coaching scheme for the preparation of competitive examinations has been started by the state government from 2006-07. Presently, the Coaching programme is being run in the Patna and Darbhanga districts.

6. Mukhyamantri Alpasankhyak Kalyan Chhatrawas Anudan/Khadyan Yojana

The scheme was started in 2018-19. Under this scheme, to promote higher education and increase the rate of higher education among students residing in minority welfare hostels, a grant of Rs. 1,000 per month is given to minority students. Also, 15 kilograms of food grains are provided per month free of cost.

7. Central Scholarship Scheme (Pre-Matric, Post-Matric, and Merit-cum-Means Based)

The centrally sponsored Pre-Matric, Post-Matric, and Merit-cum-Means based scholarships are entirely centrally funded schemes. The objective of this scheme is to provide financial assistance to minority students for their education. The Ministry of Minority Affairs, Government of India, directly transfers the amount to the beneficiaries' accounts.

8. Prime Minister's Jan Vikas Programme (formerly known as MSDP)

The centrally sponsored scheme, Prime Minister's Jan Vikas Programme (formerly known as MSDP), is implemented in identified minority-majority areas of the state. Under this scheme, infrastructure is developed in sectors such as education, health, and others.

Education Department

1. Participation of women in the employment of city/panchayat/zilla council teachers

In the recruitment of primary, secondary, and higher secondary teachers, school attendants, school assistants, physical education teachers, and health instructors in local bodies such as municipal councils, blocks, and district councils, 35% reservation has been provided for female candidates. As a result, the status and respect of women in society have increased, and their participation has fostered a sense of leadership development. Additionally, the number of working women has grown, and they have become so aware of their rights and raised their voices against social evils such as the dowry system. Moreover, along with population control, this scheme is proving to be a milestone in ensuring equal rights for women, on par with men.

2. Mukhyamantri Balika Cycle Yojana

The state government has taken steps to improve the condition of families and communities and take them out of the vicious cycle of poverty. The Mukhyamantri Balika Cycle Yojana was started in June 2007 to strengthen the role of women. This scheme has played an important role in changing the picture of villages. Teenager girls had to leave their studies midway despite their wishes to complete their education, such students studying in class-IX are provided with Rs. 3000 per girl to purchase a bicycle. This instills confidence in girls from remote areas also to get admission to the secondary level. This scheme has proved to be a revolutionary step in the education of women.

3. Mukhyamantri Balika Poshak Yojana

The Bihar Government has launched the Free School Uniform Scheme to encourage girls' education. This scheme has been implemented for girls studying at the primary, secondary, and higher secondary levels. The scheme has helped eliminate discrimination among girls studying in schools. For girls in primary schools (classes 1 to 5), a cash amount of Rs.400 per girl is provided for uniforms. For girls in classes 6 to 8, the cash amount is Rs.500 per girl. For girls in classes 9 to 10, Rs.700 is provided per girl, and for girls in classes 11 and 12, Rs.1,000 is given for uniforms. Additionally, for SC/ST girls in classes 9 to 12, an extra Rs.300 is provided for top-up expenses. Under the Bihar Shatabdi Chief Minister Girl's Uniform Scheme, girls studying in secondary, higher secondary, and intermediate colleges are provided Rs.1,500 per girl for their uniforms. The objective of this scheme is to create awareness about education and promote equality.

4. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Samagra Shiksha Abhiyan)

Bihar government has decided to cover every Panchayat with providing Secondary/Higher Secondary Schools. For this, the middle schools are upgraded through this centrally sponsored scheme and brought into this category. Under this scheme, high-quality education will be provided to children in the age group of 14 to 18 years. To eliminate social, economic and gender disparities and to improve the qualitative development of students, this scheme aims to appoint and train teachers while improving the curriculum for development. The implementation of the said scheme has increased the number of students at the secondary level in schools. Along with education, the safety of girls in the girls' hostel is also the aim of this scheme.

5. Mukhyamantri Kishori Swasthya Karyakarm

This scheme provides general information regarding reproductive health and specific knowledge about menstrual health and management to all girls enrolled in schools aged 12 years and above. Earlier, girls were often separated from many activities, such as sports, during this time. However, this scheme has instilled confidence in girls. Additionally, to ensure self-care during the menstrual cycle, sanitary napkins are provided at the rate of Rs.300 per year, and information about their disposal is given through teachers. The Bihar government's scheme has greatly removed the ingrained traditionalism, rigidity, and hesitation from the minds of girls.

6. Bihar Bal Bhawan 'Kilkari' Yojana

Bal Bhawan "Kilkari" has been running since 2008 for the creative development of children. In this scheme, children aged 8-16 years are being given free training in 25 types of activities. Children are strengthened mentally so that there is no discrimination between boys and girls. Kilkari has become an ambitious scheme to bring girls into the mainstream of society.

7. Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana

In the examination organized by Bihar School Examination Board of the Bihar Government, a scholarship of Rs.10,000 is provided to all categories of female students who pass the 10th-grade examination with first division, including general, backward, minority, extremely backward, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes. Scholarships are also given to female students enrolled in government schools, aided secondary schools, recognized madrasas, and Sanskrit (assisted) primary and secondary schools, from classes 1 to 10. For classes 1 to 4, the scholarship is Rs.50 per month; for classes 5 to 6, it is Rs.100 per month; and for classes 7 to 10, it is Rs.150 per month.

8. Midday Meal Scheme (PM Poshan)

Under this scheme, a mid-day meal is arranged in schools for children from class 1 to 6. This scheme has played an important role in maintaining social harmony and has significantly increased the enrolment rate of female students in schools. As a result, the government is continuously making significant improvements, such as introducing new features like menus, etc. to further enhance the coverage of the scheme.

9. Scheme of the Right to Free and Compulsory Education

Under the implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education, the government is committed to enroll 25% of the children of weaker and disadvantaged classes in recognized private schools. For this, the government gives grants to such schools. Students belonging to weaker and deprived sections of the society are being benefited by the scheme.

10. Mukhyamantri Paribhraman Yojana

Under the Chief Minister's Educational Tour Scheme, the government provides a grant of Rs.20,000 to each school for educational tours of students from government, recognized, and non-government aided (including minority) middle schools. The objective of this scheme is to enhance the balance of academic, practical, and mental knowledge among students. Visits to historical, geographical, and mythological sites are helping to significantly develop their self-confidence and knowledge.

11. Praudh Shiksha (Adult Education)

To increase the literacy rate, the government is promoting adult education. Adult women are taught to become literate and Mahapariksha is organized every year through this scheme to test their literacy. This has increased female literacy. Apart from this, the India Literacy Mission is also a successful programme which has increased the female literacy rate.

12. Samagra Shiksha Abhiyan

The Samagra Shiksha Abhiyan plays an important role in implementing the government's

ongoing schemes to ensure equal educational opportunities for all children in the state. Under the Right to Education Act, free and compulsory education has been made mandatory for children between the ages of 6 and 14 years. Through this scheme, the government is committed to transform schools into model schools, providing basic facilities, and constructing toilets in every school.

13. Rajkiya Mahila Prashikshan Mahavidyalaya

The state government is making a lot of efforts to increase women's education. Separate schools and colleges are being established for women in the state today. This step of the government makes girls self-reliant.

14. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (Kasturba Gandhi Residential School)

The main objective of Kasturba Gandhi Residential Girls School is to provide primary education to girls belonging to the deprived groups of the society like scheduled caste/scheduled tribe/backward class and minority community. Under this scheme, girls can now also study in a school away from their home.

15. ICT Project

Arrangement of computer training in secondary schools of the state through the Integrated Computer Training Project is being done. In this project, there is a provision to provide free computer education to the boys/girls of the state. Through this, on one hand, the feeling of equality is developing among girls and on the other hand, employment opportunities are being created.

16. Teacher Training Colleges

Various teacher training colleges have been established in the state to provide teacher training to boys and girls.

17. Unnayan Yojana

Through this programme, facility of online study, smart classes and other technical facilities will be provided to the students.

18. Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana (Intermediate Pass)

Under the Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana, which is operated by the Education Department as part of the Chief Minister's Kanya Utthan Yojana, financial assistance of Rs. 25000 is provided to female students who have passed the Intermediate (12th) examination. The amount is credited directly to their accounts as an incentive. Previously, many girls would discontinue their studies after passing matriculation. However, this scheme has encouraged girls to continue their education in higher classes. Today, the situation is such that more girls are enrolled in Intermediate courses than boys.

19. Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana (Graduate Pass)

Under the Chief Minister's Kanya Utthan Yojana, the Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana (Graduate Pass) is implemented by the Education Department. Under this scheme, female students who have completed their graduation are provided with an incentive amount of Rs. 50,000 which is credited directly to their accounts. This scheme has encouraged women to enrol in universities and higher institutions, sparked interest in their studies, ensured their participation in government services, and empowered them to establish themselves in private sectors.

20. Mukhyamantri Bihar Darshan Yojana

Under this scheme, government/government-aided/non-government aided (including minority) secondary school receive Rs. 20,000 for an educational tour of students. The objective of this scheme is to increase the balance between academic, practical and mental knowledge of the students. By visiting mythological, historical and geographical places, the self-confidence and knowledge of students is increasing.

21. Bihar Student Credit Card Scheme

Under the Saat Nishchay Programme 'Aarthik Haal, Yuvao ka Bal', the students of the state get loan up to a maximum of Rs. 4 lakh for higher education. Under this scheme, Bihar State Education Finance Corporation has been established to provide education loans to students at 4 percent annual interest for students and only 1 percent interest for girl students and the disabled.

22. PM Shri Scheme

The PM Shri Scheme schools demonstrate all the components of the National Education Policy 2020 and provide guidance to nearby schools for implementing the National Education Policy. It is noteworthy that, according to the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, the goal of the PM Shri Scheme is to establish over 14,500 schools nationwide (531 in Bihar).

Health Department

1. Janani awam Bal Suraksha Yojana

To bring about the desired reduction in maternal and child mortality, provision for incentive amount to promote institutional delivery has been made under Janani evam Bal Suraksha Yojana. This scheme started in Bihar in July 2006.

2. Incentive amount given on every institutional delivery

In rural areas, Rs. 1400 is given to every pregnant woman after delivery and Rs. 600 to Asha (applicable from April 1, 2013), and in urban areas, Rs. 1000 is given to female beneficiaries and Rs. 400 to Asha/Anganwadi workers.

3. Female sterilization

Under the Family Planning Programme, permanent measures of family planning, the facility of female sterilization is available for two days a week in Primary Health Centers and every day in District Level Hospital and First Referral Unit (FRU). In Bihar, under Mission Parivar Vikas, an incentive amount of Rs. 2000 is given to the beneficiary and an incentive amount of Rs. 300 is given to the motivator for female sterilization.

For post-natal sterilization of women, an incentive amount of Rs. 3000 is given to the beneficiary and an incentive amount of Rs. 400 is given to the motivator.

For the sterilization of women after abortion, an incentive amount of Rs. 2000 is given to the beneficiary and an incentive amount of Rs. 300 is given to the motivator.

4. IUCD (Copper-T)

This is a temporary method that can be used for a long period. IUCD 380A is effective for ten years and IUCD 375 is effective for five years. Copper-T service is being provided free of cost in additional primary health centres.

5. Prasavoparant (PPIUCD)

Within 48 hours of IUCD insertion, an amount of Rs. 300 is being given to the beneficiary as work compensation. To motivate the beneficiaries and to bring them to health institution for insertion of IUCD, Rs. 150 per case is given to Asha (urban and rural) after the insertion of IUCD. For PPIUCD insertion, Rs. 150 per case is being paid as an incentive to the service provider (MO/SN/ANM/LHV) for insertion of IUCD.

6. Abortion (PAIUCD)

As per the rules, after abortion, within 12 days, an amount of Rs. 300 is given as work compensation to the beneficiary immediately after the insertion of PAIUCD. After the insertion of PAIUCD, Rs. 150 per case is being paid as an incentive to motivator Asha (urban and rural) and Rs. 150 per case is paid as an incentive to the service provider (MO/SN/ANM/LHV) for installation of PAIUCD.

7. Contraceptive Injection (Antara)

It is an intramuscular hormonal contraceptive. This is a temporary remedy, as an inoculation (injection) which remains effective for three months. For long-term protection, an injection is required every three months. An incentive amount of Rs. 100 per needle is given to the beneficiary for getting an intravenous injection. Asha is given Rs. 100 per injection to motivate the beneficiary.

8. Mamta Programme

In this, women from Scheduled Castes, especially Ravidas group, are appointed mainly to

provide care and other facilities to pregnant women and newborn babies. Under this programme, an incentive amount of Rs. 300 per delivery is distributed among the Mamtas.

9. ASHA Programme

Under this programme, women are selected as accredited social health workers. Generally, in a population of one thousand or in one Anganwadi center, one woman works as an ASHA worker. They are paid incentives under NHM as wages.

Rural Development Department

1. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) (Rural)

To provide assistance for construction of permanent houses with basic facilities to all the homeless and families living in kutchra and dilapidated houses in rural areas, PMAY (Rural) is implemented from 2016-17 by reorganizing Indira Awas Yojana. Under the scheme, eligible beneficiaries are given Rs. 1.20 lakh per beneficiary in general districts and an assistance amount of Rs 1.30 lakh per beneficiary in 11 (eleven) Integrated Action Plan (IAP) districts of the state, which are - Arwal, Aurangabad, Gaya, Jamui, Jehanabad, Kaimur, Munger, Nawada, West Champaran, Rohtas and Sitamarhi. The amount is provided in three installments and is directly transferred from the state-level nodal account to the bank accounts of the beneficiaries through the e-FMS system. Under the scheme, priority is given to the female member of the family. A total of 3935471 houses have been approved under the scheme till December, 2024. In this, 1450715 houses have been approved in the name of women members. 1766944 houses have been sanctioned jointly by male and female members.

2. Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayta Yojana

Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayta Yojana is operational in the state from 2018-19. Landless people and the families who are displaced due to removal of encroachments and are unable to get residential land through the Department of Revenue and Land Reforms during the Jal-Jeevan-Hariyali Abhiyan are provided financial assistance to purchase residential land under Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayta Yojana. Also, the families without land for residence including the waiting list of PMAY-Rural are provided financial assistance by the state-supported scheme. In 2023-24, the amount of assistance given to the beneficiaries for purchasing land has been increased from Rs. 60 thousand to a maximum of Rs. 1 lakh on the basis of the Local Assessment Register (LAR). Under the scheme, priority is given to the women of the family and till now, assistance amount has been transferred to 4070 beneficiaries at the rate of Rs. 60 thousand per beneficiary, thus a total expenditure of Rs. 2442.00 lakh has been incurred.

3. Mukhyamantri Grameen Awas Yojana

This state-sponsored scheme is operational from 2018-19. Under this scheme, the families of SC, ST and EBC whose houses were built under various housing schemes before January 01, 1996, and are currently dilapidated and who are already availing the benefits of the housing scheme, are provided with assistance. Under this, people who are not eligible for the PMAY (Rural) are provided assistance for the construction of houses. Apart from this, eligible families of 5 blocks, namely Bochaha, Kanti, Meenapur, Motipur and Mushahari of Muzaffarpur District who are highly affected by Acute Encephalitis Syndrome (AES) and are left out of the waiting list of the PMAY (Rural), are provided assistance for the construction of houses as per the availability of funds for all the houseless deserving families of the state. Under this scheme, Rs. 1.20 lakh per beneficiary is given for the construction of houses in general districts and Rs 1.30 lakh per beneficiary is provided in three instalments in 11(eleven) Integrated Action Plan (IAP) districts of the state. The assistance amount is being transferred directly from the state-level nodal account to the bank accounts of the beneficiaries. Under this scheme, a total of 86431 beneficiaries have been sanctioned houses till December, 2024 against the physical target of 87379 fixed for the construction of houses for the financial years 2018-19, 2021-22 and 2023-24. Out of these, 78,043 beneficiaries have completed the construction of houses. Under the scheme, accommodation is sanctioned only in the name of women members. In some cases, accommodation is sanctioned jointly and in the absence of a female member in the family, in the name of a former member of the family. In 2024-25, a total expenditure of Rs 41072.65 lakh has been incurred so far.

4. Mukhyamantri Grameen Awas Sahayta Yojana

This state-sponsored scheme is operational from 2020-21. Under the Mukhyamantri Grameen Awas Sahayta Yojana, Rs. 50 thousand is provided to the families of SC, ST and EBC whose houses are in incomplete condition and who got the benefit of housing under Indira Awas Yojana before April 1, 2010. Under this scheme, a total of 43611 beneficiaries have been sanctioned housing till December, 2024 against the physical target of 44279 set for the financial year 2023-24 and 2024-25. Out of these, 38,358 beneficiaries have completed the construction of houses. An expenditure of Rs. 21879.70 lakh has been incurred on the implementation of the scheme so far. Out of these, a total of Rs 7184.5 lakh has been spent so far in the financial year 2024-25. Under the scheme, priority is given to the women of the family.

5. Lohiya Swachh Bihar Abhiyan (LSBA)

LSBA was launched by consolidating the centrally sponsored Swachh Bharat Mission (Rural) and the state-funded 'Lohiya Swachhta Yojana' to achieve the goal of Shauchalay Nirman- Ghar ka Samaan under Saat Nishchay-1. The scheme facilitates the availability of

toilets and its continuous use in the rural areas of the state. Identified eligible families (all SC and ST families, small and marginal farmers, landless labourers, disabled people and women-headed families) get an incentive amount of Rs. 12,000 for the construction of toilets. Also, the category-I families left out of the Swachh Bharat Mission (Rural) are covered under LSBA. In the second phase of LSBA, under Saat Nishchay-2, a resolution of 'Clean Village - Prosperous Village' was taken. To achieve this goal, the state government approved the operation of the LSBA-Second Phase in September, 2021. Under this, it is targeted to make all the Gram Panchayats of the state “ODF-Plus” through solid and liquid waste management in a phased manner while maintaining the sustainability of freedom from open defecation. Under the second phase, 21.56 million toilets have been constructed, out of which, as of the financial year 2024-25 (up to December, 2024), 4.86 million toilets have been self-constructed by beneficiaries. Under Construction of Community Sanitation Complexes, to provide toilet facilities to landless families, especially Scheduled Castes, Scheduled Tribes families, and temporary populations, a total of 9,291 community sanitation complexes have been constructed in rural areas from the year 2019-20 to date.

6. Jeevika - Bihar Rural Livelihood Promotion Society

Bihar Rural Livelihood Promotion Society (Jeevika), an ambitious project of the Government of Bihar, is working for the development, empowerment of women and eradication of rural poverty in Bihar. Under this, continuous work is being done on financial support, account management and other points for a livelihood by creating institutional organizations for women from poor families.

(a) Social Inclusion

A total of 10.63 lakh Self-Help Groups have been formed so far, connecting more than 1.31 crore families to these groups. Additionally, 71,110 village organizations and 1,673 cluster federations have been established. To provide training to community professionals, 26 training and learning centers are being operated. In addition, 399 cluster federations and 22 training and learning centers have been registered under the Cooperative Act.

(b) Financial Inclusion

So far, 10.35 lakh Self-Help Groups have opened savings bank accounts with various banks, and a total of Rs.47,563 crore has been provided as loans. Group members have collectively saved Rs. 2,124.92 crore. Under the plan to open Financial Customer Service Centers, a total of 5,986 Bank Sakhi have been trained, and customer service centers have been established. The Bank Sakhis handle a daily transaction of Rs.11 to Rs.12 crore, with a total of Rs.14,962 crore accumulated in transactions so far. Additionally, Bank Sakhis have opened a total of 10,36,480 bank accounts and earned Rs.35.89 crore in commissions. For rural family life insurance, 85.54 lakh members associated with Self-Help Groups have been insured so far.

(c) Agricultural Activities

So far, 34.26 lakh small and marginal farmers have been linked to agricultural activities. Farmers are being encouraged, their products are being collected, and linked to markets through 67 producer companies operated by women. In coordination with the Agriculture Department, 483 Custom Hiring Centers have been established and are being operated by cluster federations. To promote organic farming by women, 85 organic clusters are being developed in 35 blocks, benefiting 6,832 farmers. In the agriculture sector, 5,178 agricultural enterprises have been established.

(d) Social Development

To ensure food availability, Rs.50,000 is provided to village organizations under the Food Security Fund and Rs.1 lakh under the Health Security Fund. Under this, 47,000 village organizations have provided food security funds to the needy families. Additionally, 52,000 village organizations have been provided health security funds to overcome health-related challenges. So far, 4,500 farmers have been linked to the Chief Minister's Koshi Mulberry Project through 67 producer groups, benefiting them significantly. In coordination with the Environment, Forest and Climate Change Department and MNREGA, 867 nurseries have been developed by group members. Through these nurseries, a total of 4.01 crore fruit-bearing and shade trees have been planted. With the support of the Ministry of New and Renewable Energy, a Shreeptm Company has been established in Gaya district, under which 382 group members are involved in manufacturing solar lamps. So far, 174 blocks have been operating Didī Adhikar Kendras, which are managed by capable Jeevika Didi (community women). These centers act as a help desk for people visiting the block offices. Under the Disaster Risk Reduction Roadmap (2015-2030), 2,136 disaster trainers have trained 3,691,008 Jeevika Didis in various modules related to natural disasters.

(e) Skill Development

In collaboration with Jeevika and various project implementation agencies, skill development training is provided to youth in demand-based sectors such as retail business, hospitality, health, construction, auto, electricity, etc., at various training centers. So far, approximately 4.08 lakh youths have been trained in the field of skill development and employment, with at least 70 percent of them either employed or self-employed. Two Bihar Migrant Resource Centres have been established by Jeevika in Delhi and Bangalore.

7. Sustainable Livelihood Scheme

Under the Sustainable Livelihood Scheme, a public welfare program operated by the state

government for the extremely poor families, a total of 201,218 families have been selected so far. Out of the selected 201,218 extremely poor families, 174,202 families have been provided with livelihood gap funding, and 187,900 families have been transferred integrated assets.

8. MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)

Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), a provision is made to provide 100 days of unskilled employment to adult members of all willing rural families, ensuring that the poor and unemployed families living in rural areas of the state benefit the most from this program. It also aims to prevent rural-to-rural migration for employment in other states, thereby providing social security. This is a centrally sponsored scheme. In this scheme, the central government bears 100% of the expenditure on the wages of unskilled labourers as per the wage rate determined by the central government, and 75% of the expenditure for materials, with the remaining 25% being borne by the state government. Additionally, the central government allocates 6% of the total expenditure for administrative expenses in a financial year.

Revenue and Land Reforms Department

1. Abhiyan Basera Karyakarm

This was implemented from 2014-15 for landless families/individuals residing in rural areas of the state. The Mukhyamantri Grihsthal Kray Sahayata Yojana is being implemented to provide land to landless families in rural areas, especially those from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, in case of unavailability of government land. Under this scheme, assistance of Rs.1,00,000 is provided for purchasing land. Under this scheme, land is primarily purchased and registered in the name of women. The Abhiyan Basera Karyakarm is being implemented to ensure the availability of residential land to landless families in rural areas. Under the Basera Programme, eligible landless families, especially those from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and women members of these families, are provided with land. For the purchase of private land under the Grihsthal Kray Sahayata Yojana for landless families, an allocation of Rs.3,00 crore has been made for the financial year 2024-25 for Other Backward Classes, Rs.15,00 crore for Scheduled Caste landless families, and Rs.2,00 crore for Scheduled Tribe landless families. In most cases, the land is purchased in the name of the female members of the eligible families.

Industry Department

1. Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana

In order to promote entrepreneurship/self-employment among the women of the state, in continuation of the Mukhyamantri SC/ST/EBC Entrepreneur Scheme, Mukhyamantri

Mahila Udyami Yojana under Saat Nischay-2 has been implemented from 2021-22. Under this scheme, 50 percent of the total project cost (per unit) up to a maximum of Rs. 10.00 lakh will be sanctioned as an interest-free loan to women setting up industries and it is repaid after one year of payment of the last instalment under the scheme. The recovery is made by Bihar Start-up Fund Trust in 84 equal instalments. The remaining 50 percent amount of the scheme will be approved as a grant. The total project cost will be 50:50 loan and grant. Apart from this, Rs. 25,000 per unit is spent on training of all the beneficiaries and assistance to the project monitoring committee. This scheme is implemented by the Bihar Start-up Fund Trust. In the financial year 2025-26, out of the total budget provision of Rs 25000 lakh under this scheme, 100 percent i.e. Rs 25000 lakh is proposed to be spent on training, loan and subsidy of women entrepreneurs.

Public Health and Engineering Department

1. Mukhyamantri Peyjal Nishchay Yojana

Under this scheme, the department is constructing piped water supply systems in a total of 56,447 wards in both quality-affected and non-quality-affected areas, as part of the "Har Ghar Nal Ka Jal" (water connection to every home) plan. The work includes the provision of household water connections. In all these drinking water supply projects, the estimated expenditure on women's development is approximately 45%, and the expenditure on child welfare development is approximately 15%.

Transport Department

1. Exemption in vehicle taxes for women

If a three-wheeler, taxi, motor cab, maxi cab is registered in the name of a woman herself who drives the vehicle or any other woman having a commercial driving license issued by the Transport Department, in that case, she gets 100 percent exemption in vehicle tax.

Excise and Registration Department

1. Exemption on Stamp Duty and Registration Fees

Under the Women Empowerment Policy 2015, the department has granted a 5% exemption in stamp duty and registration fees on the registration of sale deeds and gift deeds in the name of women. This will have a positive social impact as it will increase the transfer of documents in favour of women, thereby enhancing women's control over immovable property.

Panchayati Raj Department

1. Participation of Women in Elected Representatives of the Three-Tier Panchayati Raj Institutions

With the aim of realizing the core spirit of decentralization of power enshrined in the 73rd Amendment of the Constitution, powers and responsibilities are being gradually entrusted to the three-tier Panchayats to ensure public participation in development activities at each level. To make women equal partners in social and political spheres within the three-tier Panchayati Raj Institutions, a provision of 50% reservation for female candidates in elections has been made. As a result, women's contributions and active participation in political and social fields have increased.

2. Participation of Women in Gram Kachahari

Under the Panchayati Raj Act of Bihar, Gram Kachahari has been established at the level of each Gram Panchayat. Section 106 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, attempts to provide inexpensive and accessible justice at the rural level. A provision of 35% reservation for women has been made in the appointment of Gram Kachahari Secretary and Nyaymitra . Due to the 50% reservation for women in Panchayati Raj Institutions, women's participation in Gram Kachahari has continuously increased. In 2021, the percentage of female Panchs and Sarpanchs reached 59.55%. These provisions have strengthened the protection of women's rights at the Panchayat level.

3. Other Initiatives by the Panchayati Raj Department for Women's Development

Under the recommendations of the Sixth State Finance Commission, public libraries with free Wi-Fi facilities are being constructed in all Gram Panchayats. This will aid in the educational and economic development of talented and marginalized students and women in rural areas. Under the recommendations of the 15th Finance Commission, open gyms and public toilets are being established in each Gram Panchayat. A provision has been made to organize women's general assemblies at Panchayat/Gram level at every Panchayat government building.

Labour Resources Department

1. Establishment of New Women's Industrial Training Institutes

Under this scheme, with the aim of strengthening the supply side of skilled female technical workers, one Women's Industrial Training Institute (ITI) has been opened in each unserved district headquarters. A total of 31 Women's ITIs are being operated under this initiative. To integrate women into the mainstream of society, new popular trades have been introduced in previously established Women's ITIs in the state, considering modern trends and demands. These new trades include Electronics Mechanic, ICTSM, Computer-Aided Embroidery and

Designing, Internet of Things Technician, Additive Manufacturing Technician, Electrician, and others. As part of this scheme, new trades have been introduced in 15 Women's ITIs located in districts like Patna, Muzaffarpur, Motihari, Darbhanga, Ara, Siwan, Gaya, Munger, Purnia, Katihar, Begusarai, Kishanganj, Saharsa, Saran, and Jehanabad.

2. Administration of Industrial Training Institutes by the State Council

To strengthen the supply side of skilled female workers, one Women's Industrial Training Institute has been opened in each unserved district headquarters, with a total of 7 Women's ITIs being operated. These 7 institutes are operated under the establishment and committed expenditure provisions.

3. Employment and Vocational Guidance Programme

This scheme includes the implementation of four key programs, which are as follows:

a. Employment and Vocational Guidance Fair

Under this programme, an employment and vocational guidance fair is organized once a year at the divisional and district levels by the Directorate of Employment to help candidates avail job opportunities in the private sector. The Employment Office facilitates the event by receiving vacancy information from private employers. In the fair, employers select candidates based on their own processes and offer them job opportunities. Women also participate in this scheme. In the financial year 2024-25, 1,094 women were provided with employment opportunities.

b. Employment Camps

Employment camps are held monthly at sub-regional and district employment offices to provide job opportunities to candidates in the private sector. The Directorate of Employment organizes these camps where employers conduct their selection processes and offer job opportunities. Women are also part of this scheme. In 2024-25, 700 women were provided with employment opportunities.

c. Career Information Centres

Career Information Centres are operational in all sub-regional employment offices, district employment offices, and university employment information and guidance centres. These centres offer newspapers, magazines, books, and other career-related information to candidates preparing for competitive exams. Candidates who wish to benefit from job opportunities through competitive exams receive assistance from these centres. Women also participate in this scheme.

d. Study Kit for Competitive Exam Preparation

For candidates from weaker sections (such as women, disabled persons, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, economically disadvantaged, and backward classes), a

study kit is provided for preparing for competitive exams. The kit's maximum value is Rs. 5,000. The scheme ensures 30% female participation, and instructions have been issued for its implementation.

4. Tool Kit for Self-Employment

Under this scheme, for individuals trained in recognized institutes in various trades (such as electronics, mechanical, etc.), a tool kit worth up to Rs. 15,000 is provided to promote self-employment. Women's participation is also encouraged in this scheme with a goal of 30% female participation.

5. Bihar Skill Development Mission (Seven Resolves 2.0)

Under this initiative, skill development centres are being established across various districts to train skilled technical workers. The mission sets a target of 30% expenditure for women. In the financial year 2023-24, approximately 52% of the beneficiaries were women.

6. Skill Development Scheme (LWE)

Under the Skill Development Scheme, training and expenditure for male and female youth are carried out through nine ITIs and skill development centres. A 30% expenditure for women is targeted under this initiative.

Legal Department

1. Implementation of the Bihar Victim Compensation Scheme for Women

The Ministry of Home Affairs, Government of India, formulated the Victim Compensation Scheme, and in connection with acid attacks, sale of acid, and other matters related to minor victims, the Hon'ble High Court of India provided directives that led to the creation of the Bihar Victim Compensation Scheme, 2011. Later, this scheme was modified in line with the directives of the Hon'ble Supreme Court and notified as Bihar Victim Compensation Scheme, 2014. The scheme was further revised by the National Legal Services Authority (NALSA), which created the Victim Compensation Fund under the guidelines issued in 2018, and the scheme was approved by the Hon'ble Supreme Court. Consequently, the Bihar Victim Compensation Scheme, 2014 was amended and implemented as Part 2 of the scheme.

Through this scheme, financial compensation is provided to victims of acid attacks, rape, physical abuse of minors, human trafficking victims, sexual assault (excluding rape), foeticide, and loss of reproductive capacity. The compensation is provided as determined amounts under the scheme.

The implementation of this scheme is carried out by the Bihar State Legal Services Authority in Patna. For the financial year 2023-24, a total of Rs.20.00 crores was allocated, and for 2024-25, Rs.25.00 crores was approved.]

Urban Development and Housing Department

1. Housing for All Scheme (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban)

The main goal of this scheme is to provide permanent housing to those without a permanent house. Approximately 30% of the urban population consists of women, and this scheme aims to cover 30% of women as beneficiaries.

2. Smart City Mission

This scheme aims to develop four urban municipalities (Patna, Bihar Sharif, Bhagalpur, and Muzaffarpur) as smart cities.

Gender Budget 2025 – 26

Table 5 : Department-wise Statement

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2023-24 (Gender Budget Actual)	2024-25 (Gender Budget BE)	2024-25 (Gender Budget RE)	2025-26 (BE)	2025-26 (Gender Budget BE)
1	Agriculture Department	52195.80	85204.81	97699.93	280226.99	84068.10
3	Building Construction Department	37651.04	63921.20	90197.23	132823.11	67067.26
8	Art, Culture and Youth Department	1647.11	1797.25	2037.24	411360.24	10498.49
11	BC & EBC Welfare Department	121182.29	84840.16	85354.33	171822.90	84991.78
16	Panchayati Raj Department	38590.60	36041.46	34469.48	448596.84	224298.44
18	Food & Consumer Protection Department	59077.53	40937.38	62118.44	89979.91	42290.56
19	Enviroment, Forest & Climate Change Department	5507.28	7256.20	9904.71	19742.98	7675.48
20	Health Department	204465.11	188035.54	209621.10	663847.71	213041.63
21	Education Department	1354716.34	1300499.84	1962904.54	4965960.47	1795991.18
22	Home Department	674.70	715.00	715.00	71.00	71.00
23	Industry Department	63898.70	59080.40	72998.00	109101.00	58640.40
26	Labour Resource Department	11608.50	21853.64	21026.10	61806.00	21131.80
27	Law Department	0.00	0.00	0.00	3000.00	1800.00
30	Minority Welfare Department	12079.90	23440.00	22942.60	40801.00	22020.40
33	General Administration Department	0.00	36148.47	37277.41	124263.19	43492.12
36	Public Health Engineering Department	92602.49	65144.25	73238.85	225217.00	101382.65
40	Revenue & Land Reform Department	34574.50	57345.26	69983.90	194840.76	59152.23
42	Rural Development Department	4587860.40	997357.57	1048131.80	1528705.70	1124208.93
43	Science, Technology & Technical Education Department	47315.00	35102.23	36211.67	108149.71	37928.72
44	SC & ST Welfare Department	59167.11	75374.88	74750.30	184989.49	75186.40
46	Tourism Department	9121.86	13100.00	37600.00	81000.00	40500.00
47	Transport Department	3624.57	4641.46	4417.16	17691.96	5307.59
48	Urban Development & Housing Department	272729.95	238583.37	254130.65	615599.91	185008.59
51	Social Welfare Department	498457.68	460790.94	724942.75	870892.56	553338.42
52	Department of Sports	396.19	6152.92	6704.17	18740.78	6559.26
TOTAL		7569144.65	3903364.23	5039377.36	11369231.21	4865651.43

Gender Budget 2025 – 26

Table 6 : Department-wise Gender Budget F.Y 2025-26

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	Budget Provision (Identified Budget Head)	100% Amount Allotted for Women	Minimum 30% Amount Allotted for Women	Total Gender Budget
1	Agriculture Department	280226.99	0.00	84068.10	84068.10
3	Building Construction Department	132823.11	0.00	67067.26	67067.26
8	Art, Culture and Youth Department	411360.24	0.00	10498.49	10498.49
11	BC & EBC Welfare Department	171822.90	9512.92	75478.86	84991.78
16	Panchayati Raj Department	448596.84	0.00	224298.44	224298.44
18	Food & Consumer Protection Department	89979.91	0.00	42290.56	42290.56
19	Enviroment, Forest & Climate Change Department	19742.98	0.00	7675.48	7675.48
20	Health Department	663847.71	19839.02	193202.61	213041.63
21	Education Department	4965960.47	89084.64	1706906.54	1795991.18
22	Home Department	71.00	71.00	0.00	71.00
23	Industry Department	109101.00	25000.00	33640.40	58640.40
26	Labour Resource Department	61806.00	3700.00	17431.80	21131.80
27	Law Department	3000.00	0.00	1800.00	1800.00
30	Minority Welfare Department	40801.00	100.00	21920.40	22020.40
33	General Administration Department	124263.19	0.00	43492.12	43492.12
36	Public Health Engineering Department	225217.00	0.00	101382.65	101382.65
40	Revenue & Land Reform Department	194840.76	1000.00	58152.23	59152.23
42	Rural Development Department	1528705.70	548501.00	575707.93	1124208.93
43	Science, Technology & Technical Education Department	108149.71	117.41	37811.31	37928.72
44	SC & ST Welfare Department	184989.49	0.00	75186.40	75186.40
46	Tourism Department	81000.00	0.00	40500.00	40500.00
47	Transport Department	17691.96	0.00	5307.59	5307.59
48	Urban Development & Housing Department	615599.91	0.00	185008.59	185008.59
51	Social Welfare Department	870892.56	119734.55	433603.87	553338.42
52	Department of Sports	18740.78	0.00	6559.26	6559.26
TOTAL		11369231.21	816660.54	4048990.89	4865651.43

Gender Budget 2025 – 26 Department-wise Statement

Table 7 : Establishment and Committed Expenditure

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2023-24 (Gender Budget Actual)	2024-25 (Gender Budget BE)	2024-25 (Gender Budget RE)	2025-26 (BE)	2025-26 (Gender Budget BE)
03	Building Construction Department	7482.93	11648.28	29113.26	34162.53	13665.01
08	Art, Culture and Youth Department	226.00	643.75	883.74	406420.24	8294.49
11	BC & EBC Welfare Department	2844.72	6392.06	7231.26	12222.91	10333.91
16	Panchayati Raj Department	23298.90	33814.02	33242.03	445796.84	222848.44
20	Health Department	10191.46	12839.95	18097.18	20782.84	13822.17
21	Education Department	296437.17	466363.24	486829.59	2996636.47	1049820.97
22	Home Department	35.19	50.00	50.00	42.00	42.00
27	Law Department	0.00	0.00	0.00	3000.00	1800.00
33	General Administration Department	0.00	30058.47	31187.41	105056.41	36769.75
40	Revenue & Land Reform Department	28602.67	43653.07	44452.83	152640.80	45792.24
43	Science, Technology & Technical Education Department	30991.49	20666.48	20899.24	67349.71	23648.72
44	SC & ST Welfare Department	7311.48	10242.51	9385.65	37153.31	12545.25
47	Transport Department	3624.57	4641.46	4417.16	17691.96	5307.59
51	Social Welfare Department	838.93	1937.95	1937.95	1975.30	1975.30
52	Department of Sports	122.95	902.92	929.17	2588.54	905.98
TOTAL		412008.46	643854.16	688656.47	4303519.86	1447571.82

Amount shown in total is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget

Gender Budget 2025 – 26 Department-wise Statement

Table 8 : Scheme (State Scheme/Central Scheme)

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2023-24 (Gender Budget Actual)	2024-25 (Gender Budget BE)	2024-25 (Gender Budget RE)	2025-26 (BE)	2025-26 (Gender Budget BE)
01	Agriculture Department	52195.80	85204.81	97699.93	280226.99	84068.10
03	Building Construction Department	30168.11	52272.92	61083.97	98660.58	53402.25
08	Art, Culture and Youth Department	1421.11	1153.50	1153.50	4940.00	2204.00
11	BC & EBC Welfare Department	118337.57	78448.10	78123.07	159599.99	74657.87
16	Panchayati Raj Department	15291.70	2227.44	1227.45	2800.00	1450.00
18	Food & Consumer Protection Department	59077.53	40937.38	62118.44	89979.91	42290.56
19	Enviroment, Forest & Climate Change Department	5507.28	7256.20	9904.71	19742.98	7675.48
20	Health Department	194273.65	175195.59	191523.92	643064.87	199219.46
21	Education Department	1058279.17	834136.60	1476074.95	1969324.00	746170.21
22	Home Department	639.51	665.00	665.00	29.00	29.00
23	Industry Department	63898.70	59080.40	72998.00	109101.00	58640.40
26	Labour Resource Department	11608.50	21853.64	21026.10	61806.00	21131.80
27	Law Department	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Minority Welfare Department	12079.9	23440.00	22942.60	40801.00	22020.40
33	General Administration Department	0	6090.00	6090.00	19206.78	6722.37
36	Public Health Engineering Department	92602.49	65144.25	73238.85	225217.00	101382.65
40	Revenue & Land Reform Department	5921.33	13692.19	25531.07	42199.96	13359.99
42	Rural Development Department	4587860.40	997357.57	1048131.80	1528705.70	1124208.93
43	Science, Technology & Technical Education Department	16323.51	14435.75	15312.43	40800.00	14280.00
44	SC & ST Welfare Department	51855.63	65132.37	65364.65	147836.18	62641.15
46	Tourism Department	9121.86	13100.00	37600.00	81000.00	40500.00
47	Transport Department	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Urban Development & Housing Department	272729.95	238583.37	254130.65	615599.91	185008.59
51	Social Welfare Department	497618.75	458852.99	723004.80	868917.26	551363.12
52	Department of Sports	273.24	5250.00	5775.00	16152.24	5653.28
TOTAL		7157085.69	3259510.07	4350720.89	7065711.35	3418079.61

Amount shown in total is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget

Gender Budget 2025 – 26 Department-wise Statement

Table 9 : Class-A- 100% for Women

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2023-24 (Gender Budget Actual)	2024-25 (Gender Budget BE)	2024-25 (Gender Budget RE)	2025-26 (Gender Budget BE)
11	BC & EBC Welfare Department	2557.72	5941.56	6758.65	9512.92
20	Health Department	107035.76	10856.88	42181.88	19839.02
21	Education Department	198415.23	75554.11	267767.61	89084.64
22	Home Department	674.70	715.00	715.00	71.00
23	Industry Department	15463.00	25000.00	25000.00	25000.00
26	Labour Resource Department	2147.55	2853.46	3132.11	3700.00
30	Minority Welfare Department	165.00	200.00	200.00	100.00
40	Revenue & Land Reform Department	28.34	2000.00	2000.00	1000.00
42	Rural Development Department	77859.17	455350.00	475329.84	548501.00
43	Science, Technology & Technical Education Department	17647.74	107.34	107.34	117.41
51	Social Welfare Department	88189.86	106795.49	141842.00	119734.55
TOTAL		510184.07	685373.84	965034.43	816660.54

Amount shown in total is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget

Gender Budget 2025 – 26 Department-wise Statement

Table 10 : Class-B- 30% for Women

(Rs. In lakh)

Demand No.	Departments	2023-24 (Gender Budget Actual)	2024-25 (Gender Budget BE)	2024-25 (Gender Budget RE)	2025-26 (BE)	2025-26 (Gender Budget BE)
1	Agriculture Department	52195.80	85204.81	97699.93	280226.99	84068.10
3	Building Construction Department	37651.04	63921.20	90197.23	132823.11	67067.26
8	Art, Culture and Youth Department	1647.11	1797.25	2037.24	411360.24	10498.49
11	BC & EBC Welfare Department	60562.74	78898.60	78595.68	162309.98	75478.86
16	Panchayati Raj Department	38590.60	36041.46	35469.48	448596.84	224298.44
18	Food & Consumer Protection Department	59077.53	40937.38	62118.44	89979.91	42290.56
19	Enviroment, Forest & Climate Change Department	5507.28	7256.20	9904.71	19742.98	7675.48
20	Health Department	97429.35	177178.66	167439.22	644008.69	193202.61
21	Education Department	1156301.11	1224945.73	1695136.93	4876875.83	1706906.54
23	Industry Department	48435.68	34080.40	47997.98	84101.00	33640.40
26	Labour Resource Department	9460.96	19000.18	17893.95	58106.00	17431.80
27	Law Department	0.00	0.00	0.00	3000.00	1800.00
30	Minority Welfare Department	11914.88	23240.00	22742.60	40701.00	21920.40
33	General Administration Department	0.00	36148.47	37277.41	124263.19	43492.12
36	Public Health Engineering Department	92602.49	65144.25	73238.85	225217.00	101382.65
40	Revenue & Land Reform Department	34546.12	55345.26	67983.89	193840.76	58152.23
42	Rural Development Department	451001.19	542007.57	572801.92	980204.70	575707.93
43	Science, Technology & Technical Education Department	29667.26	34994.89	36104.33	108032.30	37811.31
44	SC & ST Welfare Department	59167.11	75374.88	74750.30	184989.49	75186.40
46	Tourism Department	9121.86	13100.00	37600.00	81000.00	40500.00
47	Transport Department	3624.57	4641.46	4417.16	17691.96	5307.59
48	Urban Development & Housing Department	272729.95	238583.37	254130.65	615599.91	185008.59
51	Social Welfare Department	410267.82	353995.45	583100.75	751158.01	433603.87
52	Department of Sports	396.19	6152.92	6704.17	18740.78	6559.26
TOTAL		2941898.64	3217990.39	4075342.82	10552570.67	4048990.89

Amount shown in total is the addition of sub-heads of those departments whose data is included in Gender Budget



जेन्डर बजट

2025-26

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्राक्कथन

बिहार सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु सामाजिक और आर्थिक नीतियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। जेंडर बजट निर्माण इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिक है। राजकोषीय नीति और प्रशासन के अनुरूप बजट निर्माण के इस दृष्टिकोण से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और लड़कियों तथा महिलाओं के सर्वांगीण विकास को समर्थन एवं लाभ मिलता है। इसमें लैंगिक संवेदनशीलता के साथ सूत्रीकरण, संसाधन, आवंटन और महिलाओं को जिन अरक्षित स्थितियों का अपने पूरी जीवनचक्र में सामना करना पड़ता है, उनका सतत अनुश्रवण शामिल है। कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने 2008-09 से बजट रणनीति के रूप में जेंडर बजट निर्माण को अपनाया है।

राज्य सरकार राज्य की आधी आबादी (लगभग 48 प्रतिशत) की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 498.21 लाख है। राज्य में लैंगिक भेदभाव सर्वांगीण समानता के लिए बड़ी बाधा है और अधिसंख्य महिलाएं अभी भी घरेलू भूमिकाओं तक सीमित हैं जो उनकी सामाजिक और आर्थिक आजादी को सीमित कर देती हैं। गहराई से जड़ जमाए बैठी इन समस्याओं के समाधान के प्रयास में लैंगिक-संवेदनशील बजट निर्माण (जीआरबी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना होता है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लक्ष्य-5 लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित है। यह ऐसी प्राथमिकता है, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ने अपनाया है। इसके अनुरूप जेंडर बजटिंग को विकसित करते हुए बिहार सरकार महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है।

बिहार में जेंडर बजटिंग विगत 16 वर्षों में विकसित हुआ है। इस अवधि में सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित अनेक वित्तीय विनियमों, नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया है। जेंडर बजट के निर्माण और विकास के क्षेत्र में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल है। जेंडर बजट का मुख्य लक्ष्य वित्तीय सहायता के जरिए महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर होने वाले सकारात्मक प्रभाव को परिलक्षित करना है।

सभी संबंधित सरकारी विभागों को लैंगिक समानता की कठिनाईओं की पहचान करने, इसके समाधान को प्राथमिकता देने और भावी लैंगिक नीतियों, प्रावधानों तथा कार्यक्रमों के सूत्रीकरण और क्रियान्वयन के जरिए, खास कर बढ़ी संवेदनशीलता के प्रति समाज को जागरूक करने में मदद मिलेगी। यह पुस्तिका नागरिक समाजों, शोधकर्ताओं, और अन्य हितधारकों के लिए राज्य में महिलाओं से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के विश्लेषण में उपयोगी साबित होगी। जेंडर बजट विवरण लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता हेतु समाज एवं प्रशासन के लिए आरंभिक बिंदु है।

जेंडर बजट निर्माण का परिचय

जेंडर बजट (जीबी) में बजटों, कार्यक्रमों/ योजनाओं, और नीतियों के महिलाओं पर होने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के लिए व्यवस्थित विश्लेषण शामिल होता है। जेंडर बजट निर्माण संबंधी पहल का लक्ष्य जेंडर संबंधी विचारों और उद्देश्यों को राजकोषीय नीतियों एवं राजकीय वित्तव्यवस्था के प्रबंधन के साथ एकीकृत करना है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के विकास को समर्थन देना है। जेंडर बजट विभिन्न लिंगों के लोगों की खास जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप बजट की जांच और संशोधन करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में निष्पक्ष रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रयास करती है।

लैंगिक-संवेदनशील बजट निर्माण महिलाओं के लिए कोई अलग बजट नहीं है। यह लोक व्यय को लैंगिक-संवेदनशील तरीके से प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित करने में सरकार की सहायता करता है। लैंगिक असमानताओं को इंगित करने तथा इस हेतु संसाधनों की पहचान करते हुए आवश्यक व्यय की वृद्धि करने में जेंडर बजट विवरण (जीबीएस) की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं और लड़कियों के लिए लक्षित योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा व्यापक सार्वजनिक योजनाओं और कार्यक्रमों में महिला सशक्तीकरण के लिए जेंडर बजट निर्माण को निर्धारित आवंटनों के जरिए अमल में लाया जा सकता है।

जेंडर बजट निर्माण के उद्देश्य :

- लैंगिक-संवेदनशील नीतियां, कानून और योजनाएं सूत्रबद्ध करना
- लैंगिक-संवेदनशील तरीके से संसाधनों का आवंटन और संग्रहण करना
- लैंगिक असमानता के समाधान के लिए सुधारक कार्यवाहियों का क्रियान्वयन करना
- लैंगिक प्रतिबद्धता को बजटीय प्रतिबद्धता में बदलना
- बजट के जेंडर संबंधी प्रभावों का सारांश प्रस्तुत करने वाली रिपोर्टें तैयार करना

जेंडर बजट निर्माण का संदर्भ

लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के पथ की पहचान 1979 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत महिला विरोधी सर्व-स्वरूप हिंसा समाप्ति समझौता (सीईडीएडब्ल्यू) में की जा सकती है। वर्ष 1981 में लागू हुए इस समझौते को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार बिल के रूप में जाना जाता है। यह ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका लक्ष्य लैंगिक समानता हासिल करना और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 में मेक्सिको सिटी में, 1980 में कोपेनहेगन में, 1985 में नैरोबी में और 1995 में बीजिंग में विश्व महिला सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। इसके बाद पुरुषों और महिलाओं की समानता से संबंधित सिद्धांतों को प्रख्यापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बीजिंग घोषणा और कार्य मंच को अपनाया गया। रणनीतिक लक्ष्यों और कार्रवाइयों के साथ व्यापक एजेंडा तय करते हुए यह विकासमान लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। लैंगिक-संवेदनशील बजट निर्माण ने 21वीं सदी में लोक वित्त प्रबंधन में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक साधन के बतौर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पकड़ बना ली है। वस्तुतः 80 से भी अधिक देशों ने जेंडर बजट निर्माण को अपनी लोक वित्त प्रबंधन रणनीतियों के अंग के रूप में अपना लिया है। आस्ट्रेलिया 1984 में महिला बजट की शुरुआत करने वाला दुनिया का अग्रणी देश बना। बाद में कनाडा ने इसे 1993 में और दक्षिण अफ्रीका

तथा फिलिपिंस ने 1995 में शुरू किया। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के देशों में जेंडर बजट निर्माण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत लंबे समय से चल रही है, जैसे कि नार्वे में 2005 से, फिनलैंड, मेक्सिको और कोरिया में 2006 से, तथा आइसलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रिया में 2009 से। बाद में, अनेक देशों ने सरकार के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर यह पहल की है।

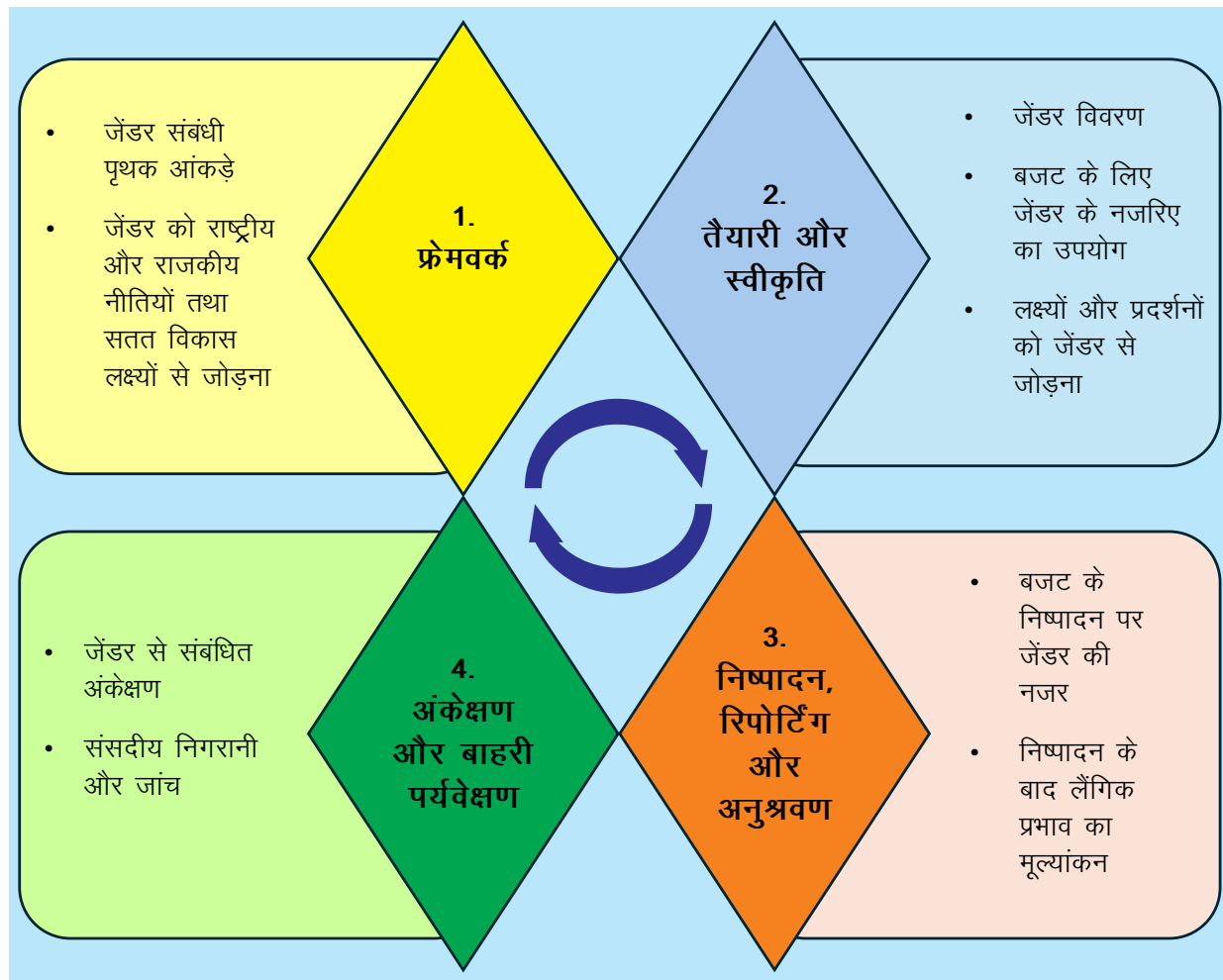
लैंगिक सरोकारों को भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में भी शामिल किया गया था। बाद में पंचवर्षीय योजनाओं का दृष्टिकोण महिलाओं के 'कल्याण' से बदलकर विकास और 'विकास' से बदलकर 'सशक्तीकरण' हो गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	महिला विकास को विपदाग्रस्त, दिव्यांग, बुजुर्ग आदि वंचित समूहों के कल्याण के साथ जोड़ा गया।
द्वितीय से पंचम पंचवर्षीय योजना (1956–79)	'कल्याण' का दृष्टिकोण अपनाया गया। महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने के अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषाहार की उपलब्धता।
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	महिलाओं के लिए दृष्टिकोण 'कल्याण' से बदलकर 'विकास'। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर बल के साथ बहु-विषयी दृष्टिकोण।
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक स्तर सुधारने और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के लिहाज से उचित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए कुशल और अकुशल, दोनों तरह की महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करने पर बल दिया गया।
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	महिलाओं के विकास पर बल।
नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	'महिला सशक्तीकरण' का प्रयास किया गया। योजना का लक्ष्य खास तौर पर महिलाओं के लिए और उनसे संबंधित क्षेत्रों, दोनों में उपलब्ध 'मौजूदा सेवाओं का कनवर्जेंस' भी था।
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)	सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण तथा लैंगिक न्याय के जरिए सामाजिक परिवर्तन और विकास के एजेंट के बतौर 'महिला सशक्तीकरण' की रणनीति के साथ जारी।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)	लैंगिक समानता, जेंडर बजट निर्माण और महिलाओं के लिए सभी स्वरूपों वाली हिंसा से मुक्त वातावरण बनाने पर जोर।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)	शासन में महिलाओं की भागीदारी और सभी प्रकार की अरक्षित महिलाओं के समावेश पर बल।

जेंडर बजट की योजना में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

- (क) पर्याप्त संसाधनों का आवंटन और महिला-संवेदी कार्यक्रमों का सूत्रीकरण तथा क्रियान्वयन। इससे नीतिगत प्रतिबद्धताओं और महिलाओं के लिए आवंटनों के बीच फासला घटाने में मदद मिलती है।
- (ख) महिलाओं के सरोकारों को लोक व्यय और नीति की मुख्य धारा में लाना।
- (ग) लोक व्यय और कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन का लैंगिक अंकेक्षण करना।

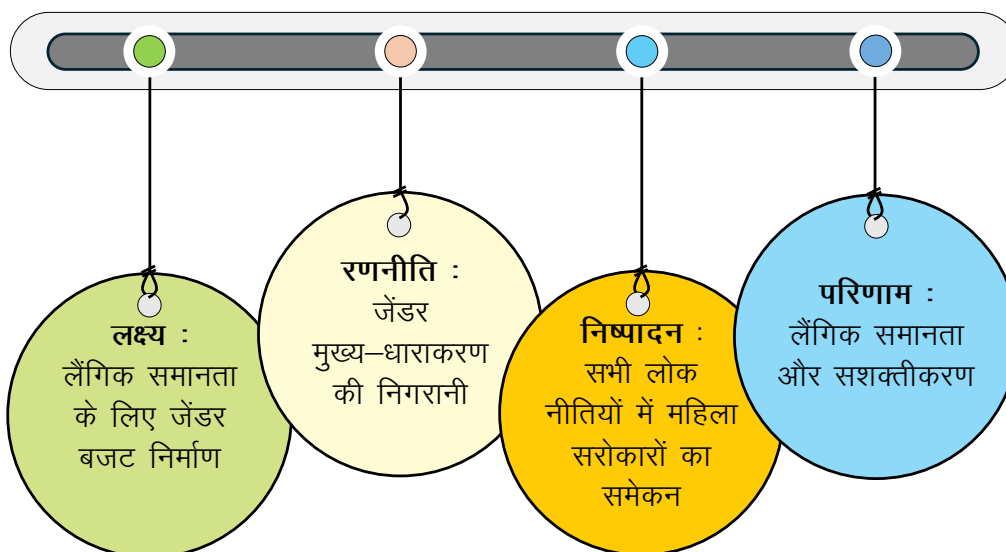
चित्र 1 : जेंडर बजट निर्माण की समग्र दृष्टि



बिहार में जेंडर बजट निर्माण

बिहार जेंडर बजट निर्माण में अग्रणी राज्य रहा है जो महिलाओं और लड़कियों के कल्याण और विकास के लिए राज्य की सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जेंडर बजट निर्माण महिलाओं को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का साधन है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ राज्य में हर महिला तक पहुंचें, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की हों या शहरी क्षेत्र की। यह लैंगिक परिप्रेक्ष्यों को नीतियों और कार्यक्रमों के सूत्रीकरण तथा समीक्षा में शामिल करने की सतत प्रक्रिया है। महिलाएं कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं इसलिए स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। वित्तीय सहायता के जरिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिहार सरकार ने जेंडर बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। वर्ष 2025–26 के लिए जेंडर बजट दस्तावेज में महिलाओं पर होने वाले व्यय और 2025–26 में व्यय होने वाली राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

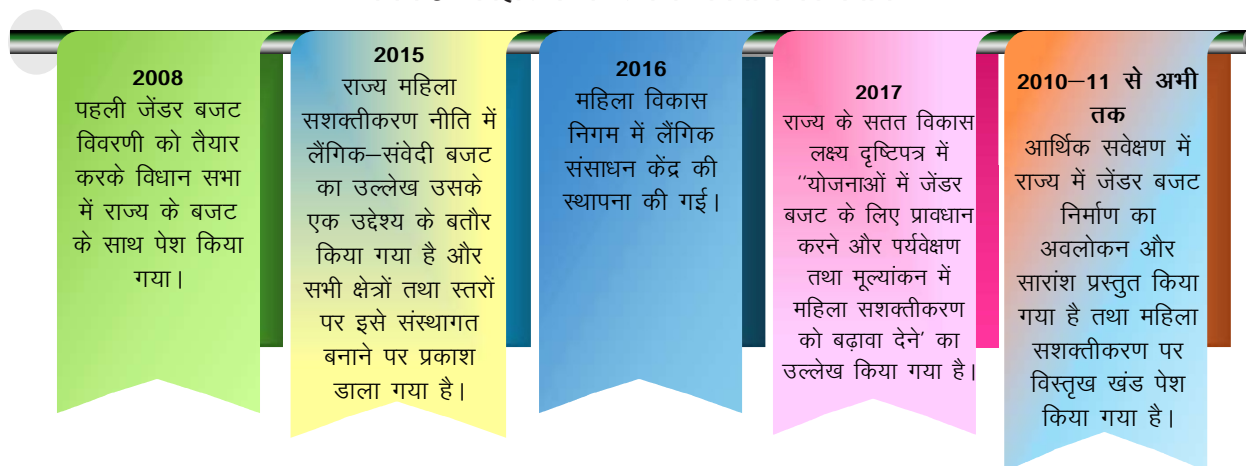
चित्र 2 : जेंडर बजट निर्माण के जरिए लैंगिक समानता



जेंडर बजट लैंगिक नजरिए से राज्य के वित्तीय आवंटनों के बारे में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराता है। इसमें जेंडर पर फोकस के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन शामिल है। जेंडर मुख्य-धाराकरण को बढ़ावा देने के लिए इसमें गत वर्ष में हुए वास्तविक व्यय की और वर्तमान वर्ष के संशोधित पूर्वानुमान में, तथा आगामी वर्ष के प्रस्तावित अनुमान में व्यय की लैंगिक नजरिए से जांच की जाती है। इस दस्तावेज के कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं :

1. महिलाओं के विकास से संबंधित विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान करना।
2. विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं पर होने वाले व्यय के प्रतिशत का विश्लेषण करना ताकि महिलाओं को लक्षित वित्तीय और क्रियान्वयन रणनीतियों के जरिए मुख्य धारा में लाया जाय।
3. राज्य के कुल बजट और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में महिलाओं पर राज्य के आवंटन की जांच करना।
4. जेंडर बजट को परिणाम (आउटकम) बजट से जोड़ना।
5. महिलाओं से संबंधित बजटीय प्राथमिकताओं पर आधारित विभिन्न रणनीतियां सूत्रबद्ध करना।

चित्र 3 : बिहार में जेंडर बजट निर्माण की प्रगति



तालिका 1 : जेंडर बजट का वर्गीकरण

श्रेणी क	महिलाओं और लड़कियों पर 100 प्रतिशत व्यय	ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम जिनका पूरा आवंटन महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए हो।
श्रेणी ख	महिलाओं पर व्यय 30 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम	ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम जिनके कुछ घटक महिलाओं और लड़कियों के लिए हों और व्यय 30 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच हो।

जेंडर बजट विश्लेषण तीन हिस्सों में किया जाता है '

- ❖ **वास्तविक व्यय (एई) :** हर विभाग द्वारा 2023-24 में महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर किया गया वास्तविक व्यय।
- ❖ **पुनरीक्षित व्यय (आरई) :** वर्ष 2024-25 के लिए संभावित व्यय की मध्यावधि समीक्षा के बाद पुनरीक्षित व्यय आकलन।
- ❖ **बजट अनुमान (बीई) :** पूर्व में हुई बजट प्रस्तुति के संभावित व्यय और प्राप्तियों पर आधारित 2025-26 के लिए बजट अनुमान।

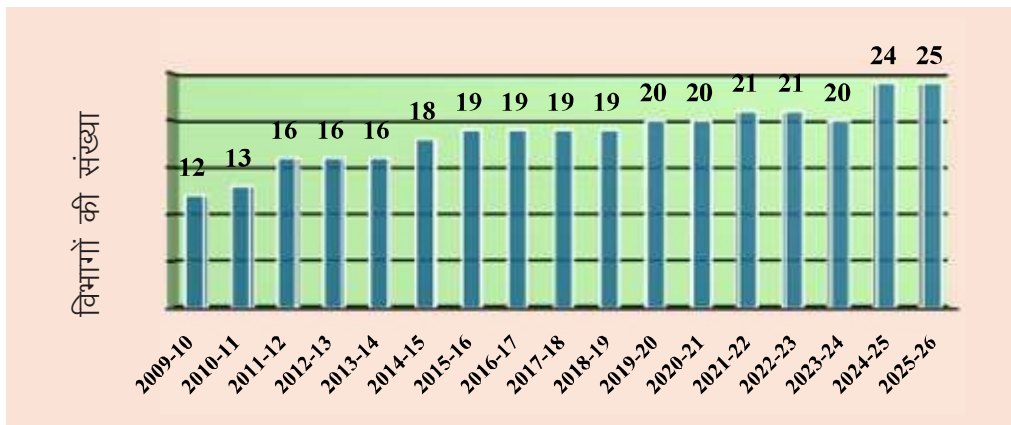
खास तौर पर महिलाओं के लिए लक्षित योजनाएं : ऐसी योजनाएं जिनमें महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान हों।

जेंडर से संबंधित योजनाएं : वैसी योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट उपबंध महिलाओं के लिए हो। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित ऐसी योजनाएं शामिल होती हैं जिनसे महिलाएं या लड़कियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होती हैं। जेंडर बजट निर्माण से महिलाओं या लड़कियों के लिए योजना निर्माण के उद्देश्यों तथा निर्गत-सह-परिणामों के आधार पर होने वाले लाभों का माप एवं मूल्यांकन होता है, जिससे मार्गदर्शक के तौर पर लैंगिक समानता को अत्यधिक सहयोग देने की प्रक्रिया में मदद मिलती है।

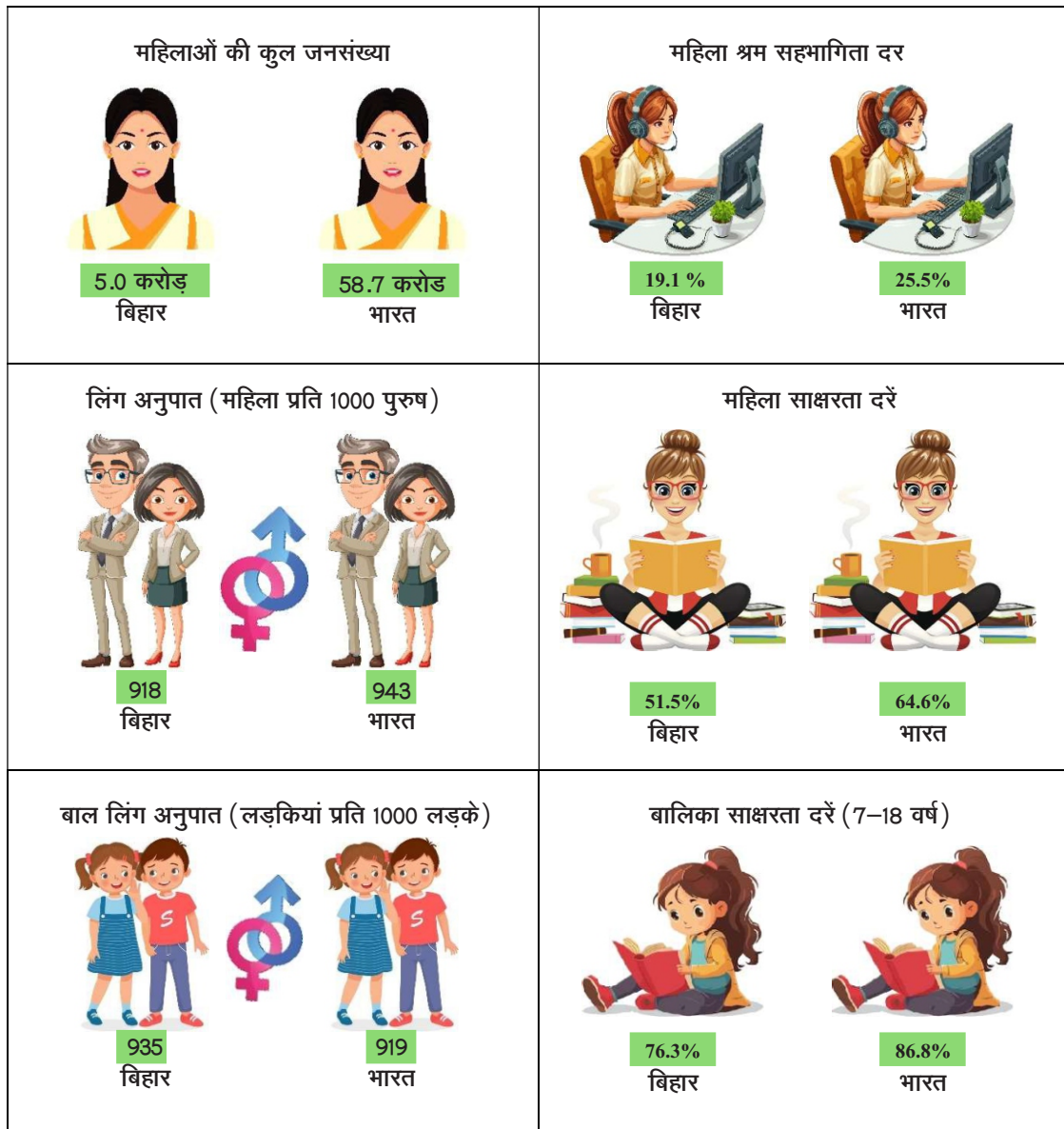
चित्र 4 : जेंडर बजट में स्कीमों की प्रकृति



चित्र 5 : विभागों की संख्या में वृद्धि के रुझान



चित्र 6 : भारत और बिहार के लिए तुलनात्मक सूचक



तालिका 2 : पुरुषों और महिलाओं के लिए तुलनात्मक सूचक

क्र.सं.	सूचक	बिहार		भारत		स्रोत
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	कुल जनसंख्या (करोड़) (2011)	5.4	5.0	62.3	58.7	जनगणना 2011
2	बाल लिंग अनुपात (सभी उम्र के) (2011)	1000	918	1000	943	
3	बाल लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) (2011)	1000	935	1000	919	
4	कार्य सहभागिता दर (2011)	46.5	19.1	53.3	25.5	
5	साक्षरता दर (2011)	71.2	51.5	80.9	64.6	
6	साक्षरता दर (7-18 वर्ष) (2011)	81.66	76.25	89.68	86.76	

उक्त तालिका में बिहार और भारत में महिलाओं की स्थिति दर्शाई गई है। बाल लिंग अनुपात के लिहाज से बिहार का अनुपात (935) भारत के अनुपात (919) से बेहतर है। लेकिन सभी आयु समूहों के बाल लिंग अनुपात (918), कार्य सहभागिता दर (19.1) आदि कुछ अन्य सूचकों के मामले में महिलाएं अभी भी काफी पीछे हैं। इनके समाधान के लिए राज्य स्तर पर अनेक पहल की गई हैं।

तालिका 3 : बिहार में महिलाओं की स्थिति के लिए तुलनात्मक सूचक

क्र. सं.	सूचक	2019-20	2015-16	वृद्धि/कमी	स्रोत
शैक्षिक सूचक					
1	साक्षरता (%)	55.0	49.6	5.4	NFHS
2	10 या अधिक वर्षों तक स्कूली शिक्षा वाली महिलाएं (%)	28.8	22.8	6.0	NFHS
स्वास्थ्य संबंधी सूचक					
3	संस्थागत प्रसव (%)	76.2	63.8	12.4	NFHS
4	सामान्य से कम देह-मात्रा सूचकांक (15-49 वर्ष) (%)	25.6	30.4	-4.8	NFHS
5	15 से 49 वर्ष की रक्ताल्पता-ग्रस्त महिलाएं (%)	63.5	60.3	3.2	NFHS
सशक्तीकरण संबंधी सूचक					
6	घरेलू फैसलों में भाग लेने वाली वर्तमान में विवाहित महिलाएं (%)	86.5	75.2	11.3	NFHS
7	बैंक खाता या बचत खाता वाली महिलाएं जिसका वे खुद से उपयोग करती हैं (%)	76.7	26.4	50.3	NFHS
8	मोबाइल फोन रखने वाली महिलाएं जिनका वे खुद उपयोग करती हैं (%)	51.4	40.9	10.5	NFHS

ये सूचक दर्शाते हैं कि 2015-16 और 2019-20, दो अवधियों के बीच बिहार में महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपना खुद का बचत खाता रखने वाली महिलाओं का सशक्तीकरण संबंधी सूचक इस अवधि में 50.3 प्रतिशत अंक बढ़ा है। इसलिए बिहार में महिलाओं के चतुर्दिक विकास का लक्ष्य लेकर शुरू किए गए जेंडर बजट निर्माण के परिणाम अब सार्थक प्रतीत हो रहे हैं।

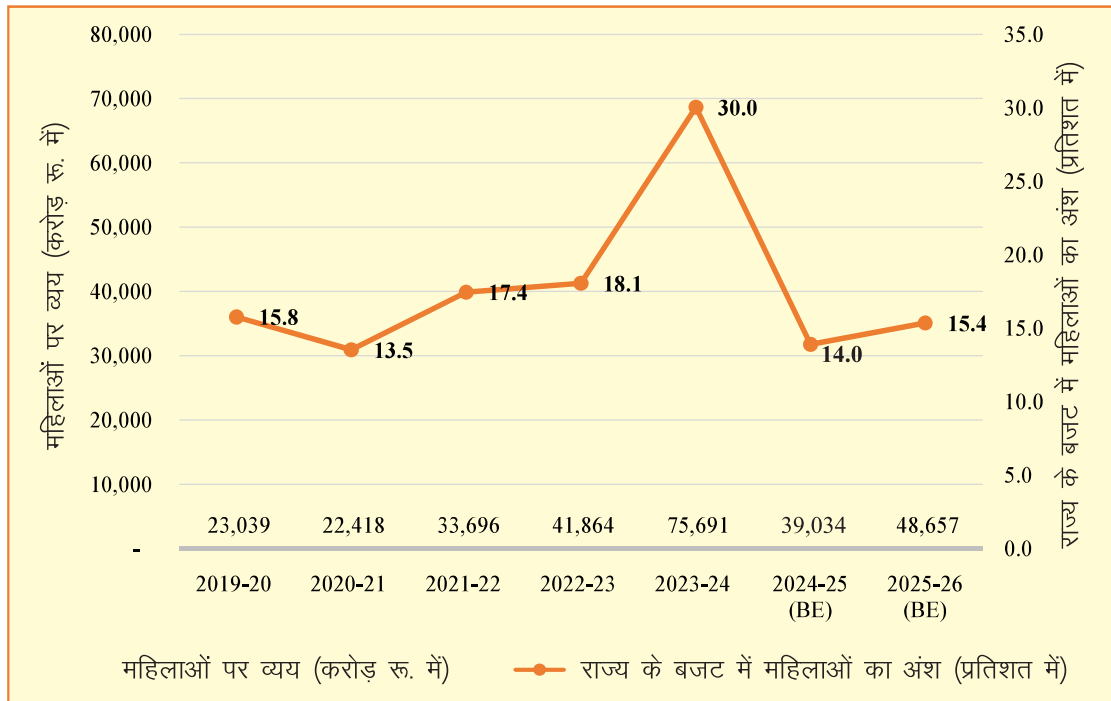
तालिका 4 : जेंडर बजट : महिलाओं के लिए व्यय

(करोड़ रु.)

विवरण	2019-20 (AE)	2020-21 (AE)	2021-22 (AE)	2022-23 (AE)	2023-24 (AE)	2024-25 (BE)	2025-26 (BE)
राज्य का बजट उद्व्यय	146097	165696	193123	231904	252082	278726	316895
महिलाओं के लिए व्यय (GB)	23039	22418	33696	41864	75691	39034	48657
बिहार के राज्य बजट में महिलाओं का हिस्सा (%)	15.77	13.53	17.45	18.05	30.03	14.00	15.35
चिन्हित विभागों का कुल बजट	84310	90269	112571	130030	139358	81050	113692
सूचना देने वाले विभागों में महिलाओं का हिस्सा (%)	27.33	24.83	29.93	32.20	54.31	48.16	42.80
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)	617153	618628	675448	751396	854429	976514	1097264
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिलाओं का हिस्सा (%)	3.73	3.62	4.99	5.57	8.86	4.00	4.43

टिप्पणी : AE – वास्तविक व्यय, BE – बजट अनुमान

चित्र 7 : बिहार के कुल बजट में महिलाओं का हिस्सा



महिला विकास के प्रयास

महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग हैं और महिलाओं की प्रगति समग्र समाज के प्रगति की परिचायक है। समृद्ध समाज महिलाओं का सतत विकास सुनिश्चित करता है। महिला सशक्तीकरण समाज के विकास की कुंजी है और इसे तभी हासिल किया जा सकता है जब सामाजिक परिवर्तन को आकार देने की छूट देकर महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाएं। वर्ष 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का हिस्सा रहे 'लक्ष्य-5' का फोकस वैश्विक सफलता सुनिश्चित करने के लिए समाधान प्रस्तावित करके गरीबी, असमानता, और महिला विरोधी हिंसा जैसी चुनौतियों का निदान करना है। राज्य सरकार जिला तथा राज्य दोनो स्तरों पर महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए जेंडर बजट में निहित पहलु को लागू करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। महिला सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल के वर्षों में अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत की गई है।

महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास तक

वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं में अनेक महिला-केंद्रित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिनसे राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और जो उनके सशक्तीकरण का कारण बनेगा। ये हैं :

- विवाह घर की किफायती सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर पंचायत में चरणबद्ध ढंग से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा।
- पटना में महिला हाट स्थापित किया जाएगा और बड़े शहरों में महिलाओं के लिए निर्धारित विक्रय क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे।
- पटना में मोबाइल जिम (जिम ऑन व्हील्स) की शुरुआत की जाएगी जिसमें सिर्फ महिलाएं प्रशिक्षक होंगी।
- सभी शहरों में गुलाबी शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा जिसमें से 20 एक महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे।
- बड़े शहरों में पूरी तरह महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा संचालित गुलाबी बसों की शुरुआत की जाएगी।
- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में ड्राइवर, कंडक्टर, और डिपो के रखरखाव वाले पदों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।
- व्यावसायिक उपयोग के लिए ई-रिक्शा और दोपहिए खरीदने के लिए महिला ड्राइवरों को नकद सब्सिडी दी जाएगी।
- बड़े शहरों में सिर्फ महिलाओं के लिए वाहन संचालन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
- सरकारी सहायता से होम स्टे की पेशकश के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए छठ पूजा, जैसे उत्सवों के दौरान धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी।
- पर्यटन गाइड के रूप में रोजगार के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बड़े शहरों में कामकाजी महिला होस्टलों की

स्थापना और संचालन के लिए अलग से नियमावली और कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी।

- राज्य सरकार महिला सिपाहियों की सुविधा और निवास सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों के समीप किराए पर मकान लेकर उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- राज्य सरकार 876.77 करोड़ रु. के अतिरिक्त अनुमानित वार्षिक व्यय से कक्षा 1 से 10 तक की सामान्य श्रेणी की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की दरों को दूनी कर देगी।

महिलाओं के विकास के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1. सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

- राज्य सरकार आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के तहत अपनी सभी सेवाओं/संवर्गों में होने वाली सारी प्रत्यक्ष नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दे रही है।
- पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिससे राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान और भागीदारी में वृद्धि हुई है।
- अभी, लगभग 1.10 लाख पुलिस बल में महिलाएं 30,000 से भी अधिक हैं। देश में पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार का अनुपात सबसे ऊंचा है।

2. शिक्षा में लड़कियों/महिलाओं के लिए आरक्षण और प्रोत्साहन

- छात्राओं में उच्च तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के अंग के बतौर बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय के साथ संबद्ध सभी संस्थानों में डिग्री स्तर और उससे ऊपर के पाठ्यक्रमों में कुल स्थानों का एक-तिहाई (33 प्रतिशत) महिलाओं के लिए आरक्षित है।
- उच्च शिक्षा के लिए महिला प्रोत्साहन के तहत, 2023-24 में इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण 5.56 लाख अविवाहित छात्राओं के बीच प्रति विद्यार्थी 25,000 रु. वितरित किए गए। इसी प्रकार, 2023-24 में स्नातक/ समकक्ष पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाली 1.40 लाख अविवाहित/ विवाहित छात्राओं के बीच प्रति विद्यार्थी 50,000 रु. वितरित किए गए।
- अभी अवसर बढ़े, आगे पढ़े के तहत, 6 बी.एससी. नर्सिंग महाविद्यालयों, 16 जीएनएम संस्थानों, 21 पैरा मेडिकल संस्थानों, 4 फार्मसी महाविद्यालयों, 19 पॉलिटेक्नीक संस्थानों, 23 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 30 अभियंत्रण महाविद्यालयों, 50 एएनएम संस्थानों और 58 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन निर्माण का काम पूरा हो गया है।
- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत, 2023-24 में 282.22 करोड़ रु. के व्यय से प्रारंभिक स्तर की कुल 43.71 लाख छात्राएं लाभान्वित हुईं।
- बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत, 2023-24 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की 8.20 लाख छात्राओं के बीच 123.01 करोड़ रु. का वितरण किया गया।

3. महिला उद्यमिता

- महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआईएम), कोलकाता के साथ मिलकर अभी तक 150 जीविका दीदियों का उद्यमिता विकास किया गया है।

- जीविका द्वारा जीविका मित्र, सामुदायिक साधनसेवी, ग्राम साधनसेवी, बैंक मित्र, पशु मित्र, और रोजगार साधनसेवी जैसे पेशावरों (प्रोफेशनल्स) का विकास किया जाता है जिनके प्रशिक्षण और अनुश्रवण का काम सामुदायिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अभी 705 संघों के साथ जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित 29 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से जीविका द्वारा आवासीय और अनावासीय प्रशिक्षण के जरिए तकनीकी सहयोग दिया जाता है।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के साथ समन्वय से कृषि क्षेत्र में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक 35.89 लाख महिला किसानों ने नई कृषि प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं। 70 महिला-संचालित कृषक उत्पादक कंपनियों के निबंधन के साथ महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनके उत्पादों को समाहित करके बाजारों के साथ जोड़ा जा रहा है।
- मुजफ्फरपुर स्थित मुसहरी के बेला औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित बैग निर्माण संकुल बिहार में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के सफल मॉडल का उदाहरण है। उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम करने वाले 42 जीविका उद्यमियों ने अपने-अपने शेड में कुल 24 मशीनें लगवाई हैं जिससे 1100 से अधिक प्रशिक्षित श्रमिकों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। मुजफ्फरपुर के बेला में अवस्थित बैग संकुल में स्थापित ये 42 शेड उद्योग विभाग के साथ मिलकर निर्मित किए गए हैं।
- जीविका ने राज्य के 20 जिलों में 4100 से भी अधिक कारीगरों को 17 कला रूपों से जुड़े उत्पादक समूहों में सफलतापूर्वक गोलबंद किया है।
- विपणन, डिजाइन विकास, और क्षमता निर्माण पहलों के जरिए ग्रामीण महिला कारीगरों की वित्तीय सुस्थिरता बढ़ाने के लिए जीविका ने 2018 में 'शिल्पग्राम महिला उत्पादक कंपनी लिमिटेड' की स्थापना की थी। अभी दरभंगा, मधुबनी, और मुजफ्फरपुर की 500 से भी अधिक महिला कारीगर शिल्पग्राम की हितधारक हैं। shop.brlps.in, अमेजन और फ्लिककार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए कला उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की जा रही है।
- जीविका विभिन्न सरस मेलों और देश में होने वाले ऐसे अन्य आयोजनों में कारीगरों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करके कला और शिल्प उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिल्पग्राम ने 7.78 करोड़ रु. का व्यवसाय हासिल किया।
- अपने स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता उद्यम कोष के जरिए जीविका सदस्य व्यक्तियों और समूहों को टिकाऊ उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस कोष का लक्ष्य अलग-अलग उद्यमियों की वार्षिक आय में न्यूनतम एक लाख रु. की वृद्धि करना है। सितंबर 2024 तक, इस कार्यक्रम के जरिए 22 जिलों में 1797 महिलाओं का अपना उद्यम स्थापित करने के लिहाज से सशक्तीकरण हुआ है।

4. आजीविका को प्रोत्साहन

- बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पहल 'जीविका' का लक्ष्य राज्य में ग्रामीण गरीबी का मुकाबला करते हुए महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। अभी तक जीविका ने कुल 10.63 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है जिनसे 131 लाख से भी अधिक परिवार जुड़े

हुए हैं। वहीं, 71,229 ग्राम संगठन और 1673 संकुल-स्तरीय संघ स्थापित किए गए हैं। वित्तीय समावेश के लिए विभिन्न बैंकों के 10.36 लाख स्वयं सहायता समूहों के खाते खुलवाए गए हैं। इन समूहों को जोड़कर उन्हें ऋण के बतौर 477.94 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

- विभिन्न पंचायतों में काम कर रही लगभग 5986 बैंक सखी (बैंकर दीदी) सदस्य वित्तीय उत्पादों, जैसे कि सावधि जमा, निकासी, बीमा, पेंशन आदि के बारे में जागरूकता फैला रही हैं। बैंक सखी के माध्यम से कुल 14,961 करोड़ रु. के जमा और निकासी का काम किया गया है।
- राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 78.40 लाख से भी अधिक सदस्यों का बीमा आच्छादन हुआ है।
- समेकित गव्य विकास योजना के तहत राज्य में किसानों और बेरोजगार युवक-युवतियों के स्वरोजगार और आय वृद्धि के लिए उच्च गुणवत्ता वाले दुधारू पशुओं/बछड़ों-बछड़ियों की सभी श्रेणी की दुग्धशाला इकाइयों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की गई है।
- जीविका (बीआरएलपीएस) द्वारा शुरू “दीदी की रसोई” पहल का लक्ष्य राज्य में समुदाय आधारित कैंटीन मॉडल का विस्तार करना है। यह हस्तक्षेप अब काफी बढ़ गया है और सितंबर 2024 तक जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों, अजा/अजजा विद्यालयों, बैंकों, निबंधक कार्यालयों, और बिहार मानसिक स्वास्थ्य एवं सहवर्ती विज्ञान संस्थान में दीदी की रसोई की 214 इकाइयां स्थापित हो चुकी थीं।
- बिहार के कोने-कोने में 3 किमी के दायरे में समुदाय के सदस्यों को पौधे उपलब्ध कराने के मकसद से “दीदी की नर्सरी” पहल का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ और हरित परिवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर जीविका ने दीदी की नर्सरी कार्यक्रम के तहत दीदियों को गोलबंद किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर संचित रूप से कुल 310 पौधशालाओं की स्थापना की गई है।
- मनरेगा के साथ मिलकर जीविका ने राज्य के विभिन्न जिलों में जीविका दीदियों के नेतृत्व में हर प्रखंड में कम से कम दो पौधशालाओं की स्थापना की शुरुआत की है। मनरेगा के साथ मिलकर कुल 640 पौधशालाओं की स्थापना की गई है। हरित जीविका, हरित बिहार के तहत संचित रूप से 4.25 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए गए हैं।

5. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन

- बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रारंभिक जांच परीक्षाओं में उत्तीर्ण महिला प्रत्याशियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए क्रमशः 50,000 रु. और 1,00,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 1615 और संघ लोक सेवा आयोग के लिए 102 महिला प्रत्याशियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत अभी तक लाभार्थियों को कुल 9.95 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है।

6. प्रशिक्षण और सहायता

- महिला एवं बाल विकास निगम मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के सेवा क्षेत्र प्रशिक्षण के तहत

महिलाओं और किशोरियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है जिसका लक्ष्य कुशल/व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उनका क्षमता विकास करना है। प्रशिक्षण के बाद तैनाती और स्वरोजगार का भी प्रावधान है। सेवा क्षेत्र के तहत महिलाओं को कार्यक्षेत्र में विशेष अनुभव और योग्यता वाले प्रशिक्षण संस्थानों/संस्थानों द्वारा गृहव्यवस्था, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर और विक्रय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत सूचीबद्ध संस्थानों द्वारा मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम ने इसी क्रम में 37 कार्य भूमिकाओं को चुना है। रोजगार के अवसर सृजित करने तथा रोजगार-परक अवसर बढ़ाने के लिए उसकी योजना कृषि ड्रोन तकनीशियन और बेकरी पाठ्यक्रम जैसे अन्य पाठ्यक्रमों को जोड़ने की है। वर्ष 2017-18 से 2023-24 के बीच मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत कुल 17,505 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

- जीविका स्वास्थ्य हेल्प डेस्क स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राज्य के सभी 38 जिलों में मुख्यतः सदर अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सुविधा को सुगम करने हेतु तत्पर है। सितंबर 2024 तक इसने 14,14,524 रोगियों को सेवा दी है जिनमें ओपीडी के 11,97,709 रोगियों के साथ आइपीडी के 2,16,815 रोगी शामिल हैं। इसके लिए 92 स्वास्थ्य मित्र दीदियों ने 45,102 कॉल सुने। लगभग 45 केंद्रों में दो शिफ्ट में काम करने वाला हेल्प डेस्क ग्रामीण बिहार में स्वास्थ्य देखरेख संबंधी कमी दूर करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करता है।
- उत्पीड़ित महिलाएं कभी-कभी पुरुष आरक्षी के समक्ष अपनी समस्याएं सही तरीके से नहीं बता पाती हैं जिसके कारण उनकी समस्या के निदान में कठिनाई होती है। इसी पृष्ठभूमि में महिला थाना की अवधारणा विकसित की गई है और वर्तमान में राज्य अंतर्गत 40 महिला थाने काम कर रहे हैं। सबसे हाल के आंकड़ों के अनुसार, 01 जनवरी, 2022 से अक्टूबर 2024 तक महिलाओं द्वारा दर्ज कुल आपराधिक मामलों में से लगभग 48 फीसदी मामले निष्पादित किए गए हैं।
- अभी प्राथमिकियां (एफआइआर) दर्ज कराने के लिए महिलाओं और किशोरियों को परामर्श और सहायता देने के लिए पटना के 23 पुलिस थानों में विशेष महिला कोषांग कार्यरत हैं जो हिंसा के किसी भी स्वरूप की शिकार महिलाओं को पुलिस थानों में सहयोगपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराते हैं।
- राज्य में कुल 22 मातृ एवं शिशु अस्पतालों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, गया और पटना सहित 18 जिलों में चिन्हित अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

7. महिला सुरक्षा पहल

- उत्पीड़ित महिलाएं कभी-कभी पुरुष आरक्षी के समक्ष अपनी समस्याएं सही तरीके से नहीं बता पाती हैं जिसके कारण उनकी समस्या के निदान में कठिनाई होती है। इसी पृष्ठभूमि में महिला थाना की अवधारणा विकसित की गई है। महिलाओं की समस्याओं के प्रति समर्पित इन विशेष पुलिस थानों का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं के लिए उनके साथ हुई हिंसा के संबंध महिला आरक्षी के समक्ष निःसंकोच जानकारी/सूचना उपलब्ध कराना है। अभी राज्य में 40 महिला थाने चल रहे हैं। 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 तक महिलाओं से संबंधित अपराध के दर्ज मामलों में से लगभग 48 फीसदी का समाधान किया गया है।

- बिहार में पुलिस (गृह) विभाग द्वारा सितंबर 2024 में शुरू की गई “सुरक्षित सफर सुविधा” पहल का लक्ष्य अकेले या परिवार के साथ यात्रा कर रही महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना है। इसमें यात्रा के निबंधन और आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली (ईआरएसएस) के जरिए तत्क्षण ट्रैकिंग के लिए गुंजाइश है। बिहार ऐसी योजना लागू करने वाला तेलंगाना और हरियाणा के बाद देश का तीसरा राज्य है। इस पहल के तहत दिसंबर 2024 तक प्राप्त सभी 70 अनुरोधों का समाधान किया गया। महिलाएं यह सेवा 112 नंबर पर डायल करके पा सकती हैं जिससे अतिरिक्त सुरक्षा स्तर और आपात स्थिति में तत्काल सहायता मिलती है।
- राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के मामले में लगातार कदम उठा रही है। बिहार पुलिस बल में महिलाओं के 35 प्रतिशत आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है। फलतः, आज लगभग 27 हजार महिला अधिकारी और सिपाही बिहार पुलिस की अंग हैं।
- पटना यातायात पुलिस ने हाल में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पटना के शहरी क्षेत्रों में 450 से भी अधिक महिला पुलिसकर्मी यातायात प्रणाली के प्रबंधन के लिए काम कर रही हैं। साथ ही, डॉल्फीन कही जाने वाली पूरी तरह महिलाओं वाली 8 त्वरित अनुक्रिया टीमें गठित की गई हैं जिसमें महिला अधिकारी, सिपाही, और ड्राइवर भी शामिल हैं। पहली बार पटना यातायात पुलिस के महिला हिस्से ने 26 जनवरी, 2025 को आयोजित राज्य-स्तरीय परेड में भाग लेते हुए महत्वपूर्ण एवं प्रेरक उदाहरण पेश किया है।
- महिला पुलिसकर्मियों की दक्षता सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले अधिकांश यातायात जांच चौकी पर महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता था। इस समस्या के समाधान के लिए पटना में 54 ऐसे जांच चौकी को पूरी तरह कार्यशील बनाने के लिए मिशन मोड में लक्ष्य तय किया गया है। इन जांच चौकी पर विश्राम के लिए आरामदेह स्थान, शौचालय, पेयजल, और महिलाओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध होंगे। भविष्य में ये जांच चौकियां महिलाओं के लिए नजदीकी शिकायत/सहायता केंद्र का भी काम करेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रारंभ में चार स्थानों पर आदर्श ट्रफिक पोस्ट चालू हो जाएंगे – चिड़ियाखाना गेट सं. 2, सगुना मोड़, नया सचिवालय मोड़, और हड़ताली मोड़।

बिहार में महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ

लिंग बजट दस्तावेज़ में महिलाओं और लड़कियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए प्रावधानों को दर्शाया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य सामान्य रूप से महिलाओं की भलाई और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके लिए विभिन्न सरकारी विभाग महिला-केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। ऐसी योजनाएं सीधे या परोक्ष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की विभिन्न महिलाओं के समूहों को लाभ पहुंचाती हैं। महिला विकास निगम और बिहार सरकार के अन्य संबंधित विभाग महिला सशक्तिकरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करते हैं। विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं:

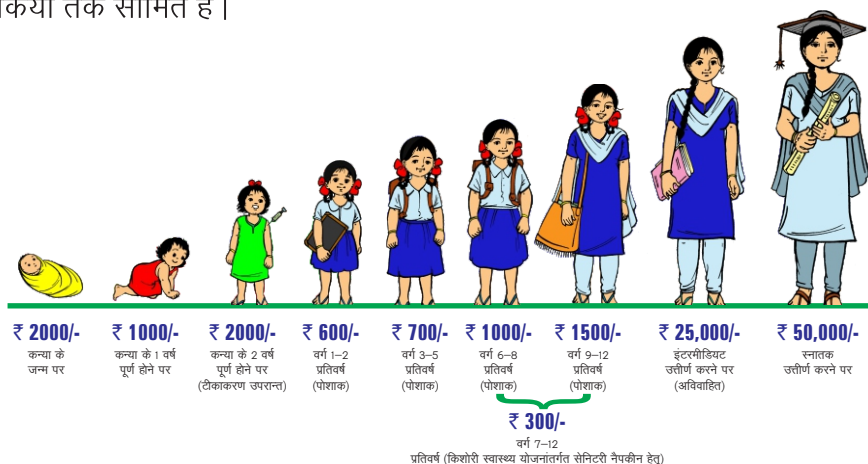
समाज कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना, विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करना और बाल विवाह को रोकने के लिए लड़की के शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, BPL परिवारों या अन्य हाशिए पर रहने वाले परिवारों की लड़कियों को, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक है, विवाह के समय DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 5000 रुपये की राशि दी जाती है।

2. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

राज्य सरकार ने इस योजना को महिला भ्रुण हत्या को रोकने, जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने, लड़कियों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने, लिंगानुपात में वृद्धि करने, लड़की शिशु मृत्यु दर को घटाने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह को रोकने और कुल प्रजनन दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया है। इस योजना के तहत, लड़कियों को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे— लड़की के जन्म पर, माता/पिता/संरक्षक को DBT के माध्यम से 2000 रुपये की राशि दी जाती है। फिर, जब बच्ची एक साल की हो जाती है और उसका आधार पंजीकरण हो जाता है, तो उसके माता/पिता/संरक्षक के खाते में 1000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन, इस योजना का लाभ परिवार में केवल दो लड़कियों तक सीमित है।



3. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने में मदद करना है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि सुरक्षा गृह, शॉर्ट-स्टे होम, नवाचारी योजनाएं, प्रशिक्षण केंद्र, राज्य महिला सूचना और संसाधन केंद्र आदि की स्थापना इस योजना में प्रस्तावित है। इस योजना का विस्तार सभी जिलों में किया गया है।

3.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को सिविल सेवाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, जो महिला उम्मीदवार सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षण (PT) में सफल होती हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए शिविल सर्विसेज प्रोत्साहन फंड प्रदान किया जाता है। सभी योग्य महिला उम्मीदवारों को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, पटना और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा (PT) पास करने पर क्रमशः 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) और 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि वे मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी कर सकें।

3.2 वन स्टॉप सेंटर- कम- महिला हेल्पलाइन

राज्य के सभी 38 जिलों में घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि उन्हें अपने घरों को टूटने से बचाने में मदद मिल सके, आवश्यकतानुसार पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करने में सहायता मिल सके, और कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। महिला हेल्पलाइन 181 का गठन सभी 38 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में किया गया है और यह 24x7 कार्यरत है।

3.3 शॉर्ट-स्टे होम

वे महिलाएं और किशोरी लड़कियां जिन्हें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, दहेज या अन्य कारणों से परिवार और समाज में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उन्हें सामाजिक-मानसिक काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रदान किया जाता है। शॉर्ट-स्टे होम इस उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं कि महिलाओं को पुनर्वास के पूरा होने तक अस्थायी आश्रय सुविधा मिल सके।

3.4 विशेष महिला कोषांग (स्पेशल वूमन सेल)

पटना जिले के 23 पुलिस थानों में विशेष महिला सेल्स की स्थापना की गई है, ताकि पुलिस थानों में महिलाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके, साथ ही महिलाओं और किशोरी लड़कियों को एफआईआर दर्ज करने में काउंसलिंग और सहायता प्रदान की जा सके। प्रत्येक विशेष महिला सेल में एक काउंसलर नियुक्त किया गया है। ये सेल्स राज्य के 6 जिलों में महिला और बाल विकास निगम तथा टाटा सोशल साइंसेज संस्थान (TISS) के सहयोग से विभिन्न पुलिस थानों में संचालित हो रही हैं।

3.5 सामाजिक पुनर्वास कोष

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं और किशोरी लड़कियों के पुनर्वास के लिए एक कोष की व्यवस्था की गई है, जिसे शसामाजिक पुनर्वास कोष कहा जाता है। इस कोष का उद्देश्य घरेलू हिंसा और उत्पीड़न, सामाजिक और अपराधी हिंसा, मानव तस्करी, टोने-टोटके आदि की पीड़ित महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों (जो 5 वर्ष से कम आयु के हों) के चिकित्सा, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके लिए राज्य के 38 जिलों को दो समूहों में बांटा गया है – स्रोत और गंतव्य। किसी भी पीड़ित महिला या किशोरी लड़की को अधिकतम 15,000 रुपये की अनुदान राशि जिला अधिकारी द्वारा दी जाती है।

4. सेवा क्षेत्र प्रशिक्षण (Service Sector Training)

BPL (Below Poverty Line) वर्ग की महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें, सेवा क्षेत्र प्रशिक्षण 2017 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और किशोरी लड़कियों को विभिन्न सेवा क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना है, जैसे कि वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएं, सौंदर्य और कल्याण, पर्यटन और आतिथ्य, और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्हें स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा आदि क्षेत्रों में रोजगार योग्य बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना का संचालन बिहार कौशल विकास मिशन से पंजीकृत संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है।

5. पालना घर (Palna Ghar)

कामकाजी माता-पिता अपने बच्चों को, जो 5 वर्ष से कम आयु के हों, अपने काम के दौरान पालना घर में छोड़ सकते हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत, कार्यरत महिलाओं के छोटे बच्चों (6 महीने से 5 साल तक की उम्र के) की उचित देखभाल के लिए कामकाजी स्थल के पास क्रेच (पालना घर) की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान में, चार स्थानों पर क्रेच संचालित किया जा रहा है:

- सामाजिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना
- कारागार विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना
- नया सचिवालय, विकास भवन, पटना
- सरदार पटेल भवन, पटना

6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao)

यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो महिला भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रारंभ में यह योजना वैशाली जिले से शुरू हुई थी और वर्तमान में यह बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। इस योजना के तहत, बेटियों के जन्म पर शुभकामनाएं भेजी जाती हैं। बिहार में एक विशेष पहल श्घर का नाम बेटी के नामशुरू की गई थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम नवाचार के रूप में पहचाना गया है। इस योजना के तहत, जिला अधिकारी की निगरानी में जिला से ब्लॉक स्तर तक एक टास्क फोर्स का गठन किया जाता है।

7. महावारी स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management Programme)

महावारी स्वच्छता के महत्व और सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं के तरीकों के बारे में सही जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्यभर में किशोरी लड़कियों और महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस योजना के सही तरीके से कार्यान्वयन और बेहतर निगरानी के लिए, बिहार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, सभी संबंधित विभागों के प्रमुख मास्टर ट्रेनरों को चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है। पहले चरण में, सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में स्थित मध्य और उच्च विद्यालयों में लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों और इंसीनेरेटरों की स्थापना के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को फंड भेजा गया है।

8. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना और गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं को कम करना है। पीएमएमवीवाई के तहत, महिला को पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम करने के लिए मज़दूरी की हानि का आंशिक मुआवजा देने के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद छह महीने तक मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है, जो स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पोषण मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से दिया जाता है। पहले बच्चे के मामले में, 5000 रुपये दो किस्तों में दिए जाते हैं, जबकि दूसरे बच्चे के मामले में, यदि दूसरा बच्चा लड़की है, तो 6000 रुपये एक किस्त में जन्म के बाद दिए जाते हैं। हालांकि, दूसरे बच्चे के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण अनिवार्य है।

9. पूरक पोषण

यह कार्यक्रम राज्य के 38 जिलों में 1,15,009 आंगनवाड़ी केंद्रों (मिनी केंद्र सहित) और राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 6 महीने से 6 वर्ष तक के सभी सामान्य/कुपोषित/गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान करना है। संशोधित मानकों के अनुसार, 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रतिदिन 8 रुपये, गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रतिदिन 9.50 रुपये, और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के लिए प्रतिदिन 12 रुपये की व्यवस्था है, जो साल में 300 दिन तक दी जाती है। पोषण सप्लीमेंट्स का वितरण और निगरानी आंगनवाड़ी विकास समिति द्वारा की जाती है। भारत सरकार के मानकों के अनुसार, केंद्र और राज्य के बीच लागत का साझा अनुपात 50:50 है। इसके अलावा, 03 से 06 वर्ष की आयु के वे बच्चे जो प्री-स्कूल शिक्षा के लिए पंजीकृत हैं, उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों पर नाश्ते के साथ-साथ सुधा मिल्क पाउडर और मुर्गी के अंडे/भुना हुआ मूंगफली भी प्रदान किया जाता है।

10. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इस योजना के तहत, 40-79 वर्ष आयु वर्ग की बीपीएल परिवारों की विधवाओं को प्रति माह 400 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें से 300 रुपये केंद्रीय सरकार द्वारा और 100 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इस योजना के पेंशनधारियों को जब उनकी आयु 80 वर्ष के ऊपर हो जाती है, तो उन्हें इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

11. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

इस योजना के तहत, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये है या जो बीपीएल परिवारों से संबंधित हैं, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कवर नहीं होतीं, उन्हें प्रति माह 400 रुपये पेंशन दी जाती है। इस योजना की कुल लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

12. वृद्धाश्रम (सहारा)

बिहार रख-रखाव और वृद्ध माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण नियमावली, 2012 के तहत, राज्य के 06 जिलों दृ पटना, पूर्णिया, गया, रोहतास, भागलपुर और पश्चिम चंपारण में सहायता वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं, जो गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। इन छह वृद्धाश्रमों की कुल आवास क्षमता 450 है, जिसमें वर्तमान में 401 वृद्ध व्यक्ति रह रहे हैं। गुलजारबाग (पटना), गया और पूर्णिया में 100-बेड का वृद्धाश्रम भवन निर्माण विभाग की सहायता से निर्माण कराया गया है।

13. आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए वस्त्र योजना

राज्य में कुल 544 स्वीकृत बाल विकास परियोजनाओं में चलाए जा रहे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 3-6 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत बच्चों को प्रति माह 100 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए सालाना 400 रुपये के हिसाब से निर्धारित की गई है। इस योजना का पूरा खर्च राज्य योजना द्वारा वहन किया जाता है।

14. मानसिक रूप से विकलांग/बीमार महिलाओं और लड़कियों के लिए आश्रय गृह (Asra Grih)

बेघर या परित्यक्त मानसिक रूप से विकलांग/बीमार महिलाओं और लड़कियों के लिए आवासीय देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से, वर्ष 2023-24 से, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय पटना जिले में मानसिक रूप से विकलांग/बीमार महिलाओं और लड़कियों के लिए 03 विशेष आवास गृह (सहायता गृह) चला रहा है, जिनमें से 01 गृह सरकारी स्तर पर और 02 गृह गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं।

15. किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (Scheme for Adolescent Girls & SAG)

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना को अप्रैल 2022 से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के तहत संशोधित और समाहित किया गया है। इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थी 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियां हैं, जो बिहार के प्रेरणादायक जिलों में निवास करती हैं। SAG योजना को बिहार के 13 प्रेरणादायक जिलों में 178 परियोजनाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है। ये जिले हैं - अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, और सीतामढ़ी। योजना दो घटकों में बांटी गई है, अर्थात् पोषण और गैर-पोषण।

1. **पोषण घटक :** इस घटक के तहत, किशोरी लड़कियों को 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम 300 दिनों तक घर ले जाने के राशन (THR) के रूप में दिया जाता है।
2. **गैर-पोषण घटक:** इस घटक में विभिन्न मंत्रालयों के साथ सहयोग के माध्यम से आयुर्वेद फोलिक एसिड टेबलेट्स, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रदान किए जाते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्कूल स्तर से लेकर कॉलेज स्तर तक विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें निम्नलिखित हैं:

- कक्षा 1-4 के लिए मासिक छात्रवृत्ति ₹50
- कक्षा 5-6 के लिए मासिक छात्रवृत्ति ₹100
- कक्षा 7-10 के लिए मासिक छात्रवृत्ति ₹150
- कक्षा 1-10 के लिए छात्रावास आवास मासिक ₹250

पोस्ट-एंट्रेंस छात्रवृत्ति योजना के तहत, केंद्रीय सरकार के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण फीस के साथ मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत कुल 9,34,293 लड़की विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना

यह योजना 2008-09 में शुरू की गई थी, जिसके तहत वे छात्र-छात्राएं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा-X की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें ₹10,000 और जिनका परिणाम द्वितीय श्रेणी में आता है, उन्हें ₹8,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह, 2015-16 से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राएं, जो कक्षा-XII की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होते हैं, उन्हें ₹15,000 और द्वितीय श्रेणी से पास होने पर ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कुल 68,134 लड़की विद्यार्थियों को ₹67.69 करोड़ का लाभ मिला, और 2024-25 में, कुल 1,01,117 लड़की विद्यार्थियों को ₹106.27 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ।

3. आवासीय विद्यालय (Residential Schools)

विभाग अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 66 आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित करता है, जिनकी कुल क्षमता 25,600 अनुसूचित जाति और 7,720 अनुसूचित जनजाति छात्रों की है। राज्य सरकार छात्रों की दैनिक आवश्यकताओं जैसे अध्ययन सामग्री, भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ, आदि के लिए धनराशि प्रदान करती है। यह निर्णय लिया गया है कि सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक उन्नत किया जाएगा, जिनमें से वर्तमान में 26 आवासीय विद्यालय +2 स्तर पर संचालित हो रहे हैं और 2024-25 से 19 और आवासीय विद्यालय +2 स्तर पर संचालित होंगे। इस प्रकार, वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए कुल 37 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं और 4 आवासीय विद्यालय सहशिक्षा (को-एड) हैं। 2024-25 में अब तक 12,121 लड़की छात्रों ने आवासीय विद्यालयों में नामांकन लिया है।

4. छात्रावास (Hostel)

विभाग अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 99 छात्रावास और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 19 छात्रावास चलाता है। अब तक 49 नए छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आवासीय सुविधाओं

के तहत छात्रावास में छात्रों को बिस्तर, गद्दा, आरओ पानी, तौलिया, चादर, कंबल, तकिया, मच्छरदानी, अध्ययन मेज़, खाने-पीने के बर्तन, आदि प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, अनुसूचित जाति की लड़की छात्रों के लिए 7 छात्रावास और अनुसूचित जनजाति की लड़की छात्रों के लिए 2 छात्रावास हैं। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में, “मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना” के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 100 सीटों वाले सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

5. प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र

वर्तमान में विभिन्न जिलों जैसे पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुज़फ्फरपुर, सारण, भोजपुर (आरा), सहरसा, पूर्णिया, और मुंगेर में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 10 प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों में विभिन्न परीक्षाओं के लिए लगभग 2400 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, पटना के चंद्रगुप्त इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित एक स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसमें हर साल 60 छात्रों को CAT जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं को देश के विभिन्न प्रमुख प्रबंध संस्थानों में नामांकन की सुविधा प्राप्त होगी। इन केंद्रों में लड़कों और लड़कियों दोनों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

6. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत, उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की है, आगे की तैयारी के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) की एकमुश्त राशि दी जाती है। इसी प्रकार, उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की है, ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) की एकमुश्त राशि दी जाती है। इस योजना के तहत पुरुष और महिलाएं दोनों कवर किए गए हैं। अब तक, 1311 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है, जिसमें कुल ₹658.50 लाख की राशि खर्च की गई है।

7. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना

यह योजना वर्ष 2018-19 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रावास अनुदान के रूप में प्रति छात्र ₹1000 प्रति माह की राशि दी जाती है। वर्तमान में, 170 अनुसूचित जाति की और 48 अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को इस योजना से लाभ मिल रहा है।

8. खाद्यान्न आपूर्ति योजना

यह योजना वर्ष 2018-19 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, विभाग द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों में रह रहे छात्रों को प्रत्येक माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न (9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं) दिए जाते हैं। वर्तमान में, 170 अनुसूचित जाति की और 48 अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को इस योजना से लाभ मिल रहा है।

9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के तहत सहायता

यह योजना उन पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और जिन्हें अत्याचारों का शिकार होना पड़ा है। इस योजना के तहत महिलाओं को भी राहत राशि प्रदान की जाती है।

10. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए अधिकतम ₹50,000 /- की राशि प्रदान की जाती है।

11. महादलित विकास (महादलितों का विकास)

बिहार महादलित विकास मिशन 2007-08 में Societies Registration Act, 1860 के तहत स्थापित एक स्वायत्त इकाई है, जिसका उद्देश्य महादलित समुदाय का विकास है। उनके आर्थिक उन्नयन और बुनियादी ढांचा विकास की योजना बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से स्वीकृत की गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में 9820 विकास मित्रों की स्वीकृत कुल पदों में से 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत, महादलित परिवारों के युवा पुरुषों और महिलाओं को कौशल विकास के लिए चयनित संस्थानों के माध्यम से विभिन्न व्यापारों में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। स्कूल-कम-हॉस्टल योजना के तहत, पटना में 150 महादलित लड़कियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि गया में 100 महादलित लड़कियों को इस योजना से लाभ मिल रहा है। बिहार महादलित विकास मिशन और महिला विकास निगम, पटना के सहयोग से, सभी जिलों में किशोरियों और किशोरों के तीन समूह बनाए गए हैं। जिन विकास मित्रों की पहचान की गई है, उन्हें महिला विकास निगम के सहयोग से पंक्ति/वार्ड में किशोरी समूहों के गठन के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

साल 2022-23 में, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गयी, जिसका उद्देश्य कक्षा I से X तक पढ़ाई करने वाले छात्रों को राज्य योजना के तहत छात्रवृत्तियां प्रदान करना है। वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना से कुल 56,18,656 छात्रों को लाभ हुआ। वर्ष 2024-25 के लिए कुल राशि ₹875.00 करोड़ रुपये मंजूर की गई है।

2. मुख्यमंत्री BC और EBC प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना

राज्य में सरकारी और मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं में पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में नामांकित पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व के केन्द्र प्रायोजित स्कीम के स्थान पर अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए "मुख्यमंत्री BC और EBC प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" को राज्य योजना के तहत मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 1,88,111 छात्रों को लाभ हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 226.78 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

3. मुख्यमंत्री EBC मेधावृत्ति योजना

इस योजना के तहत, बिहार राज्य के स्थायी निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र, जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, उन्हें एकमुश्त 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,07,442 छात्रों को इस योजना से लाभ हुआ है।

4. मुख्यमंत्री BC मेधावृत्ति योजना

इस योजना के तहत, बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग के छात्रों को, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,50,000 रुपये या उससे कम है, उन्हें एकमुश्त 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह राशि पिछड़ा वर्ग की महिला छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना से कुल 75,958 छात्रों को लाभ हुआ है।

5. निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

राज्य में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक निदेशालय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024 में कुल 139 स्वीकृत पदों में से 130 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय

वर्तमान में, कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें 5,720 छात्राएं नामांकित हैं। विभिन्न श्रेणियों में 1,365 स्वीकृत पदों के विरुद्ध अब तक 561 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य के सभी 38 जिलों में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। अब तक 16 स्कूल भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, और 23 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य जारी है।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग हॉस्टल योजना

वर्तमान में, राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए कुल 35 हॉस्टल बनाए गए हैं। 11 और हॉस्टलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में, राज्य के 20 जिलों में OBC छात्रों के लिए 23 अन्य पिछड़ा वर्ग हॉस्टल संचालित हो रहे हैं।

8. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत, प्रत्येक जिले में एक हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी गई है, और वर्तमान में कुल 36 जिलों में हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। सीवान में हॉस्टल का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि खगड़िया में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उपरोक्त हॉस्टलों में, छात्रों को मुफ्त आवास प्रदान किया जाता है, साथ ही मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रत्येक छात्र को प्रति माह 1000 रुपये की वजीफा दी जाती है। इसके अतिरिक्त, छात्रावास खाद्य वितरण योजना के तहत, प्रत्येक छात्र को प्रति माह 15 किलो अनाज दिया जाता है।

9. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (IBPS), और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। इस योजना के तहत, राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो इन परीक्षाओं को पास करते हैं, उन्हें निर्धारित दर के अनुसार 30,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा पास करने वाले कुल 5,958 उम्मीदवारों को 50,000 रुपये प्रत्येक दिए गए हैं, और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा (IAS) परीक्षा पास करने वाले 212 उम्मीदवारों को 1,00,000 रुपये प्रत्येक दिए गए हैं।

10. प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना

प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत, पात्रता मानदंडों में संशोधन किया गया है, और वार्षिक आय सीमा को 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.00 लाख रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में, राज्य के 37 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सभी केंद्रों पर स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए प्रति केंद्र 2.5 लाख रुपये की दर से मंजूरी दी गई है।

11. मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं प्रेरणा योजना

इस योजना के तहत, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रबंधन, कानून और अन्य संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है, साथ ही उच्च शैक्षिक पदों पर नियुक्ति में भाग लेने के लिए भी सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से, इस उद्देश्य के लिए कुल 10 केंद्रों को मंजूरी दी गई है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना

यह योजना मुस्लिम परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 2006–07 से शुरू की थी। इसका उद्देश्य इन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, इसके तहत इन महिलाओं को एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2017–18 से, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।

2. राज्य पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

केंद्रीय पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बिहार का कोटा निर्धारित किया गया है, लेकिन कुल पात्र आवेदन संख्या निर्धारित कोटे से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप, कई पात्र अल्पसंख्यक छात्र इस छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिले, राज्य सरकार ने 2017–18 से राज्य पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की।

3. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है जो निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करते हैं:—

- बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्र-छात्राएं
- बिहार मदरसा बोर्ड से प्रथम श्रेणी में फौकनिया परीक्षा पास करने वाले छात्र-छात्राएं
- बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली मुस्लिम महिला छात्राएं

- बिहार मदरसा बोर्ड से प्रथम श्रेणी में मौलवी परीक्षा पास करने वाली मुस्लिम महिला छात्राएं

इसके अलावा, उन छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा पास की है, जिसमें बांग्ला एक विषय के रूप में रखा गया है।

4. मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना

यह योजना 2008-09 से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को आत्म-निर्भरता और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देना है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें।

5. राज्य कोचिंग योजना

बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य तकनीकी एवं पेशेवर प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2006-07 से कोचिंग योजना शुरू की है। वर्तमान में, यह कोचिंग कार्यक्रम पटना और दरभंगा जिलों में चलाया जा रहा है।

6. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान/खाद्यान्न योजना

यह योजना 2018-19 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा की दर को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिमाह 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह 15 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है।

7. केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना (पूर्व-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स आधारित)

केंद्रीय प्रायोजित पूर्व-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्तियां पूरी तरह से केंद्रीय वित्त पोषित योजनाएं हैं। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय द्वारा सीधे लाभार्थियों के खातों में राशि स्थानांतरित की जाती है।

8. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में MSDP के नाम से जाना जाता था)

केंद्रीय प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में MSDP के नाम से जाना जाता था), राज्य के पहचाने गए अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक क्षेत्रों में लागू की जाती है। इस योजना के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है।

शिक्षा विभाग

1. महिलाओं की शहर/पंचायत/जिला परिषद के शिक्षकों की रोजगार में भागीदारी

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों, स्कूल परिचारकों, स्कूल सहायक, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की भर्ती में, जो स्थानीय निकायों जैसे नगर परिषद, ब्लॉक और जिला परिषद में होती है, महिला उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप समाज में महिलाओं की स्थिति और सम्मान में वृद्धि हुई है, और उनकी भागीदारी ने नेतृत्व विकास की भावना को बढ़ावा दिया है। साथ ही, कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, और वे अपने

अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी हैं। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ, यह योजना महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने में एक मील का पत्थर साबित हो रही है, जो पुरुषों के समान है।

2. **मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना**

राज्य सरकार ने परिवारों और समुदायों की स्थिति को सुधारने और उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जून 2007 में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना ने गांवों का चित्र बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किशोर लड़कियां, जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती थीं, अपनी शिक्षा पूरी करने की इच्छा के बावजूद, कक्षा-9 में पढ़ाई करने वाली इन छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए प्रत्येक लड़की को 3000 रुपये दिए जाते हैं। इससे दूरदराज के इलाकों की लड़कियों को भी माध्यमिक स्तर पर दाखिला लेने का आत्मविश्वास मिलता है। यह योजना महिलाओं की शिक्षा में क्रांतिकारी कदम साबित हुई है।

3. **मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना**

बिहार सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म योजना शुरू की है। यह योजना प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए लागू की गई है। इस योजना ने स्कूलों में पढ़ाई करने वाली लड़कियों के बीच भेदभाव को समाप्त करने में मदद की है। प्राथमिक स्कूलों (कक्षा 1 से 5) में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक लड़की को 400 रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है। कक्षा 6 से 8 तक की लड़कियों को 500 रुपये प्रति लड़की मिलते हैं। कक्षा 9 से 10 की लड़कियों के लिए 700 रुपये प्रदान किए जाते हैं, और कक्षा 11 और 12 की लड़कियों को यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कक्षा 9 से 12 तक की अनुसूचित जाति/जनजाति की लड़कियों को अतिरिक्त 300 रुपये की राशि टॉप-अप खर्चों के लिए दी जाती है। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका यूनिफॉर्म योजना के तहत, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और इंटरमीडिएट कॉलेजों में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक लड़की को 1,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और समानता को बढ़ावा देना है।

4. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा अभियान)**

बिहार सरकार ने प्रत्येक पंचायत को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कवर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए, इस केंद्रीय योजना के तहत मध्य विद्यालयों को अपग्रेड किया जाता है और उन्हें इस श्रेणी में लाया जाता है। इस योजना के तहत 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। सामाजिक, आर्थिक और लिंग भेदभाव को समाप्त करने और छात्रों के गुणात्मक विकास को सुधारने के लिए, इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण करना और पाठ्यक्रम में सुधार करना है। इस योजना के कार्यान्वयन से विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों की संख्या बढ़ी है। शिक्षा के साथ-साथ, लड़कियों के छात्रावास में सुरक्षा भी इस योजना का उद्देश्य है।

5. **मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम**

यह योजना सभी स्कूलों में 12 वर्ष और उससे ऊपर की आयु की सभी लड़कियों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी और माहवारी स्वास्थ्य और प्रबंधन के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करती है।

पहले, इस समय के दौरान लड़कियों को अक्सर कई गतिविधियों से अलग कर दिया जाता था, जैसे कि खेल कूद। हालांकि, इस योजना ने लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा किया है। इसके अतिरिक्त, माहवारी के दौरान स्व-देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सैनिटरी नैपकिन 300 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रदान किए जाते हैं, और उनके निपटान के बारे में शिक्षकों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। बिहार सरकार की इस योजना ने लड़कियों के मन से परंपरावाद, कठोरता और संकोच को बड़े पैमाने पर हटा दिया है।

6. बिहार बाल भवन 'किलकारी' योजना

बाल भवन "किलकारी" 2008 से बच्चों के रचनात्मक विकास के लिए चल रही है। इस योजना में 8 से 16 वर्ष आयु के बच्चों को 25 प्रकार की गतिविधियों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों को मानसिक रूप से सशक्त किया जाता है ताकि लड़कियों और लड़कों के बीच कोई भेदभाव न हो। किलकारी योजना समाज में लड़कियों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बन गई है।

7. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

बिहार सरकार द्वारा आयोजित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली सभी श्रेणियों की महिला छात्रों को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राएं शामिल हैं। सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों, मान्यता प्राप्त मदरसा और संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई करने वाली महिला छात्रों को भी कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 4 तक के लिए छात्रवृत्ति 50 रुपये प्रति माह, कक्षा 5 से 6 तक के लिए 100 रुपये प्रति माह और कक्षा 7 से 10 तक के लिए 150 रुपये प्रति माह दी जाती है।

8. मध्याह्न भोजन योजना (PM Poshan)

इस योजना के तहत कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। इस योजना ने सामाजिक समरसता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और स्कूलों में महिला छात्रों की नामांकन दर को काफी बढ़ाया है। परिणामस्वरूप, सरकार लगातार इस योजना के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण सुधार कर रही है, जैसे कि नए फीचर्स जैसे मेनू आदि की शुरुआत।

9. मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार योजना

बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू करते हुए, सरकार का लक्ष्य है कि कमजोर और वंचित वर्गों के 25 प्रतिशत बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकित किया जाए। इसके लिए, सरकार उन स्कूलों को अनुदान देती है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के छात्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

10. मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना

मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत, सरकार प्रत्येक स्कूल को छात्रों के शैक्षिक भ्रमण के लिए 20,000 रुपये का अनुदान प्रदान करती है, जो सरकारी, मान्यता प्राप्त और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) मध्य विद्यालयों से होते हैं। इस योजना का उद्देश्य छात्रों के बीच शैक्षिक, व्यावहारिक और मानसिक ज्ञान का संतुलन बढ़ाना है। ऐतिहासिक, भौगोलिक और पुराणिक स्थलों की यात्राएं उनके आत्मविश्वास और ज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में मदद कर रही हैं।

11. प्रौढ़ शिक्षा (व्यस्क शिक्षा)

साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार व्यस्क शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। व्यस्क महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए उन्हें शिक्षा दी जाती है और इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष महापरीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिससे उनकी साक्षरता का परीक्षण किया जाता है। इस योजना से महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भारत साक्षरता मिशन भी एक सफल कार्यक्रम है, जिसने महिला साक्षरता दर को बढ़ाया है।

12. समग्र शिक्षा अभियान

समग्र शिक्षा अभियान राज्य में सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की चल रही योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। इस योजना के माध्यम से, सरकार स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलने, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और प्रत्येक स्कूल में शौचालय निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

13. राज्य महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय

राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। राज्य में आज महिला के लिए अलग स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार का यह कदम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है।

14. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल)

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, अब लड़कियां अपने घर से दूर भी स्कूल में पढ़ाई कर सकती हैं।

15. आईसीटी परियोजना

राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था एकीकृत कंप्यूटर प्रशिक्षण परियोजना के माध्यम से की जा रही है। इस परियोजना में राज्य के लड़कों/लड़कियों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने का प्रावधान है। इस योजना से एक ओर लड़कियों में समानता का एहसास हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

16. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

राज्य में लड़कों और लड़कियों को शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

17. उन्नयन योजना

इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन, स्मार्ट क्लास और अन्य तकनीकी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

18. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (इंटरमीडिएट पास)

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में, इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा पास करने वाली महिला छात्रों को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान

की जाती है। यह राशि सीधे उनके खाते में प्रोत्साहन के रूप में जमा की जाती है। पहले, कई लड़कियां मैट्रिक पास करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती थीं। हालांकि, इस योजना ने लड़कियों को उच्च कक्षाओं में शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज की स्थिति यह है कि इंटरमीडिएट कोर्स में लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियां नामांकित होती हैं।

19. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (स्नातक पास)

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (स्नातक पास) में, स्नातक पूरी करने वाली महिला छात्रों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो उनके खाते में सीधे जमा होती है। इस योजना ने महिलाओं को विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थानों में नामांकित होने के लिए प्रोत्साहित किया है, उनके अध्ययन में रुचि उत्पन्न की है, सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है और उन्हें निजी क्षेत्रों में अपने पैर जमाने के लिए सशक्त किया है।

20. मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना

इस योजना के तहत, सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक स्कूलों को छात्रों के शैक्षिक भ्रमण के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक, व्यावहारिक और मानसिक ज्ञान के बीच संतुलन बढ़ाना है। पुराणिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थलों की यात्राओं के माध्यम से छात्रों का आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ रहा है।

21. बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना

सात निश्चय कार्यक्रम 'आर्थिक हल, युवाओं का बल' के तहत, राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। इस योजना के तहत, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, और केवल 1 प्रतिशत ब्याज दर पर लड़की छात्रों और विकलांग छात्रों को ऋण प्रदान किया जाता है।

22. पीएम श्री योजना

पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित किया जाता है और पास के स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, पीएम श्री योजना का लक्ष्य देशभर में 14,500 से अधिक स्कूलों की स्थापना करना है (बिहार में 531 स्कूल)।

स्वास्थ्य विभाग

1. जननी और बाल सुरक्षा योजना

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आवश्यक कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी और बाल सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना जुलाई 2006 में बिहार में शुरू की गई थी।

2. प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर प्रोत्साहन राशि

ग्रामीण क्षेत्रों में हर प्रसव के बाद गर्भवती महिला को 1400 रुपये और आशा कार्यकर्ता को 600 रुपये (1 अप्रैल 2013 से लागू) दिए जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिला लाभार्थियों को 1000 रुपये और आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 400 रुपये दिए जाते हैं।

3. महिला बंध्याकरण (Female Sterilization)

परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत, स्थायी परिवार नियोजन उपायों के रूप में महिला बंध्याकरण की सुविधा प्रत्येक सप्ताह में दो दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और जिला स्तर अस्पताल एवं प्रथम संदर्भ इकाई (FRU) में हर दिन उपलब्ध है। बिहार में मिशन परिवार विकास के तहत महिला बंध्याकरण के लिए लाभार्थी को 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रेरक को 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

- प्रसव के बाद महिला बंध्याकरण के लिए 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रेरक को 400 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- गर्भपात के बाद महिला बंध्याकरण के लिए लाभार्थी को 2000 रुपये और प्रेरक को 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

4. आईयूसीडी (कॉपर-टी)

यह एक अस्थायी विधि है, जिसे लंबी अवधि के लिए उपयोग किया जा सकता है। IUCD 380A दस वर्षों तक प्रभावी होता है, जबकि IUCD 375 पांच वर्षों तक प्रभावी रहता है। कॉपर-टी की सेवा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है।

5. प्रसवोपरांत (PPIUCD)

आईयूसीडी की स्थापना के 48 घंटों के भीतर लाभार्थी को 300 रुपये की कार्य मुआवजा राशि दी जाती है। लाभार्थियों को स्वास्थ्य संस्थान में आईयूसीडी के लिए प्रेरित करने के लिए और उन्हें स्वास्थ्य संस्थान लाने के लिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता को प्रति मामला 150 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। PPIUCD स्थापना के लिए, सेवा प्रदाता (MO/SN/ANM/LHV) को प्रति मामला 150 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

6. गर्भपात (PAIUCD)

नियमों के अनुसार, गर्भपात के बाद, PAIUCD स्थापित करने के 12 दिनों के भीतर लाभार्थी को 300 रुपये की कार्य मुआवजा राशि तुरंत दी जाती है। PAIUCD स्थापित करने के बाद, आशा कार्यकर्ता (शहरी और ग्रामीण) को प्रति मामला 150 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और सेवा प्रदाता (MO/SN/ANM/LHV) को PAIUCD स्थापित करने के लिए प्रति मामला 150 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

7. गर्भनिरोधक इंजेक्शन (अंतर)

यह एक इंटरामस्क्युलर हार्मोनल गर्भनिरोधक है। यह एक अस्थायी उपाय है, जो एक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और तीन महीने तक प्रभावी रहता है। लंबे समय तक सुरक्षा के लिए हर तीन महीने में एक इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। लाभार्थी को प्रत्येक इंजेक्शन के लिए 100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आशा कार्यकर्ता को लाभार्थी को प्रेरित करने के लिए प्रति इंजेक्शन 100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

8. ममता कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में, विशेष रूप से रविदास समुदाय से संबंधित अनुसूचित जाति की महिलाओं को नियुक्त

किया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को देखभाल और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक प्रसव के लिए ममता कार्यकर्ताओं को 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाती है।

9. आशा कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत, महिलाओं को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के रूप में चयनित किया जाता है। सामान्यतः एक हजार जनसंख्या या एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक महिला को आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना होता है। उन्हें NHM के तहत वेतन के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

ग्रामीण विकास विभाग

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और कच्चे व जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को स्थायी आवास निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2016-17 से इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर लागू की गई है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को सामान्य जिलों में 1.20 लाख रुपये प्रति लाभार्थी और राज्य के 11 (ग्यारह) एकीकृत क्रियावली योजना (IAP) जिलों में 1.30 लाख रुपये प्रति लाभार्थी की सहायता राशि दी जाती है, जो कि हैं— अर्वल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है और राज्य-स्तरीय नोडल खाता से ई-एफएमएस प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना में परिवार की महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है। दिसंबर 2024 तक योजना के तहत कुल 39,35,471 घरों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 14,50,715 घरों को महिलाओं के नाम से मंजूरी दी गई है और 17,66,944 घरों को पुरुष और महिला दोनों के संयुक्त नाम से मंजूरी दी गई है।

2. मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना

मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना राज्य में 2018-19 से लागू है। इस योजना के तहत, भूमि से वंचित लोग और वे परिवार जो अतिक्रमण हटाने के कारण विस्थापित हुए हैं और जो जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान राजस्व और भूमि सुधार विभाग से आवासीय भूमि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आवासीय भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, पीएमएवाई-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल बिना भूमि वाले परिवारों को राज्य समर्थित योजना द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2023-24 में, लाभार्थियों को भूमि खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 60 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जो स्थानीय मूल्यांकन रजिस्टर (LAR) के आधार पर तय की जाती है। इस योजना में परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और अब तक 4070 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 60 हजार रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की जा चुकी है, जिसके तहत कुल 2442.00 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

3. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

यह राज्य समर्थित योजना 2018-19 से लागू है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के उन परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है जिनके

घर विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत 01 जनवरी 1996 से पहले बनाए गए थे और जो अब जर्जर हो चुके हैं तथा जो पहले से आवासीय योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना में, पीएमएवाई (ग्रामीण) के लिए पात्र नहीं होने वाले लोगों को घरों के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मुजफ्फरपुर जिले के 5 ब्लॉकों – बोचाहा, कांटी, मीनापुर, मोतिपुर और मुसहरी – के उन परिवारों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो तीव्र इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) से बुरी तरह प्रभावित हैं और जो पीएमएवाई (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं हैं। इस योजना के तहत, सामान्य जिलों में प्रति लाभार्थी 1.20 लाख रुपये और राज्य के 11 (ग्यारह) एकीकृत क्रियावली योजना (IAP) जिलों में प्रति लाभार्थी 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है। सहायता राशि को राज्य-स्तरीय नोडल खाता से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के तहत, दिसंबर 2024 तक कुल 86,431 लाभार्थियों को घरों की मंजूरी दी गई है, जबकि घरों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19, 2021–22 और 2023–24 के लिए 87,379 का भौतिक लक्ष्य तय किया गया था। इनमें से 78,043 लाभार्थियों ने घरों का निर्माण पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत आवास केवल महिला सदस्य के नाम से स्वीकृत किए जाते हैं। कुछ मामलों में संयुक्त रूप से या परिवार में महिला सदस्य के अभाव में परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर आवास स्वीकृत किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक कुल 41,072.65 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

4. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना

यह राज्य समर्थित योजना 2020–21 से लागू है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत, उन अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के परिवारों को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है जिनके घर अधूरे हैं और जिन्होंने 1 अप्रैल 2010 से पहले इंदिरा आवास योजना के तहत आवास का लाभ प्राप्त किया था। इस योजना के तहत, दिसंबर 2024 तक कुल 43,611 लाभार्थियों को आवास की मंजूरी दी गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए 44,279 का भौतिक लक्ष्य तय किया गया था। इनमें से 38,358 लाभार्थियों ने घरों का निर्माण पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत अब तक कुल 21,879.70 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक 7,184.5 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इस योजना में परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

5. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA)

LSBA को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और राज्य सरकार की 'लोहिया स्वच्छता योजना' को एकीकृत करके शुरू किया गया था ताकि 'शौचालय निर्माण-घर का सम्मान' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जो सात निश्चय-1 के तहत आता है। यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की उपलब्धता और उनके निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करती है। पहचान की गई पात्र परिवारों (सभी SC और ST परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, विकलांग लोगों और महिला-प्रधान परिवारों) को शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से बाहर रह गए श्रेणी-I परिवारों को भी LSBA के तहत कवर किया जाता है। LSBA के दूसरे चरण के तहत, सात निश्चय-2 के तहत 'स्वच्छ गांव – समृद्ध गांव' का संकल्प लिया गया। इसके तहत राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में LSBA के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को "ODF & Plus" बनाना है, जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को एक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिरता को बनाए रखा जाएगा। दूसरे चरण के तहत

21.56 मिलियन शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक (दिसंबर 2024 तक) 4.86 मिलियन शौचालयों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वनिर्मित किया गया है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के तहत, विशेष रूप से SC/ST परिवारों और अस्थायी जनसंख्याओं के लिए शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 9,291 सामुदायिक स्वच्छता परिसर ग्रामीण क्षेत्रों में 2019–20 से अब तक बनाए गए हैं।

6. जीविका – बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समाज

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समाज (जीविका), बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही है। इसके अंतर्गत, गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए संस्थागत संगठनों का निर्माण कर रोजगार के लिए वित्तीय सहायता, खाता प्रबंधन और अन्य बिंदुओं पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

(क) सामाजिक समावेश

अब तक कुल 10.63 लाख स्व-सहायता समूह (SHGs) बनाए गए हैं, जिनसे 1.31 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 71,110 ग्राम संगठन और 1,673 क्लस्टर महासंघों की स्थापना की गई है। समुदाय के पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के लिए 26 प्रशिक्षण और अध्ययन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, 399 क्लस्टर महासंघों और 22 प्रशिक्षण एवं अध्ययन केंद्रों को सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है।

(ख) वित्तीय समावेश

अब तक 10.35 लाख स्व-सहायता समूहों ने विभिन्न बैंकों के साथ बचत बैंक खाते खोले हैं, और कुल 47,563 करोड़ रुपये की ऋण राशि दी गई है। समूह के सदस्यों ने मिलकर 2,124.92 करोड़ रुपये की बचत की है। वित्तीय ग्राहक सेवा केंद्रों को खोलने की योजना के तहत कुल 5,986 बैंक सखी प्रशिक्षित की गई हैं और ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। बैंक सखियाँ दैनिक लेनदेन में 11 से 12 करोड़ रुपये का लेनदेन करती हैं, और अब तक कुल 14,962 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। इसके अलावा, बैंक सखियों ने 10,36,480 बैंक खाते खोले हैं और 35.89 करोड़ रुपये कमीशन के रूप में अर्जित किए हैं। ग्रामीण परिवार जीवन बीमा के तहत, अब तक 85.54 लाख सदस्यों को बीमित किया गया है।

(ग) कृषि गतिविधियाँ

अब तक 34.26 लाख छोटे और सीमांत किसानों को कृषि गतिविधियों से जोड़ा गया है। किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके उत्पादों को एकत्र किया जा रहा है, और 67 महिला संचालित उत्पादक कंपनियों के माध्यम से बाज़ार से जोड़ा जा रहा है। कृषि विभाग के साथ समन्वय में 483 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की गई है और इन्हें क्लस्टर महासंघों द्वारा संचालित किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 35 ब्लॉकों में 85 जैविक क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है, जिससे 6,832 किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि क्षेत्र में अब तक 5,178 कृषि उद्यम स्थापित किए गए हैं।

(घ) सामाजिक विकास

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम संगठनों को खाद्य सुरक्षा निधि के तहत 50,000 रुपये और स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के तहत 1 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत, 47,000 ग्राम संगठनों ने जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा निधि दी है। इसके अतिरिक्त, 52,000 ग्राम संगठनों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि प्रदान की गई है ताकि वे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकें। अब तक 4,500 किसानों को मुख्यमंत्री कोशी मुलबेरी 67 परियोजना से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें विशेष लाभ हुआ है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और डछत्तू। के साथ समन्वय में, 867 नर्सरी का विकास किया गया है, और इन नर्सरी के माध्यम से कुल 4.01 करोड़ फल और छांव देने वाले पेड़ लगाए गए हैं। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से, गया जिले में एक श्रीप्टम कंपनी स्थापित की गई है, जिसमें 382 समूह सदस्य सौर लैंप बनाने में शामिल हैं। अब तक 174 ब्लॉकों में “दीदी अधिकार केंद्र” संचालित हो रहे हैं, जो सक्षम जीविका दीदी (समुदाय की महिलाएं) द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। ये केंद्र ब्लॉक कार्यालयों में जाने वाले लोगों के लिए सहायता डेस्क के रूप में कार्य करते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) के तहत, 2,136 आपदा प्रशिक्षकों ने 3,691,008 जीविका दीदियों को प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विभिन्न मॉड्यूलों में प्रशिक्षण दिया है।

(च) कौशल विकास

जीविका और विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से, युवाओं को खुदरा व्यापार, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटो, बिजली आदि जैसे मांग आधारित क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब तक लगभग 4.08 लाख युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से कम से कम 70 प्रतिशत को रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। जीविका द्वारा दिल्ली और बंगलुरु में दो बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

7. सतत आजीविका योजना

सतत आजीविका योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा संचालित एक सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम है जो अत्यंत गरीब परिवारों के लिए है। अब तक कुल 2,01,218 परिवारों को चुना गया है। चयनित 2,01,218 अत्यंत गरीब परिवारों में से 1,74,202 परिवारों को आजीविका अंतर अंतराल सहायता प्रदान की गई है, और 1,87,900 परिवारों को एकीकृत संपत्तियाँ प्रदान की गई हैं।

8. MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत, एक प्रावधान है जिसके तहत सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों तक अकुशल रोजगार प्रदान किया जाता है, ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार परिवारों को इस कार्यक्रम का अधिकतम लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य अन्य राज्यों में रोजगार के लिए ग्रामीण-से-ग्रामीण प्रवासन को रोकना भी है, जिससे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। यह एक केंद्रीय योजना है, जिसमें केंद्रीय सरकार अकुशल श्रमिकों के वेतन पर 100 प्रतिशत खर्च वहन करती है, जबकि सामग्री के लिए 75 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक खर्च के लिए कुल खर्च का 6 प्रतिशत आवंटित करती है।

राजस्व और भूमि सुधार विभाग

1. अभियान बसेरा कार्यक्रम

यह योजना 2014-15 से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों/व्यक्तियों के लिए लागू की गई थी। मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत, भूमिहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के परिवारों को सरकारी भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में भूमि प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत, भूमि खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को ₹1,00,000 की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, भूमि को मुख्य रूप से महिलाओं के नाम पर खरीदा और पंजीकृत किया जाता है। अभियान बसेरा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि सुनिश्चित करना है।

इस कार्यक्रम के तहत, पात्र भूमिहीन परिवारों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इन परिवारों की महिला सदस्यों को भूमि प्रदान की जाती है। गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत निजी भूमि खरीदने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित आवंटन किया गया है:

- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹3,00 करोड़
- अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों के लिए ₹15,00 करोड़
- अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों के लिए ₹2,00 करोड़

अधिकांश मामलों में, भूमि पात्र परिवारों की महिला सदस्य के नाम पर खरीदी जाती है।

उद्योग विभाग

1. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

राज्य की महिलाओं में उद्यमिता/स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री SC/ST/EBC उद्यमी योजना के निरंतरता के रूप में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2021-22 से Saat Nischay - 2 के तहत लागू की गई है। इस योजना के तहत, महिलाओं द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत (प्रति यूनिट) का 50 प्रतिशत, जो कि अधिकतम ₹10 लाख तक होगा, ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। यह ऋण योजना के अंतिम किस्त की भुगतान के एक वर्ष बाद चुकता किया जाएगा, और इसकी वसूली Bihar Start-up Fund Trust द्वारा 84 समान किस्तों में की जाएगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाएगी। इस प्रकार कुल परियोजना लागत 50:50 के अनुपात में ऋण और अनुदान के रूप में होगी।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक लाभार्थी को प्रशिक्षण देने और परियोजना निगरानी समिति को सहायता देने के लिए प्रति यूनिट ₹25,000 खर्च किए जाएंगे। इस योजना का कार्यान्वयन Bihar Start-up Fund Trust द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत ₹25,000 लाख की कुल बजट व्यवस्था में से 100 प्रतिशत यानी ₹25,000 लाख महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण, ऋण और सब्सिडी पर खर्च करने का प्रस्ताव है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

1. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना

इस योजना के तहत, विभाग “हर घर नल का जल” योजना के तहत 56,447 वार्डों में पाइप जल आपूर्ति प्रणालियाँ स्थापित कर रहा है, जो गुणवत्ता प्रभावित और गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्रों दोनों में हैं। इस योजना के अंतर्गत घरेलू जल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। इन सभी पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं में महिला विकास पर अनुमानित व्यय लगभग 45 प्रतिशत है, और बाल कल्याण विकास पर लगभग 15 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है।

परिवहन विभाग

1. वाहन कर में छूट महिलाओं के लिए

यदि कोई तीन पहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, या मैक्सी कैब महिला के नाम पर पंजीकृत है और वह महिला स्वयं वाहन चलाती है, या फिर कोई अन्य महिला जिसके पास परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ऐसी महिला को वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (पंजीकरण)

1. Stamp Duty और पंजीकरण शुल्क में छूट

महिला सशक्तिकरण नीति 2015 के तहत, विभाग ने महिला के नाम पर बिक्री विलेख (Sale Deed) और उपहार विलेख (Gift Deed) के पंजीकरण पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की है। इस छूट का उद्देश्य महिला के नाम पर संपत्ति के दस्तावेजों का हस्तांतरण बढ़ाना है, जिससे महिलाओं को स्थायी संपत्ति पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। इस नीति से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह संपत्ति के अधिकारों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा।

पंचायती राज विभाग

1. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी

संविधान की 73वीं संशोधन में निर्धारित शक्ति का विकेंद्रीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायतों को धीरे-धीरे अधिकार और जिम्मेदारियाँ सौंपने का कार्य किया जा रहा है। महिला को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान भागीदार बनाने के लिए पंचायतों में महिला उम्मीदवारों के लिए चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी बढ़ी है और उनका योगदान मजबूत हुआ है।

2. ग्राम कचहरी में महिलाओं की भागीदारी

बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 106 का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना है। ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत

आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण ग्राम कचहरी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। 2021 में महिला पंचों और सरपंचों का प्रतिशत 59.55 प्रतिशत तक पहुँच गया। इन प्रावधानों ने पंचायत स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को मजबूत किया है।

3. महिला विकास के लिए पंचायती राज विभाग की अन्य पहलें

- **पब्लिक लाइब्रेरी और मुफ्त Wi-Fi :** छोटे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत, सभी ग्राम पंचायतों में पब्लिक लाइब्रेरी के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मुफ्त Wi-Fi सुविधा भी होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली और वंचित छात्र-छात्राओं और महिलाओं की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति में सहायता प्रदान करना है।
- **खुली जिम और सार्वजनिक शौचालय:** 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत, प्रत्येक ग्राम पंचायत में खुले जिम और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। यह पहल महिलाओं और ग्रामीण समुदाय की सेहत और स्वच्छता को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- **महिला महासभाएं:** पंचायत/ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत भवन में महिलाओं की सामान्य महासभाएं आयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

श्रम संसाधन विभाग

1. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

इस योजना के तहत, कुशल महिला तकनीकी श्रमिकों की आपूर्ति पक्ष को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, प्रत्येक जिले के मुख्यालय में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) खोला गया है। इस पहल के तहत कुल 31 महिला ITI संचालित किए जा रहे हैं। समाज में महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए, राज्य में पहले से स्थापित महिला ITI में नए और लोकप्रिय ट्रेडों की शुरुआत की गई है, जो आधुनिक प्रवृत्तियों और मांगों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इन नए ट्रेडों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ICTSM, कंप्यूटर-एडेड एम्ब्रॉयडरी और डिज़ाइनिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीशियन, एडिटिव मैनुफैक्चरिंग तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन और अन्य शामिल हैं। इस योजना के तहत, 15 महिला ITI में नए ट्रेडों की शुरुआत की गई है, जो जिलों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, आरा, सिवान, गया, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, किशनगंज, सहरसा, सारण और जहानाबाद में स्थित हैं।

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का राज्य परिषद द्वारा प्रशासन

महिला श्रमिकों की आपूर्ति पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए, प्रत्येक अव्यक्त जिला मुख्यालय में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है, कुल 7 महिला ITI संचालित किए जा रहे हैं। ये 7 संस्थान स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय प्रावधानों के तहत संचालित किए जाते हैं।

3. रोजगार और व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम

यह योजना चार प्रमुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है, जो निम्नलिखित हैं:

क. रोजगार और व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला

इस कार्यक्रम के तहत, रोजगार और व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला हर वर्ष, जिला और मंडल स्तर पर रोजगार निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है, ताकि उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिल सकें। रोजगार कार्यालय इस आयोजन को सुविधाजनक बनाता है और निजी नियोक्ताओं से रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करता है। मेले में नियोक्ता अपनी चयन प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करते हैं और उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं। महिलाएं भी इस योजना में भाग लेती हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, 1,094 महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

ख. रोजगार शिविर

हर महीने उप-क्षेत्रीय और जिला रोजगार कार्यालयों में आयोजित किए जाते हैं, ताकि उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिल सकें। रोजगार निदेशालय इन शिविरों का आयोजन करता है, जहां नियोक्ता अपनी चयन प्रक्रिया करते हैं और उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं। महिलाएं भी इस योजना में भाग लेती हैं। 2024–25 में, 700 महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

ग. कैरियर सूचना केंद्र कैरियर सूचना केंद्र

सभी उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, जिला रोजगार कार्यालयों और विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केंद्रों में कार्यरत हैं। ये केंद्र उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य करियर संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। जो उम्मीदवार प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से नौकरी के अवसरों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इन केंद्रों से सहायता मिलती है। महिलाएं भी इस योजना में भाग लेती हैं।

घ. प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री

कमजोर वर्गों (जैसे महिलाएं, विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग) के उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अध्ययन किट प्रदान की जाती है। इस किट का अधिकतम मूल्य 5,000 रुपये है। योजना में 30 प्रतिशत महिला भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और इसके कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

4. आत्म-रोजगार के लिए टूल किट

इस योजना के तहत, मान्यता प्राप्त संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल आदि) में प्रशिक्षित व्यक्तियों को आत्म-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 15,000 रुपये तक का टूल किट प्रदान किया जाता है। महिला भागीदारी को भी इस योजना में प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें 30 प्रतिशत महिला भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।

5. बिहार कौशल विकास मिशन (सात संकल्प 2.0)

इस पहल के तहत, विभिन्न जिलों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि कुशल तकनीकी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। मिशन में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत व्यय का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में, लगभग 52 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं थीं।

6. कौशल विकास योजना (LWE)

कौशल विकास योजना के तहत, पुरुष और महिला युवाओं के लिए नौ ITI और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण और व्यय किया जाता है। इस पहल के तहत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

विधि विभाग

1. बिहार महिला पीड़ित मुआवजा योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पीड़ित मुआवजा योजना बनाई, और इसका उद्देश्य विशेष रूप से एसिड हमलों, एसिड की बिक्री और अन्य मामलों में पीड़ितों की सहायता करना था। इसके साथ ही, भारतीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्देश दिए, जिनके आधार पर बिहार पीड़ित मुआवजा योजना, 2011 बनाई गई। बाद में, इस योजना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संशोधित किया गया और इसे बिहार पीड़ित मुआवजा योजना, 2014 के रूप में अधिसूचित किया गया। इसके बाद, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने इस योजना को 2018 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत पीड़ित मुआवजा कोष के रूप में और अधिक संशोधित किया, और योजना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी दी गई। परिणामस्वरूप, बिहार पीड़ित मुआवजा योजना, 2014 को संशोधित कर योजना के भाग 2 के रूप में लागू किया गया।

इस योजना के तहत एसिड हमलों, बलात्कार, बाल शोषण, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न (बलात्कार को छोड़कर), गर्भपात, और प्रजनन क्षमता की हानि जैसी घटनाओं के पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा प्रदान किया जाता है। मुआवजा की राशि योजना के तहत निर्धारित की जाती है और उसे पीड़ितों को प्रदान किया जाता है।

इस योजना का कार्यान्वयन पटना में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Bihar State Legal Services Authority) द्वारा किया जाता है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 20.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 25.00 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य एसिड हमलों, बलात्कार, शारीरिक शोषण, और अन्य समान अपराधों के शिकार महिलाओं और बच्चों को न्याय प्रदान करना और उनके पुनर्वास में मदद करना है।

शहरी विकास और आवास विभाग

1. सबके लिए आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को स्थायी आवास प्रदान करना है जिनके पास स्वयं का स्थायी घर नहीं है। शहरी जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा महिलाएं हैं, और इस योजना का लक्ष्य है कि 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाए।

2. स्मार्ट सिटी मिशन

इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के चार शहरी नगरपालिकाओं (पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, और मुजफ्फरपुर) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। इस मिशन के तहत इन शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी उन्नति, और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि शहरी जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित और स्मार्ट बनाया जा सके।

जेन्डर बजट 2025-26

तालिका 5 : विभागवार विवरणी

(राशि लाख रू० में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2023-24 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (कुल बजट अनुमान)	2025-26 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	52195.80	85204.81	97699.93	280226.99	84068.10
3	भवन निर्माण विभाग	37651.04	63921.20	90197.23	132823.11	67067.26
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1647.11	1797.25	2037.24	411360.24	10498.49
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	121182.29	84840.16	85354.33	171822.90	84991.78
16	पंचायती राज विभाग	38590.60	36041.46	34469.48	448596.84	224298.44
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	59077.53	40937.38	62118.44	89979.91	42290.56
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	5507.28	7256.20	9904.71	19742.98	7675.48
20	स्वास्थ्य विभाग	204465.11	188035.54	209621.10	663847.71	213041.63
21	शिक्षा विभाग	1354716.34	1300499.84	1962904.54	4965960.47	1795991.18
22	गृह विभाग	674.70	715.00	715.00	71.00	71.00
23	उद्योग विभाग	63898.70	59080.40	72998.00	109101.00	58640.40
26	श्रम संसाधन विभाग	11608.50	21853.64	21026.10	61806.00	21131.80
27	विधि विभाग	0.00	0.00	0.00	3000.00	1800.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	12079.90	23440.00	22942.60	40801.00	22020.40
33	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	36148.47	37277.41	124263.19	43492.12
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	92602.49	65144.25	73238.85	225217.00	101382.65
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	34574.50	57345.26	69983.90	194840.76	59152.23
42	ग्रामीण विकास विभाग	4587860.40	997357.57	1048131.80	1528705.70	1124208.93
43	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	47315.00	35102.23	36211.67	108149.71	37928.72
44	अनु० जाति अनु० जनजाति कल्याण विभाग	59167.11	75374.88	74750.30	184989.49	75186.40
46	पर्यटन विभाग	9121.86	13100.00	37600.00	81000.00	40500.00
47	परिवहन विभाग	3624.57	4641.46	4417.16	17691.96	5307.59
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	272729.95	238583.37	254130.65	615599.91	185008.59
51	समाज कल्याण विभाग	498457.68	460790.94	724942.75	870892.56	553338.42
52	खेल विभाग	396.19	6152.92	6704.17	18740.78	6559.26
योग		7569144.65	3903364.23	5039377.36	11369231.21	4865651.43

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं

जेन्डर बजट 2025-26

तालिका 6 : वर्ष 2025-26 के जेन्डर बजट के अंतर्गत विभागवार महिलाओं पर प्रावधानित राशि

(राशि लाख रु0 में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	बजट उपबंध	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित राशि	महिलाओं के लिए कम-से-कम 30 प्रतिशत कर्णांकित राशि	कुल योग
1	कृषि विभाग	280226.99	0.00	84068.10	84068.10
3	भवन निर्माण विभाग	132823.11	0.00	67067.26	67067.26
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	411360.24	0.00	10498.49	10498.49
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	171822.90	9512.92	75478.86	84991.78
16	पंचायती राज विभाग	448596.84	0.00	224298.44	224298.44
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	89979.91	0.00	42290.56	42290.56
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	19742.98	0.00	7675.48	7675.48
20	स्वास्थ्य विभाग	663847.71	19839.02	193202.61	213041.63
21	शिक्षा विभाग	4965960.47	89084.64	1706906.54	1795991.18
22	गृह विभाग	71.00	71.00	0.00	71.00
23	उद्योग विभाग	109101.00	25000.00	33640.40	58640.40
26	श्रम संसाधन विभाग	61806.00	3700.00	17431.80	21131.80
27	विधि विभाग	3000.00	0.00	1800.00	1800.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	40801.00	100.00	21920.40	22020.40
33	सामान्य प्रशासन विभाग	124263.19	0.00	43492.12	43492.12
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	225217.00	0.00	101382.65	101382.65
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	194840.76	1000.00	58152.23	59152.23
42	ग्रामीण विकास विभाग	1528705.70	548501.00	575707.93	1124208.93
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	108149.71	117.41	37811.31	37928.72
44	अनु० जाति अनु० जनजाति कल्याण विभाग	184989.49	0.00	75186.40	75186.40
46	पर्यटन विभाग	81000.00	0.00	40500.00	40500.00
47	परिवहन विभाग	17691.96	0.00	5307.59	5307.59
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	615599.91	0.00	185008.59	185008.59
51	समाज कल्याण विभाग	870892.56	119734.55	433603.87	553338.42
52	खेल विभाग	18740.78	0.00	6559.26	6559.26
योग		11369231.21	816660.54	4048990.89	4865651.43

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं

जेन्डर बजट 2025-26 विभागवार विवरणी

तालिका 7 :स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि लाख रू० में)

मांग सं०	विभाग का नाम	2023-24 (वास्तविकी जेन्डर)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2025-26 (कुल बजट अनुमान)	2025-26 (जेन्डर बजट अनुमान)
03	भवन निर्माण विभाग	7482.93	11648.28	29113.26	34162.53	13665.01
08	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	226.00	643.75	883.74	406420.24	8294.49
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2844.72	6392.06	7231.26	12222.91	10333.91
16	पंचायती राज विभाग	23298.90	33814.02	33242.03	445796.84	222848.44
20	स्वास्थ्य विभाग	10191.46	12839.95	18097.18	20782.84	13822.17
21	शिक्षा विभाग	296437.17	466363.24	486829.59	2996636.47	1049820.97
22	गृह विभाग	35.19	50.00	50.00	42.00	42.00
27	विधि विभाग	0.00	0.00	0.00	3000.00	1800.00
33	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	30058.47	31187.41	105056.41	36769.75
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	28602.67	43653.07	44452.83	152640.80	45792.24
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	30991.49	20666.48	20899.24	67349.71	23648.72
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	7311.48	10242.51	9385.65	37153.31	12545.25
47	परिवहन विभाग	3624.57	4641.46	4417.16	17691.96	5307.59
51	समाज कल्याण विभाग	838.93	1937.95	1937.95	1975.30	1975.30
52	खेल विभाग	122.95	902.92	929.17	2588.54	905.98
कुल योग		412008.46	643854.16	688656.47	4303519.86	1447571.82

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं

जेन्डर बजट 2025-26 विभागवार विवरणी

तालिका 8 : स्कीम (राज्य स्कीम/केन्द्रीय स्कीम)

(राशि लाख रू0 में)

मांग सं0	विभाग का नाम	2023-24 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (कुल बजट अनुमान)	2025-26 (जेन्डर बजट अनुमान)
01	कृषि विभाग	52195.80	85204.81	97699.93	280226.99	84068.10
03	भवन निर्माण विभाग	30168.11	52272.92	61083.97	98660.58	53402.25
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1421.11	1153.50	1153.50	4940.00	2204.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	118337.57	78448.10	78123.07	159599.99	74657.87
16	पंचायती राज विभाग	15291.70	2227.44	1227.45	2800.00	1450.00
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	59077.53	40937.38	62118.44	89979.91	42290.56
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	5507.28	7256.20	9904.71	19742.98	7675.48
20	स्वास्थ्य विभाग	194273.65	175195.59	191523.92	643064.87	199219.46
21	शिक्षा विभाग	1058279.17	834136.60	1476074.95	1969324.00	746170.21
22	गृह विभाग	639.51	665.00	665.00	29.00	29.00
23	उद्योग विभाग	63898.70	59080.40	72998.00	109101.00	58640.40
26	श्रम संसाधन विभाग	11608.50	21853.64	21026.10	61806.00	21131.80
27	विधि विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	12079.9	23440.00	22942.60	40801.00	22020.40
33	सामान्य प्रशासन विभाग	0	6090.00	6090.00	19206.78	6722.37
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	92602.49	65144.25	73238.85	225217.00	101382.65
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	5921.33	13692.19	25531.07	42199.96	13359.99
42	ग्रामीण विकास विभाग	4587860.40	997357.57	1048131.80	1528705.70	1124208.93
43	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	16323.51	14435.75	15312.43	40800.00	14280.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	51855.63	65132.37	65364.65	147836.18	62641.15
46	पर्यटन विभाग	9121.86	13100.00	37600.00	81000.00	40500.00
47	परिवहन विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	272729.95	238583.37	254130.65	615599.91	185008.59
51	समाज कल्याण विभाग	497618.75	458852.99	723004.80	868917.26	551363.12
52	खेल विभाग	273.24	5250.00	5775.00	16152.24	5653.28
कुल योग		7157085.69	3259510.07	4350720.89	7065711.35	3418079.61

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं

जेन्डर बजट 2025-26 विभागवार विवरणी

तालिका 9 : श्रेणी-ए – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

(राशि लाख रु० में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2023-24 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (कुल जेंडर बजट अनुमान)
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2557.72	5941.56	6758.65	9512.92
20	स्वास्थ्य विभाग	107035.76	10856.88	42181.88	19839.02
21	शिक्षा विभाग	198415.23	75554.11	267767.61	89084.64
22	गृह विभाग	674.70	715.00	715.00	71.00
23	उद्योग विभाग	15463.00	25000.00	25000.00	25000.00
26	श्रम संसाधन विभाग	2147.55	2853.46	3132.11	3700.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	165.00	200.00	200.00	100.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	28.34	2000.00	2000.00	1000.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	77859.17	455350.00	475329.84	548501.00
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	17647.74	107.34	107.34	117.41
51	समाज कल्याण विभाग	88189.86	106795.49	141842.00	119734.55
योग		510184.07	685373.84	965034.43	816660.54

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं । पिछले वित्तीय वर्ष से 19.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जेन्डर बजट 2025-26 विभागवार विवरणी

तालिका 10 : श्रेणी-बी – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम
(राशि लाख रू० में)

मांग संख्या I	विभाग का नाम	2023-24 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेन्डर बजट अनुमान)	2024-25 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (कुल बजट अनुमान)	2025-26 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	52195.80	85204.81	97699.93	280226.99	84068.10
3	भवन निर्माण विभाग	37651.04	63921.20	90197.23	132823.11	67067.26
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1647.11	1797.25	2037.24	411360.24	10498.49
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	60562.74	78898.60	78595.68	162309.98	75478.86
16	पंचायती राज विभाग	38590.60	36041.46	35469.48	448596.84	224298.44
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	59077.53	40937.38	62118.44	89979.91	42290.56
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	5507.28	7256.20	9904.71	19742.98	7675.48
20	स्वास्थ्य विभाग	97429.35	177178.66	167439.22	644008.69	193202.61
21	शिक्षा विभाग	1156301.11	1224945.73	1695136.93	4876875.83	1706906.54
23	उद्योग विभाग	48435.68	34080.40	47997.98	84101.00	33640.40
26	श्रम संसाधन विभाग	9460.96	19000.18	17893.95	58106.00	17431.80
27	विधि विभाग	0.00	0.00	0.00	3000.00	1800.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	11914.88	23240.00	22742.60	40701.00	21920.40
33	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	36148.47	37277.41	124263.19	43492.12
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	92602.49	65144.25	73238.85	225217.00	101382.65
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	34546.12	55345.26	67983.89	193840.76	58152.23
42	ग्रामीण विकास विभाग	451001.19	542007.57	572801.92	980204.70	575707.93
43	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	29667.26	34994.89	36104.33	108032.30	37811.31
44	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	59167.11	75374.88	74750.30	184989.49	75186.40
46	पर्यटन विभाग	9121.86	13100.00	37600.00	81000.00	40500.00
47	परिवहन विभाग	3624.57	4641.46	4417.16	17691.96	5307.59
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	272729.95	238583.37	254130.65	615599.91	185008.59
51	समाज कल्याण विभाग	410267.82	353995.45	583100.75	751158.01	433603.87
52	खेल विभाग	396.19	6152.92	6704.17	18740.78	6559.26
योग		2941898.64	3217990.39	4075342.82	10552570.67	4048990.89

पिछले वित्तीय वर्ष से 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

अनुसूची

जेन्डर बजट 2025-26

श्रेणी 'ए' – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770010 पिछड़ी जातियों के लिए 12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	2557.72	5941.56	6758.65	9512.92	9512.92
कुल योग	2557.72	5941.56	6758.65	9512.92	9512.92
मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2210051050011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	282.82	283.57	283.57	313.00	313.00
20-2210051050012 प्रशिक्षण नर्स	8202.06	8273.31	14598.31	10526.02	10526.02
20-2210061010114 आशा कार्यकर्ता एवं आशा फ़ैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन	5000.00	1100.00	22600.00	3000.00	3000.00
20-2211001030102 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	1756.68	500.00	500.00	500.00	500.00
20-4210031050112 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल	5999.99	700.00	4200.00	5500.00	5500.00
20-2211000030206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	340.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20-2211000030306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20-2211001010205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	74268.40	0.00	0.00	130000.00	130000.00
20-2211001010305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	11149.01	0.00	0.00	47500.00	47500.00
कुल योग	107035.76	10856.88	42181.88	197339.02	197339.02
मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग					
21-2202031030003 राजकीय महिला महाविद्यालय	1153.33	1554.11	1567.51	1584.64	1584.64
21-2202011090102 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना— प्रारंभिक शिक्षा	9437.32	1500.00	10000.00	10000.00	10000.00
21-2202021070107 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना— माध्यमिक शिक्षा	13227.04	3500.00	9400.00	11600.00	11600.00
21-2202027890104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (एस0सी0)— माध्यमिक शिक्षा	1873.61	1000.00	3500.00	3400.00	3400.00
21-2202031070104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना — उच्चतर शिक्षा	3006.10	500.00	4000.00	2000.00	2000.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
21-2202021070106 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना—माध्यमिक शिक्षा	9994.24	3500.00	8100.00	2000.00	2000.00
21-2202027890102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (एस0सी0)—माध्यमिक शिक्षा	3239.94	1500.00	3500.00	500.00	500.00
21-2202021090109 मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम—माध्यमिक शिक्षा	8043.34	2500.00	8045.10	8000.00	8000.00
21-2202031070108 मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना — उच्चतर शिक्षा	11095.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202031070109 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना — उच्चतर शिक्षा	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202021070110 मुख्यमंत्री (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना - सात निश्चय - 2	77000.00	40000.00	122735.00	30000.00	30000.00
21-2202031070110 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना — उच्चतर शिक्षा	60000.00	20000.00	96920.00	20000.00	20000.00
21-2202020040102 हुनर	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	198415.23	75554.11	267767.61	89084.64	89084.64
मांग सं0-22 गृह विभाग					
22-2235602000016 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनी की शादी हेतु अनुदान	35.19	50.00	50.00	42.00	42.00
22-2055000030401 महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)	639.51	665.00	665.00	29.00	29.00
कुल योग	674.70	715.00	715.00	71.00	71.00
मांग सं0-23 उद्योग विभाग					
23-2851001020109 महिला उद्यमी योजना	7920.50	12810.00	12810.00	12810.00	12810.00
23-6851001020103 महिला उद्यमी योजना	7542.50	12190.00	12190.00	12190.00	12190.00
कुल योग	15463.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
मांग सं0-26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230031010101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	2132.22	2803.46	3082.11	3400.00	3400.00
26-2230031010102 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	15.33	50.00	50.00	300.00	300.00
कुल योग	2147.55	2853.46	3132.11	3700.00	3700.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2250001010101 मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप राशि उपलब्ध कराने हेतु	165.00	200.00	200.00	100.00	100.00
कुल योग	165.00	200.00	200.00	100.00	100.00
मांग सं0-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-4047000500107 पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय	6.64	300.00	300.00	150.00	150.00
40-4047007890106 अनु0 जाति के गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	0.00	1500.00	1500.00	750.00	750.00
40-4047007960101 अनु0 जनजाति के गृह विहिनों के लिए वास भूमि का क्रय	21.70	200.00	200.00	100.00	100.00
कुल योग	28.34	2000.00	2000.00	1000.00	1000.00
मांग सं0-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2216031020101 मुख्यमंत्री वास स्थल कय सहायता योजना	130.00	100.00	100.00	0.00	0.00
42-2216037890104 मुख्यमंत्री वास स्थल कय सहायता योजना— अनु0 जाति	325.00	40.00	40.00	1.00	1.00
42-2216037960103 मुख्यमंत्री वास स्थल कय सहायता योजना— अनु0 जनजाति	1265.00	10.00	10.00	0.00	0.00
42-2216031050107 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	10831.48	6000.00	10500.00	3000.00	3000.00
42-2216037890105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना— अनु0 जाति	27078.71	10000.00	19000.00	6000.00	6000.00
42-2216037960104 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना— अनु0 जनजाति	5415.74	4000.00	5500.00	1000.00	1000.00
42-2216031050202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0) (प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी0एम0ए0वाई0)	7853.57	139460.00	139460.00	330000.00	330000.00
42-2216037890202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी0एम0ए0वाई0)	0.00	220200.00	220200.00	100000.00	100000.00
42-2216037960202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी0एम0ए0वाई0)	355.00	7340.00	7340.00	2000.00	2000.00
42-2216031050302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी0एम0ए0वाई0)	5464.98	50700.00	55200.00	80000.00	80000.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
42-2216037890302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी0एम0ए0वाई0)	0.00	13000.00	13000.00	18000.00	18000.00
42-2216037960302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)(प्रधानमंत्री आवास योजना)(पी0एम0ए0वाई0)	0.00	1300.00	1300.00	2000.00	2000.00
42-2216031050108 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	4784.92	1000.00	1000.00	300.00	300.00
42-2216037890106 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	11962.31	1500.00	1500.00	600.00	600.00
42-2216037960105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	2392.46	500.00	500.00	100.00	100.00
42-2235021030132 महिला किसान सशक्तिकरण	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00
42-2501061010207 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	98.00	455.84	244.00	244.00
42-2501061010307 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	66.00	99.00	163.00	163.00
42-2501067890206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	20.00	95.00	51.00	51.00
42-2501067890306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	12.00	18.00	34.00	34.00
42-2501067960206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	2.00	9.00	5.00	5.00
42-2501067960306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी-एनआरएलएम)	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00
कुल योग	77859.17	455350.00	475329.84	548501.00	548501.00
मांग सं0-43 विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग					
43-2203001030001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	88.12	107.34	107.34	117.41	117.41
43-2203001050001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	16802.83	0.00	0.00	0.00	0.00
43-2203001050106 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	756.79	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	17647.74	107.34	107.34	117.41	117.41
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235021030003 बिहार राज्य महिला आयोग	171.14	751.71	751.71	798.19	798.19
51-2235021040001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय-गृह	151.44	186.24	186.24	177.11	177.11

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2235028000002 अन्तर्जातीय विवाह	516.35	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
51-2235021020116 परवरिश	1750.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00
51-2235021010111 विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	12.20	18.00	18.00	20.00	20.00
51-2235021020224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	65.07	3149.16	3149.16	2440.28	2440.28
51-2235021020226 राष्ट्रीय केच स्कीम	0.00	14.63	90.31	478.51	478.51
51-2235021020324 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	253.29	787.30	2134.00	0.02	0.02
51-2235021020326 राष्ट्रीय केच स्कीम	0.00	9.76	60.21	159.50	159.50
51-2235021030105 महिला विकास निगम सहायक अनुदान	750.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51-2235021030109 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	7364.64	6750.00	6750.00	3400.00	3400.00
51-2235021030110 नारी शक्ति योजना	2476.00	4000.00	4000.00	4500.00	4500.00
51-2235021030111 कन्या सुरक्षा योजना	10500.00	10000.00	10000.00	19708.00	19708.00
51-2235021030219 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	61.05	0.01	0.01	0.00	0.00
51-2235021030225 मातृत्व लाभ योजना	4633.86	18531.80	18531.80	16375.18	16375.18
51-2235021030319 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
51-2235021030325 मातृत्व लाभ योजना	4402.42	2588.65	7360.57	1000.02	1000.02
51-2235027890107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	1659.69	2000.00	2000.00	1800.00	1800.00
51-2235027890108 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	479.04	1000.00	1000.00	1800.00	1800.00
51-2235027890109 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	1500.00	2000.00	2000.00	3100.00	3100.00
51-2235027890312 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	20.35	262.43	711.35	610.07	610.07
51-2235027890313 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2235027960123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	126.48	250.00	250.00	250.00	250.00
51-2235031010103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	56.71	70.00	70.00	5.00	5.00
51-2235031010203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	18839.34	16753.00	16753.00	12950.04	12950.04
51-2235031010303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	0.00	2000.00	6341.00	2600.00	2600.00
51-2235037890102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	125.00	30.00	30.00	30.00	30.00
51-2235037890202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	4709.84	6663.00	6663.00	10900.00	10900.00
51-2235037890302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	0.00	1200.00	1200.00	1600.00	1600.00
51-2235601020105 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	21981.44	11600.00	33516.84	13962.00	13962.00
51-2235607890102 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	5459.18	7000.00	7000.00	7950.00	7950.00
51-2235021030230 मिशन शक्ति (संबल)वन स्टॉप सेन्टर	0.00	1440.55	1440.55	1952.05	1952.05
51-2235021030231 मिशन शक्ति (संबल) बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ	0.00	1290.01	2257.51	1290.01	1290.01
51-2235021030232 मिशन शक्ति (संबल) महिला हेल्पलाइन	125.33	162.57	201.03	76.63	76.63
51-2235021030233 मिशन शक्ति (संबल) नारी अदालत	0.00	0.02	158.06	632.14	632.14
51-2235021030234 मिशन शक्ति (सामार्थ) शक्ति सदन	0.00	0.02	303.15	1212.50	1212.50
51-2235021030235 मिशन शक्ति (सामार्थ) सखी निवास	0.00	0.02	88.30	353.09	353.09
51-2235021030236 मिशन शक्ति (सामार्थ) स्टेट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्लू)	0.00	198.90	209.69	47.22	47.22
51-2235021030237 मिशन शक्ति (सामार्थ) डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्लू)	0.00	759.24	916.04	843.15	843.15
51-4235021030201 मिशन शक्ति (संबल)वन स्टॉप सेन्टर	0.00	1589.65	1589.65	2838.35	2838.35
51-2235021030330 मिशन शक्ति (सामार्थ) शक्ति सदन	0.00	0.02	202.10	304.17	304.17
51-2235021030331 मिशन शक्ति (सामार्थ) सखी निवास	0.00	0.02	58.86	158.79	158.79
51-2235021030332 मिशन शक्ति (सामार्थ) स्टेट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्लू)	0.00	132.60	139.66	31.48	31.48
51-2235021030333 मिशन शक्ति (सामार्थ) डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्लू)	0.00	506.16	610.18	281.05	281.05
कुल योग	88189.86	106795.49	141842.00	119734.55	119734.55
महा योग	510184.08	685373.84	965034.43	994160.54	994160.54

जेन्डर बजट 2025-26

श्रेणी 'बी' – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परंतु 100 प्रतिशत से कम

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-01 कृषि विभाग					
01-2401000010214 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि (कृषोन्नती योजना)	0.00	141.42	226.31	6977.34	2093.20
01-2401000010314 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि (कृषोन्नती योजना)	0.00	33.13	151.18	1186.56	355.97
01-2401001020201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण योजना) (कृषोन्नती योजना)	1792.00	1165.86	2101.00	6947.63	2084.29
01-2401001020301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण योजना) (कृषोन्नती योजना)	1061.00	267.98	1512.37	1181.55	354.47
01-2401001030109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	3065.00	4572.29	5883.19	15943.01	4782.90
01-2401001030218 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल (कृषोन्नती योजना)	264.00	206.35	213.57	839.23	251.77
01-2401001030318 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल (कृषोन्नती योजना)	126.00	48.02	146.81	142.73	42.82
01-2401001040106 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	2617.00	2710.32	2710.32	9581.51	2874.45
01-2401001040205 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)	484.97	294.67	377.20	2868.47	860.54
01-2401001040305 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)	315.77	68.46	251.49	487.81	146.34
01-2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	1751.97	1649.76	1759.74	1570.74	471.22

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2401001050207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	25.77	88.50	173.00	1395.94	418.78
01-2401001050307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	19.22	20.55	115.29	237.37	71.21
01-2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल—तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	59.81	0.00	107.19	1162.60	348.78
01-2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल—तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	38.38	0.00	76.37	197.82	59.35
01-2401001090103 बाढ़, सुखाड़ की अपातकालीन योजना	3653.23	4242.24	4242.24	7853.70	2356.11
01-2401001090106 इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	7307.93	11682.66	11682.66	23561.10	7068.33
01-2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	1198.20	2107.77	3043.90	15319.55	4595.87
01-2401001090217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	1210.37	2180.59	2180.59	6292.70	1887.81
01-2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	426.90	796.02	796.03	8692.50	2607.75
01-2401001090220 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	0.00	0.00	289.26	86.78
01-2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	808.60	459.79	1984.44	2605.24	781.57
01-2401001090317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	877.20	507.58	1454.79	1070.14	321.04
01-2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	284.68	184.93	530.53	1478.25	443.48
01-2401001090327 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	0.00	0.00	49.09	14.73

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2401001130105 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन	2134.38	3063.84	3063.84	157.09	47.13
01-2401001130217 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	290.40	1500.78	1736.58	10405.02	3121.51
01-2401001130317 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	193.60	351.17	1160.39	1769.43	530.83
01-2401001190101 उद्यान विकास योजना	3518.14	7070.40	7070.40	19634.25	5890.28
01-2401001190224 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	473.25	893.88	919.83	4363.14	1308.94
01-2401001190324 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	311.93	207.59	613.12	742.01	222.60
01-2401007890106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	1618.88	2953.50	2953.50	6000.00	1800.00
01-2401007890117 बीज उत्पादन कार्यक्रम	763.51	1163.70	1436.40	4060.00	1218.00
01-2401007890120 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाईजेशन	343.59	780.00	780.00	40.00	12.00
01-2401007890125 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	829.99	1080.00	1080.00	2000.00	600.00
01-2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	356.80	420.00	420.00	400.00	120.00
01-2401007890130 उद्यान विकास योजना	811.01	1800.00	1800.00	5000.00	1500.00
01-2401007890147 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	367.93	690.00	690.00	2440.00	732.00
01-2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	232.50	505.92	744.13	2738.82	821.65
01-2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल—तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	10.73	0.00	27.28	207.60	62.28

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2401007890235 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	91.50	226.11	232.71	780.00	234.00
01-2401007890236 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	250.59	554.72	554.72	1125.00	337.50
01-2401007890237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा)(कृषोन्नती योजना)	172.55	321.37	563.82	1242.00	372.60
01-2401007890238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	26.75	2238.90	41.14	249.60	74.88
01-2401007890239 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	82.80	201.99	201.99	1554.00	466.20
01-2401007890240 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि (कृषोन्नती योजना)	0.00	36.00	54.00	1247.40	374.22
01-2401007890241 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)	91.43	74.96	89.96	512.82	153.85
01-2401007890245 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	56.40	381.78	441.78	1860.30	558.09
01-2401007890262 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	15.00	4.50
01-2401007890249 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (कृषोन्नती योजना)	29.48	52.39	52.40	150.00	45.00
01-2401007890263 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	0.00	0.00	51.84	15.55
01-2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	155.10	147.47	535.42	1825.88	547.76
01-2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा) (कृषोन्नती योजना)	143.53	77.92	370.51	828.00	248.40

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल—तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	7.24	0.00	18.22	138.40	41.52
01-2401007890335 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	64.52	52.58	155.78	520.00	156.00
01-2401007890336 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	165.29	128.07	369.10	750.00	225.00
01-2401007890338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	3.86	5.21	27.48	166.40	49.92
01-2401007890339 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	55.22	47.00	134.95	1036.00	310.80
01-2401007890340 नेशनल ई—गवर्नेंस प्लान—कृषि (कृषोन्नती योजना)	0.00	8.10	35.73	831.60	249.48
01-2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)	60.95	17.43	60.01	341.88	102.56
01-2401007890345 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाईजेशन (आर0के0वी0वाई0)	37.60	86.21	292.13	1240.20	372.06
01-2401007890349 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (कृषोन्नती योजना)	19.65	12.10	34.91	100.00	30.00
01-2401007890353 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00
01-2401007890354 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	0.00	0.00	34.56	10.37
01-2401007960134 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	85.95	213.84	155.90	438.90	131.67
01-2401007960140 बीज उत्पादन कार्यक्रम	50.77	83.80	103.42	296.99	89.10
01-2401007960143 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकनाईजेशन	13.86	56.16	56.16	2.91	0.87

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2401007960147 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	58.07	77.76	77.76	146.30	43.89
01-2401007960148 जैविक खेती का उन्नयन	21.51	30.24	30.24	29.26	8.78
01-2401007960152 उद्यान विकास योजना	52.21	129.60	129.60	365.75	109.73
01-2401007960169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	25.76	49.68	49.68	178.49	53.55
01-2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	21.90	37.91	54.59	200.35	60.11
01-240100796256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल—तेलहन)(कृषोन्नती योजना)	0.88	0.00	1.91	15.19	4.56
01-2401007960257 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	7.13	16.24	16.71	57.06	17.12
01-2401007960258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आर०के०वी०वाई०)	0.59	1.61	2.92	18.27	5.48
01-2401007960259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा) (कृषोन्नती योजना)	14.43	21.57	38.55	90.85	27.26
01-2401007960260 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	18.53	39.68	39.68	82.30	24.69
01-2401007960261 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर०के०वी०वाई०)	7.80	14.47	14.48	113.70	34.11
01-2401007960262 नेशनल ई—गवर्नेंस प्लान—कृषि (कृषोन्नती योजना)	0.00	2.57	3.83	91.26	27.38
01-2401007960263 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)	6.31	5.36	6.41	37.51	11.25
01-2401007960267 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (आर०के०वी०वाई०)	5.40	27.31	31.51	136.08	40.82

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2401007960271 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (कृषोन्नती योजना)	1.66	3.75	3.75	10.97	3.29
01-2401007960275 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	1.10	0.33
01-2401007960276 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	0.00	0.00	3.90	1.17
01-2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	14.70	8.82	35.98	133.56	40.07
01-2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (खाद्य तेल—तेलहन) (कृषोन्नती योजना)	0.59	0.00	1.28	10.13	3.04
01-2401007960357 राष्ट्रीय बागबानी मिशन (कृषोन्नती योजना)	4.80	3.88	11.10	38.04	11.41
01-2401007960358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (आर0के0वी0वाई0)	0.28	0.38	1.94	12.18	3.65
01-2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य एवं पोषण सुरक्षा) (कृषोन्नती योजना)	8.08	5.01	25.50	60.57	18.17
01-2401007960360 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (कृषोन्नती योजना)	12.93	9.25	26.12	54.86	16.46
01-2401007960361 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (आर0के0वी0वाई0)	5.20	3.36	9.52	75.80	22.74
01-2401007960362 नेशनल ई—गवर्नेंस प्लान—कृषि (कृषोन्नती योजना)	0.00	0.60	2.54	60.84	18.25
01-2401007960363 परम्परागत कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)	4.21	1.24	4.22	25.01	7.50
01-2401007960367 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (आर0के0वी0वाई0)	3.60	6.34	20.76	90.72	27.22

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2401007960371 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (कृषोन्नती योजना)	1.10	0.87	2.47	7.32	2.20
01-2401007960375 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	0.00	0.00	0.73	0.22
01-2401007960376 राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन	0.00	0.00	0.00	2.60	0.78
01-2401001090122 सिंचाई—सात निश्चय—2	503.44	707.04	707.04	1178.05	353.42
01-2401007890152 सिंचाई—सात निश्चय—2	121.02	180.00	180.00	300.00	90.00
01-2401007960174 सिंचाई—सात निश्चय—2	8.39	12.96	12.96	21.95	6.59
01-2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	1168.55	1414.08	1414.08	3926.85	1178.06
01-2402001020213 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)(प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरसेड डेवलेपमेंट)	15.68	2942.02	2942.03	5220.00	1566.00
01-2402001020313 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरसेड डेवलेपमेंट)	10.45	683.49	1911.35	887.75	266.33
01-2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	246.35	360.00	360.00	1000.00	300.00
01-2402007890202 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरसेड डेवलेपमेंट)	0.00	744.67	744.67	933.60	280.08
01-2402007890302 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरसेड डेवलेपमेंट)	0.00	173.32	485.76	622.40	186.72
01-2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	16.67	25.92	25.92	73.15	21.95

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2402007960209 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरसेड डेवलेपमेंट)	0.00	53.48	53.48	68.40	20.52
01-2402007960309 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरसेड डेवलेपमेंट)	0.00	12.43	34.30	45.60	13.68
01-2415010040107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	228.70	353.52	358.57	1020.98	306.29
01-2415012770101 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	70.71	70.71	157.20	47.16
01-2415012770108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	2629.22	5473.65	5473.66	31100.53	9330.16
01-2415017890103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	664.45	1393.50	1393.50	7920.00	2376.00
01-2415017890105 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	18.00	18.00	40.00	12.00
01-2415017890107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	39.14	90.00	91.07	260.00	78.00
01-2415017960104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	46.31	100.34	100.34	579.47	173.84
01-2415017960105 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	1.25	6.48	6.54	19.02	5.71
01-2415017960108 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	1.28	1.29	2.80	0.84
01-2415012770112 कौशल विकास मिशन	0.00	282.81	282.82	942.44	282.73
01-2415017890108 कौशल विकास मिशन	0.00	72.00	72.00	240.00	72.00
01-2415017960109 कौशल विकास मिशन	0.00	5.18	5.18	17.56	5.27

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2435601010101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	235.80	730.60	730.61	1570.74	471.22
01-2435607890101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	60.00	186.00	186.00	400.00	120.00
01-2435607960101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	4.20	13.39	13.39	29.26	8.78
01-2435011010201 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	0.00	0.00	50.34	15.10
01-2435011010301 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	0.00	0.00	8.56	2.57
01-2435017890201 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	0.00	0.00	9.00	2.70
01-2435017890301 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	0.00	0.00	6.00	1.80
01-2435017960201 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	0.00	0.00	0.66	0.20
01-2435017960301 ई-नेम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	0.00	0.00	0.00	0.44	0.13
01-3475001060101 माप एवं तौल का मानकीकरण	84.13	108.40	143.27	297.46	89.24
01-3475007890103 माप एवं तौल का मानकीकरण	61.72	27.60	36.78	76.00	22.80
01-3475007960103 माप एवं तौल का मानकीकरण	3.69	1.99	2.61	5.54	1.66
01-4401000510101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	134.17	707.04	942.84	5890.27	1767.08
01-4401007890101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	33.89	180.00	240.00	1500.00	450.00
01-4401007960101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	2.37	12.96	17.16	109.73	32.92
01-2401001190124 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	189.70	0.00	471.36	1178.05	353.42
01-2401007890153 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	48.27	120.00	120.00	300.00	90.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
01-2401007960175 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	3.38	8.64	8.64	21.95	6.59
01-4401000510103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड)	2545.14	4713.60	4713.60	8560.53	2568.16
01-4401007890105 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड)	647.62	1200.00	1200.00	2180.00	654.00
01-4401007960103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड)	45.33	86.40	86.40	159.47	47.84
01-2415020040201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	395.48	318.92	351.89	2546.28	763.88
01-2415020040301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	263.66	74.07	89.42	455.20	136.56
01-2415027890201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	72.00	81.02	89.42	455.20	136.56
01-2415027890301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	48.13	18.87	59.71	303.48	91.04
01-2415027960201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	6.10	5.80	6.39	33.30	9.99
01-2415027960301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (आर0के0वी0वाई0)	4.07	1.35	4.21	22.20	6.66
कुल योग	52195.80	85204.81	97699.93	280226.99	84068.10
मांग सं0—03 भवन निर्माण विभाग					
03-4059010510119 कृषि कार्यालय भवन	238.88	0.00	0.00	0.00	0.00
03-4059017890101 अनु0 जाति के लिए भवन	3769.20	13659.60	16244.70	34200.00	11970.00
03-4059017890102 कृषि कार्यालय भवन	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
03-4059017960104 अनु० जनजाति के लिए भवन	109.80	676.32	507.25	1690.82	507.25
03-4059017960105 कृषि कार्यालय भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-4059800510118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	20456.58	24000.00	46960.00	30000.00	24000.00
03-2059800530101 पिछड़े वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	100.65	100.00	100.00	200.00	100.00
03-4225800510103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण	934.33	480.00	480.00	1400.00	560.00
03-4235021040101 वृद्धाश्रम	4470.00	40.00	40.00	100.00	40.00
03-2052000900020 भवन निर्माण	132.65	162.02	162.02	1589.46	635.78
03-2059800010001 निर्देशन	921.01	1127.11	1127.11	3300.99	1320.40
03-2059800010004 निष्पादन	6163.68	9987.68	9987.68	28206.61	11282.64
03-2059800010011 उद्यान स्थापना	265.59	368.47	368.47	1065.47	426.19
03-4059600510106 स्टेडियम तथा खेल संरचना	0.00	13200.00	14100.00	30819.76	16150.00
03-2059010530102 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जीर्णोद्धार	46.90	60.00	60.00	150.00	45.00
03-4059600510114 डाटा केन्द्र—सह—आधुनिक अभिलेखागार भवन	27.66	60.00	60.00	100.00	30.00
कुल योग	37651.04	63921.20	90197.23	132823.11	67067.26

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग					
08-2204001020001 राष्ट्रीय कैडेट कोर—प्रशासन	0.00	0.00	0.00	3022.55	1209.02
08-2204001020002 राष्ट्रीय कैडेट कोर—वरीय शाखा	0.00	0.00	0.00	389004.00	1556.01
08-2204001020003 राष्ट्रीय कैडेट कोर—कनीय शाखा	0.00	0.00	0.00	3201.95	1280.78
08-2205001030001 पुरातत्व निदेशालय	0.00	0.00	0.00	727.90	291.16
08-2205001070001 संग्रहालय	0.00	0.00	0.00	6948.99	2779.59
08-2251000900003 कला संस्कृति एवं युवा विभाग	0.00	0.00	0.00	1113.02	445.20
08-2204001040001 खेलकूद	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-2205000010001 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	100.00	643.75	883.74	1841.83	736.73
08-2205001030101 पुरातत्व निदेशालय	0.00	0.00	0.00	560.00	224.00
08-2204001040102 खेलकूद	712.14	0.00	0.00	0.00	0.00
08-2205001020101 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	708.97	1153.50	1153.50	3850.00	1540.00
08-2205001070101 संग्रहालय	0.00	0.00	0.00	1090.00	436.00
कुल योग	1647.11	1797.25	2037.24	411360.24	10498.49
मांग सं०-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770001 छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां	12.50	12.50	12.50	25.00	12.50
11-2225032770002 छात्रावासों का संधारण	274.50	492.00	460.11	1912.68	573.80
11-22510009000024 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	0.00	0.00	0.00	772.31	234.69
11-2225031970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	5200.00	5200.00	5200.00	10400.00	5200.00
11-2225031980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	9950.00	9950.00	9950.00	19900.00	9950.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
11-2225032770101 शिक्षा	44840.37	55302.00	55259.48	115803.00	53269.38
11-2225032770212 अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	6.00	6.00	1.00	0.40
11-2225032770214 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी)	55.83	0.00	0.00	1.00	0.50
11-2225032770215 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी)	229.54	5639.00	5519.99	12000.00	5520.00
11-2225032770312 अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
11-2225032770314 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी0एम0 यशस्वी)	0.00	1247.00	1244.50	0.01	0.00
11-4225032770101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	0.00	200.00	150.00	25.00	7.50
11-4225032770202 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	620.10	620.10	1170.00	620.10
11-4225032770302 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	228.00	171.00	299.98	89.99
कुल योग	60562.74	78898.60	78595.68	162309.98	75478.86
मांग सं0—16 पंचायती राज विभाग					
16-2515001980010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	6083.23	10050.00	10050.00	20100.00	10050.00
16-2015001010001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	231.32	265.95	265.95	678.35	339.18
16-3451000900028 पंचायती राज विभाग	127.94	205.68	233.69	470.95	235.48

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
16-2515000010003 जिला पंचायत की स्थापना	16843.21	22283.26	22533.26	56716.92	28358.46
16-2515000030001 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत	13.20	159.13	159.13	633.72	316.86
16-2015001010001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
16-2015001970004 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	0.00	0.00	0.00	64799.45	32399.73
16-2015001980009 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	0.00	0.00	0.00	302397.45	151198.73
16-2515001960106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	207.68	0.00	0.01	0.00	0.00
16-2515001970103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	1113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515001980105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	5127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515001980106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	5192.58	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515007890103 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	1046.19	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515007890104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	1046.86	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515007890105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
16-2515007890106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
16-2515000010102 जिला पंचायत की स्थापना	1289.76	2227.44	2227.44	2800.00	1400.00
कुल योग	38590.60	36041.46	35469.48	448596.84	224298.44
मांग सं०—18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
18-2408011010201 एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	15835.03	21660.00	21432.00	40089.00	18841.83
18-2408017890201 एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	3861.70	3942.50	4916.64	9576.00	4500.72
18-2408017960201 एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	735.56	522.50	846.99	1000.00	470.00
18-3456001020306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	18646.48	3134.52	18233.55	10480.98	4926.06
18-3456001020307 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	10938.13	7401.92	8255.08	20354.93	9566.82
18-3456007890302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	5342.08	2850.00	4446.65	5819.00	2734.93
18-3456007890303 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	2653.44	1291.52	2730.84	2228.00	1047.16

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
18-3456007960302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यान्नों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	664.41	86.92	846.99	200.00	94.00
18-3456007960303 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यान्नों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन)	400.69	47.50	409.70	232.00	109.04
कुल योग	59077.53	40937.38	62118.44	89979.91	42290.56
मांग सं०—19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग					
19-2406011010109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
19-2406017890101 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास अनुसूचित जाति	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406018000101 नहर तट फार्म	116.62	0.00	46.37	0.01	0.00
19-2406017890102 नहर तट फर्म (अनु० जा०)	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406018000105 पथ तट फार्म	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406017890103 पथ तट फर्म (अनु० जा०)	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406011010111 जल-जीवन-हरियाली	3419.62	4000.00	5800.00	8636.98	3454.79
19-4406010700102 भवन	1025.39	1434.79	1434.79	4000.00	1600.00
19-4406010700101 सड़क और पुल	133.72	200.00	200.00	1000.00	400.00
19-2406021100121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	265.80	400.00	800.00	1000.00	400.00
19-2406021100324 बाघ परियोजना	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
19-2406021100326 गज परियोजना	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406021100323 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	67.27	75.00	278.70	200.00	60.00
19-2406021100327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	9.00	9.00	79.96	23.99
19-2406041010304 समेकित वन प्रबंधन	0.00	64.44	64.44	86.00	25.80
19-2406041010305 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	10.00	10.00	0.02	0.00
19-2406041010301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	133.74	93.20	93.20	100.00	40.00
19-2406021100224 बाघ परियोजना	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406021100226 गज परियोजना	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406021100223 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	100.91	267.97	466.41	1797.00	533.70
19-2406021100227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	220.00	220.00	893.00	357.20
19-2406041010204 समेकित वन प्रबंधन	0.00	326.80	326.80	100.00	40.00
19-2406041010205 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	15.00	15.00	50.00	20.00
19-2406041010201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	140.00	140.00	1800.00	720.00
कुल योग	5507.28	7256.20	9904.71	19742.98	7675.48

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2211001010001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1568.28	3772.71	2829.53	8430.44	2529.13
20-2211001030001 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	138.30	510.36	385.77	1513.38	454.01
20-2210012000209 एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	14065.46	42604.20	28402.80	130000.00	39000.00
20-2210012000309 एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	7310.40	2250.00	1500.00	21000.00	6300.00
20-2210017890201 एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	6610.91	32310.00	21540.00	80000.00	24000.00
20-2210017890301 एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	12180.00	1485.00	7072.95	13400.00	4020.00
20-2210017960219 एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	281.40	2340.00	1560.00	10500.00	3150.00
20-2210017960319 एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	150.00	225.00	150.00	3200.87	960.26
20-2210031100203 एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	18626.70	52560.00	35040.00	180000.00	54000.00
20-2210031100303 एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	17971.51	2747.26	44835.78	16000.00	4800.00
20-2210037890201 एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	7890.35	18033.00	12022.20	55000.00	16500.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
20-2210037890301 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	8340.00	2250.00	1500.00	8564.00	2569.20
20-2210037960202 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	339.30	1890.00	1260.00	10500.00	3150.00
20-2210037960302 एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	390.00	585.00	802.78	5000.00	1500.00
20-2211000010204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	862.78	9000.00	6000.00	30000.00	9000.00
20-2211000010304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	319.03	3146.88	2097.92	8000.00	2400.00
20-2211001020202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	80.78	450.00	300.00	1500.00	450.00
20-2211001020302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	4.16	108.00	72.00	400.00	120.00
20-2230031020102 स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	0.00	11.25	7.50	100.00	30.00
20-4210031050119 बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	300.00	900.00	60.00	1500.00	450.00
20-2211000030306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	0.00	0.00	8200.00	2460.00
20-2211000040302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	0.00	0.00	800.00	240.00
20-2211000030206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	0.00	0.00	50000.00	15000.00
20-2211000040202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00
कुल योग	97429.35	177178.66	167439.22	644008.69	193202.61

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-21 शिक्षा विभाग					
21-2202011910001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2196.06	2881.06	3220.93	12717.28	4451.05
21-2202011920001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2072.10	4325.08	3784.45	9725.87	3404.05
21-2202011010001 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	0.00	0.00	0.00	1362330.34	476815.62
21-2202011930001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3959.82	6047.50	5291.57	13734.66	4807.13
21-2202011970002 प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	86005.07	1188.26	96973.45	359940.49	125979.17
21-2202011980002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1316.91	2023.01	1770.14	0.01	0.00
21-2202010010004 बिहार बाल भवन किलकारी	0.00	0.00	0.00	824.68	288.64
21-22020211090001 अन्य विद्यालय	0.00	0.00	0.00	12934.88	4527.21
21-2202021910001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	6375.91	8108.43	7094.88	26704.81	9346.68
21-2202021920001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	6263.96	8865.56	7757.37	23417.18	8196.01
21-2202021930001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	5233.20	7151.27	6257.36	17970.75	6289.76
21-2202021960001 जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	58047.56	79200.00	69300.00	213770.25	74819.59
21-2202031020001 पटना विश्वविद्यालय	7117.52	12800.00	11200.00	34008.62	11903.02
21-2202031020002 मगध विश्वविद्यालय	14568.82	30560.00	26740.00	83485.92	29220.07
21-2202031020003 बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय)	19236.52	24875.32	21765.91	68613.62	24014.77

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
21-2202031020004 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	6355.75	24875.32	10675.00	33406.25	11692.19
21-2202031020005 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	10823.48	16600.00	14525.00	44811.17	15683.91
21-2202031020008 बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	10166.20	16600.00	14525.00	39932.36	13976.33
21-2202031020009 भागलपुर विश्वविद्यालय	10094.93	14600.00	12775.00	38746.41	13561.24
21-2202031020011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	20071.03	32000.00	28000.00	83052.44	29068.35
21-2202031020012 कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	3497.74	12200.00	10675.00	32867.43	11503.60
21-2202031020016 मौलाना मजहरुल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	281.90	1000.00	875.00	2662.62	931.92
21-2202031020024 पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	12233.05	22040.00	19285.00	63069.56	22074.35
21-2202031020025 पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	2672.94	6440.00	5635.00	17215.54	6025.44
21-2202031020027 मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	2840.01	4800.00	4200.00	15303.18	5356.11
21-2202031020028 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1250.00	437.50
21-2202800030005 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	376.69	426.20	372.93	958.54	335.49
21-2202800030006 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	2308.59	3550.56	3106.74	8055.50	2819.43
21-2202800030007 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	125.50	260.04	227.54	650.36	227.63
21-2202800030008 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	999.12	1492.08	1305.57	4443.48	1555.22
21-2202010010101 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	1946.95	2200.00	1925.00	95000.00	33250.00
21-2202010010105 शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	0.00	175.00	350.00	1200.00	420.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
21-2202010010106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	442.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202010010107 बिहार बाल भवन को अनुदान	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202011020102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि	816.36	920.00	4655.00	2000.00	700.00
21-2202011090101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	943.04	340.00	1347.50	4000.00	1400.00
21-2202011090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	290.52	0.00	0.00	2500.00	875.00
21-2202011090105 प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	5301.08	400.00	4200.00	1000.00	350.00
21-2202011010201 पी0एम0श्री योजना	0.00	0.00	0.00	20815.00	7285.25
21-2202011110201 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) (समग्र शिक्षा)	104966.90	282092.80	246831.20	427119.00	149491.65
21-2202011010301 पी0एम0श्री योजना	0.00	0.00	0.00	7500.00	2625.00
21-2202011110301 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) (समग्र शिक्षा)	70112.91	47426.40	80145.10	96186.00	33665.10
21-2202011110302 सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति (समग्र शिक्षा)	387305.77	106000.00	511787.50	250000.00	87500.00
21-2202011120203 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पी0एम0पोषण)	25336.81	78804.00	68953.50	108447.00	37956.45
21-2202011120303 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0) (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) (पी0एम0पोषण)(शिक्षा)	14743.55	16848.00	20975.14	26745.00	9360.75

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
21-2202017890102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	261.04	60.00	52.50	1000.00	350.00
21-2202017890203 सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	27759.51	73926.40	64685.60	172024.00	60208.40
21-2202017890209 मध्यान भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना)	6385.10	19168.00	16772.00	40673.00	14235.55
21-2202017890306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) (पीएमओपोषण)(शिक्षा)	3359.29	6112.00	6768.21	11473.00	4015.55
21-2202017890308 सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओ) (समग्र शिक्षा)	18506.34	34913.60	35799.40	41915.00	14670.25
21-2202017960210 मध्यान भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना)	591.34	2028.00	1774.50	4612.00	1614.20
21-2202017960211 प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	1789.81	3756.00	3286.50	15483.00	5419.05
21-2202017960309 सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा)	1193.21	3860.00	4252.50	4473.00	1565.55
21-2202017960310 मध्यान भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना)	559.89	800.00	936.70	1182.00	413.70
21-2202020010101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	1124.17	2400.00	2100.00	97717.00	34200.95
21-2202020040102 हुनर	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202020520103 उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम	1085.00	872.40	763.35	500.00	175.00
21-2202021090105 आईसीटी परियोजना	350.00	1000.00	875.00	0.00	0.00
21-2202021090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	141.12	0.00	0.00	1600.00	560.00
21-2202021090212 पीएमश्री योजना	0.00	0.00	0.00	52385.00	18334.75

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
21-2202021090207 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0) (समग्र शिक्षा)	11091.71	22936.40	20069.35	53692.00	18792.20
21-2202021090313 पी0एम0श्री योजना	0.00	0.00	0.00	16500.00	5775.00
21-2202021090307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0) (समग्र शिक्षा)	7394.47	1993.60	11133.50	16628.00	5819.80
21-2202027890207 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	1980.04	3855.60	3373.65	41887.00	14660.45
21-2202027890307 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	1320.03	726.80	2735.95	11806.00	4132.10
21-2202027960209 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	185.38	677.20	592.55	4400.00	1540.00
21-2202027960309 माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा)	123.59	286.80	950.95	1566.00	548.10
21-2202031020115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	5599.99	8200.00	7175.00	55000.00	19250.00
21-2202031020117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	205.84	200.00	175.00	500.00	175.00
21-2202031020118 राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	183.05	120.00	105.00	300.00	105.00
21-2202031020126 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	0.00	0.40	0.35	1.00	0.35
21-2202031020323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	320.00	280.00	1179.00	412.65
21-2202031130101 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	87.50	100.00	489.30	250.00	87.50
21-2202042000102 प्रौढ़ शिक्षा	1746.83	0.00	0.00	9000.00	3150.00
21-2202042000203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	126.28	424.40	641.26	3388.00	1185.80

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
21-2202042000303 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	83.50	78.40	411.40	504.00	176.40
21-2202047890101 प्रौढ़ शिक्षा	17817.65	0.00	31154.90	36000.00	12600.00
21-2202800010102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	297.42	440.00	385.00	1100.00	385.00
21-2202800040106 ए० एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	104.65	120.00	245.00	500.00	175.00
21-2202021070108 अन्य विद्यालय	3709.02	2000.00	5287.45	2500.00	875.00
21-2202800040108 ललित नारायण मिश्र इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंजेज	140.00	400.00	595.00	2000.00	700.00
21-2202800040121 बिहार राज्य भाषा अकादमी	17.15	10.00	26.25	85.00	29.75
21-2204001040108 बिहार सब जूनियर स्पोर्ट्स मीट तंत्र कार्यक्रम	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21-4202012020103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	25440.53	18720.40	27930.35	80100.00	28035.00
21-4202012030108 राजकीय महाविद्यालय	700.00	1000.00	1225.00	5000.00	1750.00
21-4202012030207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	840.00	735.00	7431.00	2600.85
21-2202011120104 मध्यान भोजन योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना)	18725.00	12000.00	14000.00	35000.00	12250.00
21-2202021030101 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	113.75	0.00	350.00	2500.00	875.00
21-2202031020119 नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा	1322.29	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
21-2202031020127 नालंदा खुला विश्वविद्यालय	175.00	0.00	0.00	100.00	35.00
21-2202037890301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	144.00	126.00	1021.00	357.35
21-2202037960301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	56.00	49.00	100.00	35.00
21-2202047890202 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	33.28	48.00	79.04	1237.00	432.95
21-2202047960203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	2.29	14.40	26.01	135.00	47.25
21-2202047890302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	5.44	40.00	43.74	264.00	92.40
21-2202047890301 अध्यापक शिक्षा संस्थान (समग्र शिक्षा)	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202047960301 अध्यापक शिक्षा संस्थान (समग्र शिक्षा)	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202047960302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (समग्र शिक्षा)	0.00	9.60	9.65	32.00	11.20
21-2202037890201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	216.00	189.00	2300.00	805.00
21-2202037960201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	56.00	49.00	269.00	94.15
21-2202011910002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	16.69	62.59	54.77	90.88	31.81
21-2202011920002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	19.92	96.00	84.00	150.00	52.50

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
21-2202011930002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	10.97	89.91	89.91	443.76	155.32
21-2202011970002 प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	86005.07	118826.80	96973.45	359940.49	125979.17
21-2202021910004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	11.09	80.72	70.62	241.50	84.53
21-2202021920004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	19.57	225.98	197.74	642.60	224.91
21-2202021930004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	12.80	517.44	452.76	501.90	175.67
21-2202021960004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान	0.00	0.00	0.00	6436.50	2252.78
कुल योग	1156301.11	1224945.73	1695136.93	4876875.83	1706906.54
मांग सं०—23 उद्योग विभाग					
23-2851001020106 उद्योग मित्र	80.00	80.00	80.00	200.00	80.00
23-2851001030113 शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	159.00	160.00	160.00	400.00	160.00
23-2851001040101 हस्तशिल्प का विकास	580.00	240.00	400.00	600.00	240.00
23-2851001080101 विद्युत करघा योजना	1333.60	318.00	318.00	795.00	318.00
23-2852801020135 इन्टर प्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	60.00	80.00	80.00	400.00	160.00
23-2852801020150 सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी की स्थापना	1760.00	619.20	629.00	1.00	0.40

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
23-2852801020160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	22359.02	19901.20	30901.20	50000.00	20000.00
23-2851001030103 हस्तकरघा विकास की योजना	122.00	122.00	122.00	305.00	122.00
23-2851001020107 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	5788.80	1156.80	2501.60	2540.00	1016.00
23-2851001070101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	202.66	160.00	218.18	400.00	160.00
23-2851007890110 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	4822.00	4760.80	4760.80	12225.00	4890.00
23-2851007960117 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	396.60	392.40	392.40	1020.00	408.00
23-6851001020101 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	5560.00	1130.00	2474.80	2480.00	992.00
23-6851007890101 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	4822.00	4590.00	4590.00	11775.00	4710.00
23-6851007960107 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	390.00	370.00	370.00	960.00	384.00
कुल योग	48435.68	34080.40	47997.98	84101.00	33640.40
मांग सं0-26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230030030233 कौशल विकास मिशन	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230030030333 कौशल विकास मिशन	203.13	32.00	279.77	0.00	0.00
26-2230037960122 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	67.50	387.66	361.00	976.00	292.80

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
26-2230037890102 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	2085.68	4828.09	4245.94	9900.00	2970.00
26-2230030030130 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	4578.07	9322.44	9398.96	28800.00	8640.00
26-2230031010103 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	2340.71	4169.99	3413.28	17000.00	5100.00
26-2230030030105 पूर्व स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	39.07	80.00	60.00	500.00	150.00
26-2230037890302 कौशल विकास मिशन	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960302 कौशल विकास मिशन	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960204 कौशल विकास मिशन	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230020030101 नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम	43.20	120.00	90.00	600.00	180.00
26-2230021010101 नियोजन सेवा का विस्तार	23.68	60.00	45.00	300.00	90.00
26-2230021010113 निःशक्त जनो के लिए नियोजन सहायता	0.00	0.00	0.00	30.00	9.00
कुल योग	9460.96	19000.18	17893.95	58106.00	17431.80
मांग सं0-27 विधि विभाग					
27-2235602000013 बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम	0.00	0.00	0.00	3000.00	1800.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	3000.00	1800.00
मांग सं0-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2202021070109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	7783.55	9630.00	9132.60	15000.00	9640.00
30-2202021070210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	40.00	40.00	40.00	100.00	40.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
30-2202031070106 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कौचिंग की व्यवस्था	109.15	200.00	200.00	500.00	200.00
30-2225042770101 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	1200.00	1200.00	1.00	0.40
30-2250000030101 अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	0.00	120.00	120.00	100.00	40.00
30-4250000510207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	0.00	4800.00	4800.00	12000.00	4800.00
30-4250000510307 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	1.88	850.00	850.00	2000.00	800.00
30-4250000510308 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम विकास- विशेष राज्यांश (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम)	80.30	400.00	400.00	1000.00	400.00
30-5465011900104 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में (कैपिटल सेयर)	3900.00	6000.00	6000.00	10000.00	6000.00
कुल योग	11914.88	23240.00	22742.60	40701.00	21920.40
मांग सं०-33 सामान्य प्रशासन विभाग					
33-2051001030001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग	0.00	3264.62	3294.99	19079.25	6677.74
33-2051001030004 बिहार तकनीकी सेवा आयोग	0.00	489.10	727.83	2548.63	892.02
33-2052000900004 सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	1368.06	1511.92	4683.64	1639.27
33-2052000900005 सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग)	0.00	103.69	103.69	260.17	91.06

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
33-2052000900041 अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	0.00	115.14	115.14	143.52	50.23
33-2052000900045 राज्य महादलित आयोग	0.00	104.73	104.74	72.31	25.31
33-2052000900052 उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग	0.00	17.70	18.76	53.93	18.88
33-2052000920008 स्थानिक आयुक्त	0.00	76.65	76.66	258.07	90.32
33-2053000930001 जिला प्रशासन	0.00	12001.85	12055.58	35255.24	12339.33
33-2053000940001 अनुमंडलीय स्थापना	0.00	6431.95	6431.95	19872.82	6955.49
33-2053001010001 मुख्य कार्यालय	0.00	1407.10	1407.11	3893.57	1362.75
33-2070000010001 बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु	0.00	630.90	1292.07	1980.77	693.27
33-2070000030006 बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)	0.00	2695.00	2695.00	12700.00	4445.00
33-2070000030007 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.00	29.31	29.31	95.50	33.43
33-2070001040012 लोकायुक्त का कार्यालय (प्रभृत)	0.00	269.52	269.52	841.05	294.37
33-2070001150003 सर्किट भवन	0.00	737.45	737.45	2349.74	822.41
33-2251000920002 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय	0.00	315.70	315.70	968.20	338.87
33-2052000920122 बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी	0.00	6090.00	6090.00	19206.78	6722.37
कुल योग	0.00	36148.47	37277.41	124263.19	43492.12

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-2215011020106 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	2051.53	1575.00	1575.00	1400.00	630.00
36-2215017890104 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	481.72	675.00	675.00	400.00	180.00
36-2215017960105 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4.73	0.00	0.00	200.00	90.00
36-4215011010104 पेय जलापूर्ति (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00
36-4215011020101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	34.60	225.00	225.00	200.00	90.00
36-4215011020103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स कूप, नलकूप द्वारा)	2043.78	1502.10	1502.10	3300.00	1485.00
36-4215011020132 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	16157.45	14940.00	14940.00	40000.00	18000.00
36-4215011020135 पेय जलापूर्ति (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00
36-4215011020230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	0.00	7560.00	7560.00	16600.00	7470.00
36-4215011020330 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	8641.80	1620.00	1620.00	4150.00	1867.50
36-4215017890111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	389.08	747.90	747.90	1600.00	720.00
36-4215017890114 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	7913.17	5310.00	5310.00	15000.00	6750.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
36-4215017890212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	0.00	1440.00	1440.00	3200.00	1440.00
36-4215017890312 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	4109.98	471.60	1686.60	800.00	360.00
36-4215017960107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप)	1.47	0.00	0.00	100.00	45.00
36-4215017960119 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	113.81	0.00	0.00	1000.00	450.00
36-4215017960120 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	29.34	0.00	0.00	1650.00	742.50
36-4215017960217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	0.00	0.00	0.00	200.00	90.00
36-4215017960317 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)	0.00	0.00	0.00	50.00	22.50
36-4215021060104 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	159.04	22.50	22.50	50.00	22.50
36-4215011020134 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण सात निश्चय-2	117.84	225.00	225.00	500.00	225.00
36-2215011020107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव सात निश्चय-2	44471.17	22275.00	29025.00	49500.00	22275.00
36-4215011020133 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4773.34	3621.60	3621.60	62250.00	28012.50
36-4215017890115 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	749.70	1778.40	1778.40	19500.00	8775.00

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
36-4059010510128 सरकारी कार्यालय का निर्माण	231.26	900.00	900.00	2500.00	1125.00
36-4216010510103 सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण	0.00	198.90	198.90	500.00	225.00
36-4215011020125 जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	113.31	45.00	174.60	200.00	90.00
36-2215020030102 बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण-सह-शोध कार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान	14.36	4.50	4.50	157.00	70.65
36-2215020030102 शमशन घाटों के विकास एवं आधुनिकीकरण	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00
36-4215011020124 अन्वेषण एवं सर्वेक्षण	0.00	6.75	6.75	10.00	4.50
कुल योग	92602.49	65144.25	73238.85	225217.00	101382.65
मांग सं०-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-2029001040001 राजस्व प्रशासन पर व्यय	25570.97	39602.41	39743.72	136130.53	40839.16
40-2029001030001 भू-अभिलेख स्थापना	277.81	470.90	470.95	1626.02	487.81
40-2029000010001 जिला प्रभार-भू-अर्जन स्थापना	859.81	1150.74	1379.94	4995.10	1498.53
40-2029000010004 भू-अर्जन प्राधिकार	176.69	225.57	343.36	813.66	244.10
40-2052000920004 भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार	28.17	54.50	54.80	213.81	64.14
40-2052000900017 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	529.10	961.17	1111.17	4069.10	1220.73
40-2029001040002 हाट बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण	888.54	450.00	600.00	2000.00	600.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
40-3604002000001 भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों को शेष का भुगतान	0.00	199.16	199.16	663.88	199.16
40-2052000990001 राजस्व पर्षद्	119.93	184.92	196.03	806.84	242.05
40-2506001020001 जोतों की चकबंदी	136.43	303.64	303.64	1093.67	328.10
40-2070008000002 गजेटियर्स	15.22	50.06	50.06	228.19	68.46
40-2029000010102 जोतों की चकबंदी	487.25	660.00	660.00	1500.00	450.00
40-4059800510102 जल निकाय एवं सरकारी भूमि की घेराबंदी तथा सीमांकन	0.00	30.00	30.00	50.00	15.00
40-2029000030101 क्षमतावर्द्धन	44.99	60.00	60.00	500.00	150.00
40-2029001020101 सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	5411.21	10642.19	22481.06	34389.96	10316.99
40-2029001030306 राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	0.00	300.00	300.00	4760.00	1428.00
कुल योग	34546.12	55345.26	67983.89	193840.76	58152.23
मांग सं०-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2215021050104 लोहिया स्वच्छता योजना-2-सात निश्चय-2	0.00	2000.00	2000.00	2200.00	1100.00
42-2215021050105 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान	0.00	0.00	0.00	12000.00	5760.00
42-2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	26717.45	35247.50	45460.80	67268.00	32288.64
42-2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	18096.00	11700.00	11700.00	16620.00	7977.60
42-2215027890204 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस०सी०	6310.90	9037.50	12141.00	51532.00	24735.36
42-2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस०सी०	4632.00	3000.00	3000.00	12732.00	6111.36

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
42-2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)—एस0टी0	571.66	904.00	1214.50	2623.00	1259.04
42-2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)—एस0टी0	381.12	300.00	300.00	648.00	311.04
42-2501061010205 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसबीईपी) (एन0आर0एल0एम0)	0.00	896.40	896.40	720.00	311.04
42-2501061010305 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसबीईपी) (एन0आर0एल0एम0)	0.00	99.60	99.60	480.00	398.40
42-2501061010206 दीन दयाल उपाध्यायक ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू—जीकेवाई) (एन0आर0एल0एम0)	0.00	4050.40	4050.40	2019.00	1675.77
42-2501061010306 दीन दयाल उपाध्यायक ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू—जीकेवाई) (एन0आर0एल0एम0)	0.00	675.62	675.62	1346.00	1117.18
42-2501061020201 राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना (एनआरईटीपी)(एन0आर0एल0एम0)	14167.58	2490.00	2490.00	2066.70	0.00
42-2501061020301 राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना (एनआरईटीपी)(एन0आर0एल0एम0)	9445.05	1660.00	4033.80	0.00	0.00
42-2501061020202 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)(एन0आर0एल0एम0)	1245.00	2075.00	3085.11	3750.00	3112.50
42-2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	95456.13	103446.20	103446.20	153322.00	127257.26
42-2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)—एस0सी0	52057.57	53192.21	73743.01	52597.00	43655.51
42-2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)—एस0सी0	19846.70	21511.94	21511.94	32364.00	26862.12

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
42-2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी5	0.00	843.28	843.28	948.00	786.84
42-2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी6	0.00	141.10	141.10	632.00	524.56
42-2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी0	17687.67	11061.41	9960.75	10938.00	9078.54
42-2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी0	1855.94	2031.84	2031.84	3011.00	2499.13
42-2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी5	0.00	86.32	86.32	93.00	77.19
42-2501067960305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी6	0.00	13.28	13.28	62.00	51.46
42-2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी0	3876.63	1044.97	1127.97	1033.00	857.39
42-2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	95788.79	185620.50	185620.50	260586.00	130293.00
42-2505021010204 क्लस्टर सुविधा परियोजना (सीएफपी)(मनरेगा)	0.00	0.00	0.00	4015.00	2007.50
42-2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	41500.00	35000.00	35000.00	100000.00	50000.00
42-2505027890201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)- एस0सी0	0.00	0.00	0.00	103400.00	51700.00
42-2505027960201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	0.00	0.00	0.00	7700.00	3850.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
42-2505027890301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)— एस0सी0	3640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2505021010202 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)— एस0सी1	12825.00	1000.00	1000.00	2000.00	1000.00
42-2505021010203 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)— एस0सी2	0.00	32100.00	32100.00	61250.00	30625.00
42-2505021010205 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	0.00	28.50	28.50	249.00	124.50
42-2515001020119 सतत जीविकोपार्जन योजना	24900.00	20750.00	15000.00	10000.00	8300.00
कुल योग	451001.19	542007.57	572801.92	980204.70	575707.93
मांग सं0—43 विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग					
43-2203001050001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	5880.99	9163.96	9163.97	26990.34	9446.62
43-2203001120001 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	8219.55	11395.18	11627.93	40241.96	14084.69
43-2203000030101 शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम	145.81	280.00	280.00	800.00	280.00
43-2203000040101 बिहार काउन्सिल आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना	557.15	910.00	910.00	3000.00	1050.00
43-2203001050106 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	264.88	588.00	588.00	2000.00	700.00
43-2203001050107 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस—सात निश्चय—2	311.37	525.00	525.00	1721.00	602.35
43-2203001120101 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	376.51	582.75	1016.33	2500.00	875.00
43-4202021040109 पोलिटेकनिक (निश्चय)	4575.06	4550.00	4550.00	12000.00	4200.00
43-4202021050106 अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)	7286.00	4550.00	4993.10	12000.00	4200.00

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
43-4202021050107 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस - सात निश्चय-2	2049.95	2450.00	2450.00	6779.00	2372.65
कुल योग	29667.26	34994.89	36104.33	108032.30	37811.31
मांग सं०-44 अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225010010004 वैधिक सहायता	0.00	0.40	0.40	1.00	0.40
44-2225011970002 छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	4.00	4.00	10.00	4.00
44-2225011980001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	20.00	20.00	50.00	20.00
44-2225012770002 छात्रावासों का संधारण	423.36	655.27	491.45	1978.73	593.62
44-2225012770003 आवासीय विद्यालय	5073.29	7166.58	6815.88	27042.97	9465.04
44-2225012770007 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	382.00	40.00	40.00	100.00	40.00
44-2225012770008 पुस्तक अधिकोष की स्थापना	2.11	4.00	4.00	10.00	4.00
44-2225012770009 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण	0.00	0.04	0.04	0.10	0.04
44-2225012770011 छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ	284.48	520.00	420.00	1300.00	420.00
44-2225012770012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	136.90	294.51	220.89	731.74	219.52
44-2225022770001 छात्रवृत्तियाँ/वृत्तियाँ	10.32	15.60	11.70	39.00	11.70
44-2225022770003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	29.38	95.10	71.33	320.73	96.22

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
44-2225022820001 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण	56.79	87.35	65.51	204.13	61.24
44-2225022770004 आवासीय विद्यालय	912.85	1339.66	1220.45	5364.91	1609.47
44-20700000010106 अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.00	20.00	20.00	50.00	20.00
44-2225010010101 निदेशन और प्रशासन	22.26	40.00	30.00	100.00	30.00
44-2225011020101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.00	20.00	15.00	50.00	15.00
44-2225011020115 महादलित विकास हेतु	11619.30	19680.00	21680.00	49293.00	19717.00
44-2225011970101 छात्रवृत्ति / वजीफा	937.86	2842.00	2842.00	7105.00	2842.00
44-2225011980101 छात्रवृत्ति / वजीफा	2300.36	6970.80	6970.80	17427.00	6970.80
44-2225012770101 शिक्षा	713.51	980.00	1185.00	2450.00	735.00
44-2225012770107 शिक्षा	22660.80	19060.80	18880.80	31468.00	18880.80
44-2225022770101 शिक्षा	0.00	0.00	0.00	3528.00	1058.40
44-2225012770219 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	22.80	40.00	30.00	100.00	30.00
44-2225012770221 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	1275.54	2000.00	1500.00	5000.00	1500.00
44-2225012770222 अनु० जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	598.07	0.40	0.40	1.00	0.40
44-2225012770319 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	900.00	324.00	243.00	810.00	243.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
44-2225012770321 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	1275.54	800.00	1500.00	2000.00	600.00
44-2225017930401 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44-2225021020105 अनु० जनजाति विकास हेतु	390.00	312.87	234.65	782.18	234.65
44-2225021020201 अनु० जनजातियों का बहुमुखी विकास —संविधान की धारा 275(01) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	261.37	840.00	630.00	2700.00	810.00
44-2225021020202 अनु० जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	600.00	450.00	0.00	0.00
44-2225021020203 धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	0.00	0.00	0.00	500.00	150.00
44-2225021970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	89.50	271.20	271.20	678.00	271.20
44-2225021980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	273.64	829.20	829.20	2073.00	829.20
44-2225022770101 शिक्षा	2741.80	3280.80	2116.80	6281.00	2116.80
44-2225022770106 आवासीय विद्यालय	116.94	600.00	450.00	2200.00	660.00
44-2225022770214 अनु० जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए	0.00	4.00	3.00	10.00	3.00
44-2225022770216 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	400.00	400.00	300.00	120.00
44-2225027960125 थरुहड क्षेत्र विकास	604.86	1200.00	900.00	3000.00	900.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
44-2225027960228 विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समुहों के विकास	2.48	200.00	150.00	100.00	30.00
44-2225027960427 वनबन्धु कल्याण योजना	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44-4425001080164 बिहार राज्य अनु० जाति सहकारिता विकास निगम	0.00	40.00	270.00	400.00	120.00
44-2225011020216 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई०)	0.00	0.30	0.30	1.00	0.30
44-2225010010102 आवासीय विद्यालय	2458.00	54.00	40.50	180.00	54.00
44-2225012770324 अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	882.00	400.00	400.00	944.00	377.60
44-2225022770316 अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	80.00	80.00	80.00	200.00	80.00
44-2225022770217 अनुसूचित जनजाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	362.00	362.00	905.00	362.00
44-2225022770315 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	120.00	80.00	80.00	200.00	80.00
44-2225017890201 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)	0.00	2800.00	2800.00	7000.00	2800.00
कुल योग	59167.11	75374.88	74750.30	184989.49	75186.40
मांग सं०-46 पर्यटन विभाग					
46-5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	9121.86	8100.00	32600.00	81000.00	40500.00
46-5452011010105 पर्यटकीय अवसंरचना का विकास	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
कुल योग	9121.86	13100.00	37600.00	81000.00	40500.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०—47 परिवहन विभाग					
47-2041001010002 मोटर वाहन पर नियंत्रण	3271.06	3950.20	3951.13	15886.72	4766.02
47-2052000900035 परिवहन विभाग	80.16	272.97	107.50	464.26	139.28
47-2041001020001 वाहनों का निरीक्षण	273.36	418.29	358.54	1340.98	402.29
कुल योग	3624.57	4641.46	4417.16	17691.96	5307.59
मांग सं०—48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2215011910101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	7514.23	4000.00	4000.00	7500.00	2250.00
48-2215011920101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1277.78	1600.00	1600.00	3000.00	900.00
48-2215011930101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	14.87	400.00	400.00	1000.00	300.00
48-2215017890101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2215017890102 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2215017890103 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2215017960103 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2215021910102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	56.93	524.80	524.80	2000.00	600.00
48-2215021920102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	58.42	40.00	30.00	1000.00	300.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
48-2215021930102 नाला निर्माण, सीवरेंज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	50.27	40.00	30.00	1000.00	300.00
48-2215027890101 नाला निर्माण, सीवरेंज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	5991.64	800.00	1350.00	6000.00	1800.00
48-2215011910106 जल जीवन हरियाली अभियान	56.02	120.00	270.00	330.92	99.30
48-2215011920103 जल जीवन हरियाली अभियान	381.63	120.00	360.00	300.00	90.00
48-2215011930102 जल जीवन हरियाली अभियान	151.37	120.00	390.00	300.00	90.00
48-2217011910109 नागरिक सुविधा	2159.69	200.00	1020.00	1000.00	300.00
48-2217011910116 नागरिक सुविधा	246.60	200.00	1320.00	1000.00	300.00
48-2217031920105 नागरिक सुविधा	660.00	200.00	1512.00	2000.00	600.00
48-2217031930104 नागरिक सुविधा	459.06	200.00	498.00	1500.00	450.00
48-2217011910124 विशेष स्वच्छता अनुदान	90.00	777.60	583.20	1950.00	585.00
48-2217031920114 विशेष स्वच्छता अनुदान	0.00	176.00	132.00	550.00	165.00
48-2217031930113 विशेष स्वच्छता अनुदान	30.00	246.40	246.00	620.00	186.00
48-2217011910115 मु० शहरी नाली—गली पक्की० निश्चय योजना	0.00	400.00	400.00	1000.00	300.00
48-2217031930103 मु० शहरी नाली—गली पक्की० निश्चय योजना	325.77	3800.00	3800.00	12000.00	3600.00
48-2217017890102 मु० शहरी नाली—गली पक्की० निश्चय योजना	105.22	200.00	200.00	500.00	150.00
48-2217037890102 मु० शहरी नाली—गली पक्की० निश्चय योजना	908.53	600.00	450.00	2500.00	750.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
48-2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन	5393.77	4000.00	3735.00	10000.00	3000.00
48-2217030510304 स्मार्ट सिटी मिशन	4777.50	2400.00	3735.00	4000.00	1200.00
48-5075601900101 पटना मेट्रो रेल	17700.00	2000.00	9900.00	0.01	0.00
48-2217011910106 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	12.57	12.57	17.57	45.14	22.57
48-2217017890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	969.66	6000.00	4500.00	15000.00	4500.00
48-2217017890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	323.22	80.00	60.00	200.00	60.00
48-2217017960201 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	240.00	180.00	600.00	180.00
48-2217017960301 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	40.00	30.00	100.00	30.00
48-2217030510203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	13818.44	45544.79	45544.79	113879.96	34163.98
48-2217030510202 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत)	2708.48	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2217030510302 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत)	1623.09	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2217030510303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	4632.58	5000.00	3750.00	33400.00	10020.00
48-2217031910102 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	151.96	149.01	159.01	338.02	169.01
48-2217031920102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	324.88	324.45	344.45	728.90	364.45
48-2217031930102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	237.67	234.48	249.48	528.96	264.48

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
48-2217037890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	3240.00	25672.00	19254.00	64180.01	19254.00
48-2217037890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	1127.74	471.58	455.09	5000.00	1500.00
48-2217037960203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	126.36	994.39	745.80	2468.03	740.41
48-2217037960303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	42.12	80.00	60.00	681.96	204.59
48-3475001080202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
48-2217010510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन सात निश्चय—2	0.00	1000.00	1000.00	0.01	0.00
48-2217030510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2217010510102 मोक्ष धाम का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2217030510102 मोक्ष धाम का निर्माण	2025.21	1999.99	1500.00	4999.99	1500.00
48-2217010510201 स्मार्ट सिटी मिशन	3675.00	4000.00	3000.00	10000.00	3000.00
48-2217010510301 स्मार्ट सिटी मिशन	3000.00	2400.00	2512.50	4000.00	1200.00
48-2217030510206 स्मार्ट सिटी मिशन	5880.00	1800.00	3000.00	0.00	0.00
48-2217030510306 स्मार्ट सिटी मिशन	4410.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
48-2217030510207 स्मार्ट सिटी मिशन	2002.50	4000.00	5955.00	10000.00	3000.00
48-2217030510307 स्मार्ट सिटी मिशन	2002.50	2400.00	5055.00	4000.00	1200.00
48-2217011910106 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
48-2215021050101 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन —निश्चय—2	121470.43	400.00	400.00	50.00	15.00

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
48-2215027890104 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन —निश्चय-2	19.80	400.00	300.00	50.00	15.00
48-2215027960106 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन —निश्चय-2	10.00	400.00	300.00	50.00	15.00
48-2215021070101 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम—सात निश्चय-2	5277.59	6000.00	6000.00	8380.00	2514.00
48-2215027890103 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम—सात निश्चय-2	4597.19	4600.00	4600.00	24069.98	7221.00
48-2215027960105 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम—सात निश्चय-2	637.50	1400.00	1400.00	2900.00	870.00
48-2217050010103 क्षमतावर्धन	101.73	43.54	32.66	200.00	60.00
48-2217050010101 ई—गवर्नेन्स	0.00	20.00	20.00	500.00	150.00
48-2217010510103 शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा कराये जाने वाले कार्य	0.00	80.00	510.00	400.00	120.00
48-2217030510103 शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा कराये जाने वाले कार्य	0.00	80.00	1110.00	400.00	120.00
48-2235021040112 मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय योजना	590.24	800.00	600.00	2000.00	600.00
48-2217031910113 भू—अर्जन	85.10	200.00	12150.00	5000.00	1500.00
48-2217030510212 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	606.40	455.00	1516.00	455.00
48-2217030510309 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	600.00	600.00	1500.00	450.00
48-2217030510213 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	5457.60	5457.60	13644.00	4093.20
48-2217030510310 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	3600.00	3600.00	12000.00	3600.00
48-2217030510214 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	10664.00	7998.00	26660.00	7998.00

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
48-2217030510311 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	4000.00	4913.00	10000.00	3000.00
48-2217030510215 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	1698.40	1274.00	4246.00	1274.00
48-2217030510312 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	400.00	530.10	1000.00	300.00
48-2017030510216 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	852.80	639.60	2132.00	639.60
48-2217030510313 स्वच्छ भारत मिशन-2	0.00	400.00	400.00	1000.00	300.00
48-2217030510208 अमरुत-2	12000.00	41920.00	31440.00	104800.00	31440.00
48-2217030510308 अमरुत-2	24000.00	8400.00	8400.00	23500.00	7050.00
48-2217030510209 अमरुत-2	0.00	1360.00	1360.00	3400.00	1020.00
48-2217030510210 अमरुत-2	0.00	2000.00	2000.00	5000.00	1500.00
48-2217030510211 अमरुत-2	15.75	1600.00	1200.00	4000.00	1200.00
48-2215021070104 स्टार्म वाटर ड्रेनेज (एन0एच0बी0 पोषित)	0.00	8000.00	6000.00	19999.98	6000.00
48-2215010510101 पेय जलापूर्ति योजना (एन0एच0बी0 पोषित)	0.00	2000.00	1500.00	0.01	0.00
48-4202031020102 मोईनुलहक स्टेडियम पटना निर्माण	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
48-5054053370101 बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने हेतु भूमिगत मार्ग निर्माण योजना ।	900.00	980.00	2235.00	3000.00	900.00
48-5075600500101 पटना मेट्रो रेल	0.00	400.00	300.00	0.01	0.00
48-7075601900101 पटना मेट्रो रेल	0.00	800.00	9747.00	3000.00	900.00
कुल योग	272729.95	238583.37	254130.65	615599.91	185008.59

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०—51 समाज कल्याण विभाग					
51-2210061010113 बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	3102.93	4360.00	4348.01	11500.00	4587.35
51-2235021010106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण सहायक अनुदान	111.51	132.00	171.77	330.00	171.77
51-2235021010119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	1842.42	1642.52	1542.52	4506.30	1802.52
51-2235021010121 मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	202.70	160.00	137.68	400.00	137.68
51-2235021020117 आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	5862.24	0.00	11320.86	0.01	0.00
51-2235021020222 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	68101.00	66178.29	72694.09	62902.01	53466.71
51-2235021020223 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई०सी०पी०एस०)	2444.84	4642.61	4642.61	5520.00	4692.00
51-2235021020225 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई०एस०एस०एन०आई०पी० सहित)	6820.02	9548.94	21099.46	15410.83	12328.66
51-2235021020227 चाईल्ड हेल्पलाइन (मिशन वात्सल्य स्कीम)	0.00	0.00	0.00	1044.32	522.16
51-2235021020228 गैर संस्थागत देखभाल के परियोजन/पालन पोषण देख-रेख (मिशन वात्सल्य योजना)	0.00	0.00	0.00	3159.12	1579.56
51-2235021020229 स्वच्छता कार्य योजना (मिशन वात्सल्य योजना)	0.00	0.00	0.00	15.60	7.80
51-2235021020232 स्वच्छता कार्य योजना (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण—2.0)	0.00	0.00	0.00	1302.23	690.18

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2235021020322 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	39625.98	13380.70	50346.77	13241.40	11255.19
51-2235021020323 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई0सी0पी0एस0)	2539.47	1992.35	3473.31	1900.00	1767.00
51-2235021020325 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित)	3924.04	1138.07	14066.30	1538.23	1230.58
51-2235021020327 आंगनवाड़ी सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2235021020328 गैर संस्थागत देख-भाल के परियोजन/पालन पोषण देख-रेख (मिशन वात्सल्य योजना)	0.00	0.00	0.00	1031.00	515.50
51-2235021020329 स्वच्छता कार्य योजना (मिशन वात्सल्य योजना)	0.00	0.00	0.00	10.40	5.20
51-2235021020332 स्वच्छता कार्य योजना (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण—2.0)	0.00	0.00	0.00	868.16	460.12
51-2235021020333 मिशन वात्सल्य पर राज्य सरकार का अतिरिक्त व्यय	0.00	0.00	0.00	826.63	305.85
51-2235021040106 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	1000.00	1000.00	777.00	3000.00	805.50
51-2235021040107 मुख्यमंत्री शिक्षावृत्ति निवारण योजना	293.40	150.00	504.40	1000.00	504.40
51-2235021040504 बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
51-2235021060106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	585.57	660.12	660.12	1750.00	700.00
51-2235021060107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	51.18	156.68	156.68	492.64	197.06

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2235022000103 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	320.00	400.00	400.00	1300.00	441.87
51-2235022000105 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	329.40	382.80	355.25	600.00	426.30
51-2235022000106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	6.00	6.00	6.00	20.00	10.00
51-2235027890103 आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	2075.81	0.00	3773.67	0.01	0.00
51-2235027890104 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	115.00	200.00	169.95	750.00	254.93
51-2235027890111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	322.22	630.00	630.00	1400.00	630.00
51-2235031010101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	758.85	2023.60	6803.39	4300.00	2211.49
51-2235031010102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	0.00	16.19	16.42	5.00	2.05
51-2235031010201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	46102.93	42279.58	42981.59	80526.00	41414.52
51-2235031010202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	1621.21	1526.12	1547.99	3342.00	1371.89
51-2235031010301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2529.50	5059.00	16986.17	13000.00	6685.90
51-2235031010302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	0.00	202.35	430.62	1000.00	410.00
51-2235031020203 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना	3540.20	7092.90	7204.64	7386.96	7191.94
51-2235037890101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	303.54	2023.60	2057.20	4000.00	2057.20
51-2235037890103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	4.09	4.05	4.10	10.00	4.10

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2235037890201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	11671.62	14100.95	14335.08	33262.00	17106.64
51-2235037890203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	286.09	381.63	387.10	1450.00	595.23
51-2235037890301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	505.90	9103.67	9254.83	22000.00	11314.60
51-2235037890303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	0.00	121.41	123.15	400.00	164.20
51-2235037960203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	583.59	2086.33	2120.97	4200.00	2160.06
51-2235037960303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0.00	445.19	452.58	900.00	462.87
51-2235601020104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	8799.26	6255.00	13414.22	16000.00	5689.60
51-2235607890103 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0)	2176.66	3780.00	2987.04	9200.00	3271.52
51-2236021010103 पूरक पोषाहार	0.00	0.00	0.00	26493.63	14306.56
51-2236021010203 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0)	43079.07	36345.00	54910.65	86964.96	46961.08
51-2236021010303 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0)	17370.67	0.00	43699.86	0.01	0.00
51-2236027890204 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0)	11953.32	36412.49	34496.04	56141.84	30316.59
51-2236027890304 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0)	28165.93	17194.61	16289.63	32448.08	17521.96

विपत्र कोड— स्कीम का नाम	2023—24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024—25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024—25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025—26 (बजट अनुमान)	2025—26 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2236027960305 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	5605.38	5605.38	5310.36	10334.00	5580.36
51-4235021020110 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन	0.00	0.00	0.00	10000.00	5300.00
51-4235021020209 किशोर न्याय पर्षद (जे0जे0बी0एस0) (मिशन वात्सल्य योजना)	0.00	0.00	0.00	3000.00	1590.00
51-4235021020210 सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 (आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का उन्नयन)	0.00	0.00	0.00	80.96	40.48
51-4235021020208 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	229.02	3000.00	3000.00	3000.00	1500.00
51-4235021020308 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0)	152.68	0.00	1060.56	0.01	0.00
51-4235021020309 किशोर न्याय पर्षद (जे0जे0बी0एस0) (मिशन वात्सल्य योजना)	0.00	0.00	0.00	53.97	26.98
51-2235022000201 नेशनल एक्शन प्लान फौर ड्रग डिमांड रिडेशन	12.29	120.00	177.09	650.00	195.00
51-2235021040201 नेशनल एक्शन प्लान फौर ड्रग डिमांड रिडेशन	227.34	440.00	414.20	1461.00	438.30
51-2235021020105 एम0आई0एस0	854.00	964.92	964.92	2596.98	1038.79
51-2235021040109 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	69842.87	32651.85	94841.09	82783.00	38750.72
51-2235027890114 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	11026.14	13135.22	11392.62	27854.00	13038.45
51-2235027960125 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	1909.04	2644.53	2293.69	5556.00	2600.76
51-2235021040110 वाह्य संपोषित	1267.50	2000.00	1850.50	5000.00	1850.50
51-2235022000106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
51-2235021010111 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	6.10	7.20	9.00	20.00	10.00

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2023-24 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2024-25 (जेंडर बजट अनुमान)	2024-25 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	2025-26 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2235021020121 बाल सहायता योजना	7.05	5.60	7.00	9.36	4.68
51-2235021020123 आंगनवाड़ी सेवायें (आई0सी0डी0एस0)	0.00	0.00	0.00	59909.36	50922.96
कुल योग	410267.82	353995.45	583100.75	751158.01	433603.87
मांग सं0-52 खेल विभाग					
52-2202031020033 बिहार खेल विश्वविद्यालय	0.00	118.32	118.32	338.07	118.32
52-2204001010002 शारीरिक शिक्षा	8.10	371.53	397.78	876.64	306.82
52-2204001040011 खेल-कूद	114.85	413.07	413.07	1373.83	480.84
52-2204001040109 खेल कूद	273.24	5250.00	5775.00	16152.24	5653.28
कुल योग	396.19	6152.92	6704.17	18740.78	6559.26
महायोग	2941898.63	3217990.39	4075342.83	10552570.67	4048990.87



बिहार सरकार
वित्त विभाग